खण्ड-302, अंक-7
शुक्रवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(16 मार्च, 1973 ई0)

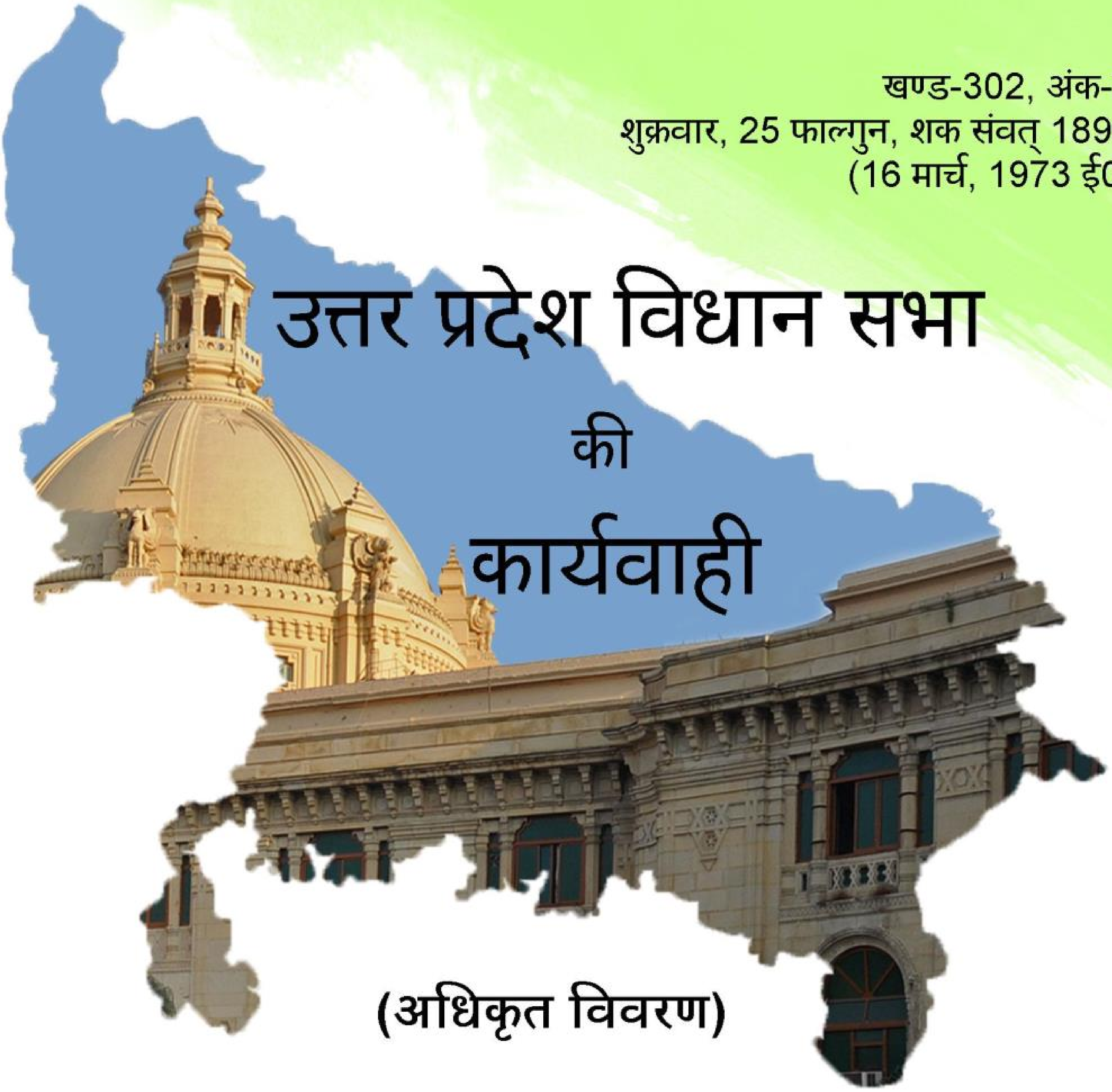

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 16 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—385

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमा नाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चन्द्र नाराचण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्र भान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशवर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायश त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलार लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री

बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राम मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री

राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा,, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री

शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यमलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुख लाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 16 मार्च, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि निदेशालय, लखनऊ के कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश

**1—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय के हजारों तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दिनांक 17-1-73 से सामूहिक हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है? सरकार उन्हें कब तक पूरा कर देगी?

कृषि मंत्री (श्री रामलखन)—

लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय में दिनांक 17-1-73 से सामूहिक हड़ताल नहीं है। केवल दिनांक 17-1-73 व 18-1-73 को तृतीय एवं चतुर्थ श्रणी के कर्मचारियों ने सामूहिक

आकस्मिक अवकाश लिया था। उनकी मांगों की सूची संलग्न है। ये मांगें शासन के विचाराधीन है।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 902 पर)

श्री राम गोपाल सण्ड—

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मोटी-मोटी बाते हैं, उनको पढ़ दें ताकि सदन को मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो सूची संलग्न कर दी है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

प्रमुख मांगें, मान्यवर, पढ़ दें तो अच्छा हो।

श्री राम लखन—

पहली है कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी के राजकीय कार्यालयों में प्रतिष्ठित किया जाय। दूसरी मांग है कि लेखा संवर्ग में पदोन्नति के मार्ग खोलने, दक्षता-रोक हटाने सम्बन्धी दिनांक 29-12-72 के शासनादेश को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करते हुये उक्त आदेश की प्रतिलिपि संगठन को प्रदान की जाय...

श्री अध्यक्ष—

क्या सब पढ़ेंगे ?

श्री राम लखन—

इसी तरह की मांगें हैं, मान्यवर।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मैं मान्यवर, यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस कार्यालय में तीन वर्ष तक काम करने वाले कितने कमचारी ह। यह उनकी आठवीं मांग है कि जो तीन वर्ष तक काम कर चुके हैं, उनको स्थायी किया जाय। तो शासन ने अभी तक कितने ऐसे कर्मचारियों को स्थायी किया है ?

श्री राम लखन—

स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

वह पूंछ रहे हैं कि कितने अभी तक स्थायी किये हैं।

श्री राम लखन—

मान्यवर, यह तो निश्चित तौर पर बताना सम्भव नहीं है। जो 66 प्रतिशत का नियम ह, उसके हिसाब से कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, यह सवाल जनवरी में पूंछा गया था। मार्च में मैं इनसे पूंछ रहा हूं, लेकिन कितने लोग स्थायी हुये, इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि 66 प्रतिशत के हिसाब से कार्यवाही कर रहे हैं। उनकी हड़ताल को, मान्यवर, इन्होंने समझा-बुझाकर वापस करव,

लिया। इन कर्मचारियों में यह भी मांग रखी थी कि कृषि विभाग के अन्दर पदोन्नति के अवसर दिये जायं। उसके विषय में सरकार में क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री राम लखन--

जहां-जहां उन्होंने मांग किया था, वहां-वहां पदोन्नति के द्वारा भरा जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। मान्यवर, विचार का एक प्रासेस होता है। 9/10 मांगें लें, उनकी। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मांगों में किन-किन मांगों के ऊपर आप सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं ?

श्री राम लखन---

सहायक लेखाकार को लेखाकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साइक्लोस्टायल आपरेटर के पद पर काम करने और दफ्तरी के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये नये उच्च वेतन-मान का सृजन पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह की बातें हैं, मान्यवर। स्थाई करने के लिये बता ही दिया है कि कार्यवाही हो रही है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यहां की यूनियन को प्रधान सेवक को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री राम लखन---

जी हां, निलम्बित कर दिया है। कारण यह था कि अनअथोराइज्ड तरीके से आकस्मिक अवकाश लिया था और आफिस प्रीमिसेज में रोजाना मीटिंग करते थे और नारे लगाते थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आफिस प्रिमिसेज के अन्दर नारे लगाना, मीटिंग करना कौन से विधान के अनुसार अवैधानिक है, जो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन--

आफिस आवर्स में अगर कोई कार्यवाही इस प्रकार की की जायेगी तो अवैधानिक है, इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आडिट सेल का दफ्तर जिस बिल्डिंग में ले जाया गया है उसका कारपोरेशन से असेसमेंट 200 रु0 पर था, जब कि कृषि निदेशालय के अधिकारियों की मकान मालिक से जान-पहचान होन के कारण उसको 2,200 रु0 पर लिया है, तो इसकी जांच कराकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम लखन---

मान्यवर यह मकान आडिट सेल के लिये ही लिया गया था और जहां तक म्युनिसिपल असेसमेंट के खिलाफ लिया गया है, इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि नये मकान जो बनाये जाते हैं, उसमें असेसमेंट के अनुसार देने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के सारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह शिकायत है कि आफीसर्स सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उनसे बेगार लेते हैं, तो क्या एसी कोई व्यवस्था करेंगे कि वह ऐसा न कर सकें ?

श्री राम लखन—

इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करवा लगे।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने जसा कहा कि पदोन्नति के लिये कार्यवाही कर रहे हैं, तो यह कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री राम लखन—

उनकी पदोन्नति की मांग केवल एक है कि सहायक लेखाकार को लेखाकार के पद के लिये पदोन्नति दे दी जाय। उसके आदेश जारी हो गये हैं।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने श्री हिम्मत सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कोई बेगार नहीं ली जाती है तो कर्मचारियों की और मांगों में से एक मांग यह भी है जो छठे नम्बर पर है, जिसके बारे में जो यूनियन के अध्यक्ष श्री अरोरा जी थे उन्होंने मीटिंग की थी जिसके कारण उनको निलम्बित कर दिया गया, तो क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 12–12 और 14–14 घण्टे काम करना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष—

शासनादेश ई-587/उन्तालीस, दिनांक 24 फरवरी के अनुसार विभागीय गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर को गर्म व ठंडे कोट-पैंट दिये जायं।

श्री राम लखन—

मान्यवर, इस पर विचार हो रहा है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, आप तो आठवां पढ़ रहे हैं, मैंने छठा कहा था।

श्री राम लखन—

मान्यवर, इसके विषय में मुझे यह कहना है कि बेगार नहीं ली जाती लेकिन अगर अधिकारी कार्यालय में बैठा है तो उसे भी बैठना पड़ता होगा।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या बच्चों को स्कूल ले जाना, कपड़े छंटवाना, तरकारी मंगवाना, चौकीदारी करवाना, बेगार नहीं समझी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

न तो यह सवाल ही पूछा था और न मांग ही है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज के युग में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी से ओवरटाइम काम लिया जाता है और उसकी एवज में उसे कुछ पे नहीं मिलती। अगर यूनियन के प्रधान श्री अरोरा ने अपने कमचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये कोई मीटिंग की और उसके लिये अधिकारियों ने उन्हें निलम्बित कर दिया तो क्या मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और श्री अरोरा को वापस लेंगे ?

श्री राम लखन--

मैंने पहले भी उत्तर दिया था। श्री अरोरा को आडिट सेल के दफ्तर में जाना था। वह वहां नहीं गये और विभागीय आदेशों का उल्लंघन किया। यह भी उनके खिलाफ एक चार्ज था।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अगर किसी चतुर्थ श्रेणी के द्वारा यह शिकायत प्राप्त हो कि उसके अधिकारी समय से ज्यादा काम लेते हैं और बेगार लेते हैं तो क्या आप उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप शर्तिया सवाल पूछ रहे हैं।

श्री रामकुमार दीक्षित--

अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कोई बेगार नहीं ली जाती। अब श्रीमन्, इसकी क्या पहिचान होगी कि बेगार ली जाती है या नहीं। अगर कोई राज्य कर्मचारी यह शिकायत करे कि उससे बेगार ली जाती है, समय से अधिक काम लिया जाता है तो ऐसे अधिकारी के प्रति कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम लखन--

अगर बेगार लेने की शिकायत आयेगी तो जरूर उसकी जांच करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय सदस्य आठ घंटे से ज्यादा काम लेने पर कार्यवाही करने का आश्वासन चाहते हैं। इस सदन में जो हमारे कर्मचारी हैं वह 8 बजे सुबह आते हैं और 8 बजे रात को जाते हैं। यह माननीय सदस्य, हम और अध्यक्ष जी आप उनसे काम लेते हैं। उन्हें इसके लिये कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता।

श्री रामगोपाल संड--

मैं मैनेजर सिंह जी की बात का समर्थन करता हूं। असेम्बली के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को ओवरटाइम दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैनेजर सिंह जी का जो सवाल है वह अध्यक्ष जी आप से सीधा संबंधित है। अगर यह शिकायत सही है तो उनका भत्ता बढ़ा दें। क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि 200 रु0 के मूल्यांकन का मकान 2,200 रु0 पर लिया गया और जब यह शिकायत उन्हें मिल गयी तो क्या वजह है कि उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से मूल्यांकन का पता लगाने का प्रयास नहीं किया ?

श्री रामलखन--

मान्यवर, इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, हम इनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न लायेंगे। मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया गया कि 200 रु0 के मूल्यांकन का माकन 2,200 रु0 पर लिया गया है। यह कहते हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी। यह जानबूझकर हकीकत पर पर्दा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री को लिख कर दिया । इनके पास वह पहुंच गया होगा यह जरूरी नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मंत्रि मंडल की ज्वाइन्ट रेसपोन्सिबिलिटी होती है । जब शासन को सूचना दी गयी तो यह कैसे कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष---

हो सकता है कि उनके पास यह कागज न पहुंचा हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अब हम सूचना दे रहें हैं । शिकायत यह है कि 200 रु0 के मूल्यांकन का मकान 2,200 रु0 किराये पर लिया गया । क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री राम लखन---

मान्यवर, 2,200 रु0 पर कोई मकान नहीं लिया गया है । आडिट सेल के लिये जो मकान लिया गया है वह 1,250 रु0 पर लिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अभी जायसवाल जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी को सूचना दी गयी और यह कहते हैं कि हमें सूचना नहीं दी गयी । तो क्या आप इस तरह से इस बात को जाने देंगे ? जब कैबिनेट की ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी है तो क्या वे इस तरह से अपनी छुट्टी कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त तो छुट्टी हो ही गयी है जब तक उनसे न पूछा जाय क्योंकि मुख्य मंत्री तो यहां नहीं हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप इतने नरम हैं जिसकी वजह से यह हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न का जवाब उन्होंने दे दिया है । वे कहते हैं कि इनक्वायरी करा लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

ऐसे मामलों के अन्दर क्या जवाब होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

अब यह मैं क्या कहूं ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

आप 15-15 मिनट एक-एक सवाल में लगा देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दी कि वह प्रश्न नहीं उठता-वह गैर मौजू है । उन्होंने कह दिया कि इनक्वायरी करायेंगे ।

रुधौली ब्लाक, जिला बस्ती में ओलावृष्टि से क्षति

**2—श्री मुहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुधौली ब्लाक जिला बस्ती के अन्तर्गत दिनांक 7/8-1-73 को ओला पड़ने से सैकड़ों, ग्रामों की फसल तथा मकानात बिल्कुल बर्बाद हो गये हैं ? फलस्वरूप इसके पचासों हजार व्यक्ति भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ? सरकार ने इस संबंध में इस भयानक अवसर पर गरीब किसानों की क्या सहायता की है ? यदि नहीं तो कितनी व किस प्रकार सहायता करने का विचार कर रही है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

रुधौली ब्लाक में दिनांक 7/8-1-73 को ओलावृष्टि से 126 गांव प्रभावित हुये जिनमें केवल 26 गांवों में 50 से 59 प्रतिशत क्षति हुई इन 26 गांवों में 31,900 रुपया आपदा तकावी वितरित की गयी। किसी भी गांव में फसल पूर्ण नष्ट नहीं हुई और न तो मकानात ही क्षतिग्रस्त हुये। प्रभावित गांवों में अहेतुक सहायता देने का कार्य चल रहा है। महुआर से इटवा तथा रुधौली से चन्द्रशनपुर तक टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं भुखमरी की कोई सूचना नहीं है।

श्री मुहम्मद नबी खां—

माननीय मंत्री जी की सूचना है कि 136 ओले के शिकार हुये हैं और 26 गांवों में 50-59 प्रतिशत नुकसान हुआ है—भुखमरी की कोई शिकायत नहीं है। इसके बरखिलाफ मेरी सूचना को सही मानकर क्या मंत्रीजी इस बात की जांच करवायेंगे कि उन 26 गांवों में शत प्रतिशत फसल का नुक्सान हुआ है और सारे मकानात खपरैल और फूंस के नष्ट भ्रष्ट हो गये हैं ? इन्हीं गांवों में 25 फोसदी लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त मुश्किल से रोटी भी नहीं मिल पाती है। वे बेचारे भूखे रहते हैं। क्या मंत्री पुनः जांच कराकर इन 26 गांव के लोगों को सहायता देंगे ताकि वे इस समस्या का मुकाबिला कर सकें ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

हम इसकी पुनः जांच करायेंगे और जिनको सहायता की जरूरत होगी उनको देने का इन्तजाम कर देंगे।

श्री मुहम्मद नबी खां—

मंत्रीजी ने 2 सड़कों के लिये बताया कि टेस्ट वर्क से बनायी जा रही थीं। इन सड़कों का निर्माण समाप्त हो चुका है। जब तक खरीफ की आगामी फसल पैदा नहीं हो जायेगी तब तक वे लोग भुखमरी के शिकार रहेंगे। क्या माननीय मंत्री जी इसी क्षेत्र में 2 सड़कों का निर्माण कराने की कृपा करेंगे :

(1) पन्डरी से घुसयारी

(2) डिन्डई से घुसयारी

इनकी लम्बाई पांच-पांच मील है। क्या माननीय मन्त्री जी इनको टेस्ट वर्क में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यदि टेस्ट वर्क समाप्त हो रहा है तो हम टेस्ट वर्क आगे चला देंगे। जिन सड़कों के लिये आपने कहा है उनके बारे में देखने के बाद ही निश्चयपूर्वक बतायेंगे।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मेरी सूचना है कि लोग ओलों को रिक्शा पर लाद करके सिटी मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर के बंगले पर ले गये थे और स्वायत्त शासन मंत्रीजी को स्वयं दिखाये थे। रुधौली ब्लाक में ही नहीं बल्कि और ब्लाकों में भी ओले पड़े हैं। क्या माननीय मंत्रीजी इस विषय में फिर से जांच करवायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां के बारे में माननीय विधायक कहेंगे कि वहां के बारे में जांच करा लें वहां जांच करा लेंगे।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

जनवरी के महीने में कुछ खास एरियाज में पांच-पांच व 6 : 6 सेर के ओले पड़े थे और वहां विशेष आपातकालीन स्थिति हो गयी थी। क्या माननीय मंत्री जी वहां पर टेस्ट वर्क के अलावा भी और कोई सहायता करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं और नहीं तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, और भी सहायता की व्यवस्था है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्रीजी ने उत्तर में कहा है कि और भी सहायता की योजना है, तो क्या वह कृपा करके बतलायेंगे कि वह और क्या सहायता है, क्योंकि वह दिखलाई नहीं पड़ती है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, सभी जगह क्या क्या व्यवस्था है इसकी सूचना देने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या राजस्व मंत्रीजी बतलायेंगे कि बस्ती जिले में जो टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं उन को जून तक चालू रखेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, जो टेस्ट वर्क्स शुरू कर दिये गये हैं उनको चालू रखने का इरादा है लेकिन निश्चयपूर्वक तभी कहा जा सकता है जब सेन्टर से भी पूछ लेंगे क्योंकि टेस्ट वर्क्स के काम सेन्टर की सहमति के साथ होते हैं।

शीत गृहों को दी जाने वाली बिजली

**3—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई आदेश जारी किया है कि विद्युत् गृह से 8 किलोमीटर के अन्दर शीतगृहों को 15 घंटा बिजली दी जावेगी, जो अपनी लाइन से लेगा, यदि हां, तो उन शीतगृहों को कौन सी व्यवस्था दी है, जो आठ किलोमीटर से दूर है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

विद्युत परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि जो शीत गृह शहरी क्षेत्रों में हो या जो ग्रामीण क्षेत्र में अलग फीडर से जड़े हों और विद्युत उपगृह से 8 किलोमीटर तक के फासले पर हों और अपनी निजी लाइन बनाने के लिये तैयार हों उन्हें 15 घंटे बिजली दी जावेगी। और जो शीत गृह विद्युत उप-

गृह से 8 किलोमीटर से अधिक के फासले पर हैं और अलग फीडर पर नहीं हो उनके लिये इतने कम समय में लाइन बनवाना कि वह इसी सीजन में चालू हो जांय, संभव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

वन विभाग के वरिष्ठ लिपिक, श्री बी० सी० पांडेय सम्बन्धी मुकदमें के निर्णय का अनुपालन

*1—श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बी0 सी0 पाण्डेय, वरिष्ट लिपिक, वन विभाग बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का निणय उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी, 1970 कर दिया था लेकिन उक्त फैसले का अब तक अनुपालन नहीं किया तथा मुद्दई तनख्वाह तथा और बकाया अभी तक अदा नहीं किया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब इस फैसले का अनुपालन कब हो जायगा ?

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जी नहीं । श्री बी0 सी0 पांडेय को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सेवा से हटाये जाने को तिथि दिनांक 10-5-62 से विभाग में पुनः स्थापित कर दिया गया है । परन्तु मुद्दई को 10-5-62 से, जब से वे सेवा में प्रस्थापित हुये, वतन आदि देने के संबंध में अरण्यपाल, कुमायूं वृत्त द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया की जा रही है :—

1—नये वेतनमानों में उनके वेतन का निर्धारण ।

2—जिस काल में वे सेवा से विमुक्त रहे उस समय में उन्होंने कोई और सेवा तो नहीं की उसकी जांच ।

3—दक्षता रोक को पार करने की प्रक्रिया, इन सब मामलों के शीघ्र निस्तारण हेत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि श्री बी0सी0 पांडेय को किस कारण से विभाग से निकाला गया था और कितन दिन बाद उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया और वह क्या है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, वह बगैर छुट्टी के लिये हुये कई महीने गायब रहे थे और जब ट्रान्सफर किया गया तो वहां जाकर रिपोर्ट नहीं की है ।

श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि हाईकोर्ट ने जो उनके पक्ष में फैसला दिया है उसमें क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

हाईकोर्ट ने अपने फसले में डिपार्टमेन्ट ने जो उनको डिसमिस किया था उसको निरस्त कर दिया है और वह फिर स नियुक्त कर दिये गये हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि जब हाईकोर्ट ने उनका डिसमिस रद्द कर दिया, तो तुरन्त उनको दुबारा कार्य में लिया जा रहा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन, उनको सर्विस में तो ले लिया गया है। जहां तक बकाया का सवाल है उसकी छानबीन हो रही है, जैसे ही तय हो जावेगा, दे दिया जावेगा।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर किया गया था, नहीं गये वहां, इस वास्ते हटा दिया गया, तो यह जो नीति उनकी है वह केवल उन्हीं के लिये है या उनके विभाग में जो अन्य कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही इस तरह की करते हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इस किस्म की जो भी कर्मचारी गलती करेगा उसके साथ यही बर्ताव किया जायगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

यह उनके विरुद्ध कौनसी जांच की जा रही थी, किस वर्ष से किस वर्ष तक की जांच हो रही है ? जिस समय उनको निकाल दिया गया था और 1972 तक का जो समय है इसकी भी उनको तनख्वाह मिलेगी ?

श्री गुलाब सिंह--

जो उनका वेतन शेष है उस संबंध में जांच हो रही है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

आमतौर से यह होता है कि अधिकारी द्वेषभावना से अपने नीचे के कर्मचारियों को डिस्मिस करते हैं और ऐसे मामले जब अदालत में जाते हैं और डिस्मिसल कैंसिल हो जाता है तो ऐसे मामलों में जिनमें गलत डिस्मिसल हुआ ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने अनायास ही डिस्मिस किया था ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

आइंदा ऐसा कोई प्रश्न आयेगा तो जरूर उसकी कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिनाथ तिवारी--

जब उनको रख लिया गया तो अब क्या वेतन की जांच हो रही है, जो बकाया है उसकी जांच क्या हो रही है ?

श्री गुलाब सिंह--

प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित कारणों से जांच की जा रही है--नये वेतनमानों में उनके वेतन का निर्धारण और जिस कार्यकाल में वह डिस्मिस रहे उसमें कहीं और जगह सेवा में तो नहीं रहे, इन्हीं सब की जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न इसलिये उठता है कि 1962 से हटाया गया और उसी सन् से फैसले के बाद नियुक्त कर दिया तो तबसे लेकर अब तक क्या बिला तनख्वाह के रह रहे हैं वह ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

1962 में नहीं किया, जब फैसला 1970 में हुआ और फिर दोबारा 1972 में सेवा में आये हैं तो उसके बाद यह जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

तनख्वाह उनको कुछ मिल रही है या नहीं या बिला तनख्वाह के काम कर रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो अनडिस्पियूटेड क्लेम है उसको दे दें, डिस्प्यूटेड को रख लें।

श्री अध्यक्ष--

कुछ तो मिलना चाहिये।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

कायदे के अनुसार तो जरूर उनको मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--

मिल रहा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

उनकी तनख्वाह मिल रही है।

श्री छांगुर राम--

जिन आरोपों पर डिस्मिसल हुआ, अदालत में जाकर वह गलत साबित हो गये, तो आरोप कोई रह नहीं गया। जहां तक वेतन का सवाल है तो जो वह पाते थे जिस समय उनका डिस्मिसल हुआ उस समय से अब तक का ड्यू है। सीधा-साधा सवाल है। उनका वेतन क्यों नहीं दिया जाता जबकि कोई आरोप नहीं रह गया उनके ऊपर ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मैंने कहा कि वेतन उनको मिल रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

वह कहते हैं कि वेतन नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि एरियर्स उनको मिले या नहीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

उसके बारे में तो पहले ही अर्ज किया कि उसकी जांच हो रही है। उसमें दो तीन चीज हैं। जब जांच हो जायगी तब मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--

मुकदमें का फैसला कब हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

फैसले की तारीख ठीक नहीं मालूम है लेकिन रिइंस्टेटमेन्ट इनका 12-2-70 को हुआ था।

श्री हरी सिंह विष्ट--

जब से वह मुअत्तल हुये उसके बाद दस वर्ष में बहाल हुये। इस बीच में जो भी उनका वेतन, भत्ता था उसके लिये उन्होने लिखा पढ़ी की लेकिन वह नहीं मिला। 1972 के बाद आजतक उन्हें एक पैसा वेतन और भत्ते का नहीं मिला। 25 वर्ष तक सेवा करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उसके बाद भी नहीं मिला। हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर एक कागज गया था कि इनका वेतन तीन दिन में दे दो, लेकिन अधिकारियों ने वेतन नहीं दिया और आप इस बात को छिपा रहे हैं।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

माननीय सदस्य जो कह रहें हैं इसकी मैं जानकारी करा लूंगा और अगर ऐसी बात है तो जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष---

(श्री हरीसिंह विष्ट द्वारा फिर प्रश्न करने के खड़े होने पर) सवाल करने के बजाय आप उनको सूचना दे दीजिये और उनसे यह काम करा लीजिये।

कोड़ा जहानाबाद, जिला फतेहपुर के नसबन्दी शिविर में मार पीट की शिकायत

*2---श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद में कोड़ा जहानाबाद के नसबन्दी शिविर में दिनांक 9-12-72 को श्री पी0 डी0 सिंह, परगनाधिकारी, बिन्दकी ने शिविर क्षेत्र के अन्दर जाकर स्वास्थ्य सहायक श्री छेदालाल (हरिजन) को डण्डे से अकारण ही पीटा और मार डालने की धमकी दी ? क्या इसके विरोध में शिविर के डाक्टरों ने दिनांक 10-12-1972 को पूर्ण रूपेण हड़ताल रखी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चिकित्सा मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

श्री छेदा लाल, स्वास्थ्य सहायक ने जिला स्वास्थय अधिकारी या जिलाधिकरी से ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि उन्हें 9-12-72 को श्री पी0 डी0 सिंह परगनाधिकारी, बिन्दकी ने परिवार कल्याण शिविर के अन्दर डन्डे से अकारण ही पीटा और मार डालने की धमकी दी और न ही ऐसी किसी घटना के विरोध में दिनांक 10-12-72 जो या उसके बाद डाक्टरों ने कोई हड़ताल की।

पी० एम० एस० की सीनियारिटी सूची

*3---श्री उमाकान्त बाजपेई (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पी0 एम0 एस0 सेवा में पिछले 10 वर्षों से सीनियारिटी क्रम (सूची) नहीं बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सूची अनन्तिम रूप से बन गई है।

श्री डी०पी०के० आर० वर्मा, ऐण्टी मलेरिया आफिसर, बांदा के विरुद्ध शिकायत

*4---श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित) तथा श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला के ऐण्टी मलेरिया आफिसर डी0 पी0 के0 आर0 वर्मा द्वारा विभाग में हुए भ्रष्टचार अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायती पत्र श्री दुर्जन भाई सदस्य, विधान सभा का मुख्य मंत्री जी को मिला ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से आरोप थे और किस अधिकारी द्वारा उस पत्र की जांच की गई और बाद जांच संबंधित अधिकारियों के प्रति क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)---

जी हां। श्री दुर्जन भाई का एक शिकायती पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 1972 का मिला है जिसमें लगाये गये आरोपों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

उपयुक्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों के बारे में विभागीय जांच डा0 आर0सी0 अग्रवाल, सहायक निदेशक (मलेरिया) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की गई।

जांच किये जाने के बाद चूंकि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 903 पर)

श्री सियाराम---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच करने पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर 10 आरोप डा0 पी0 के0 आर0 वर्मा, एंटी मलेरिया आफिसर के विरुद्ध माननीय दुर्जन भाई ने लगाकर दिये हैं और जो जांच की गयी है वह निष्पक्ष रूप से नहीं की गयी है इसलिये क्या इन आरोपों की सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द शर्मा---

सी0आई0 डी0 द्वारा तो ऐसे केसेज में जांच करायी जाती है जिनमें किसी तरह का प्राइमा फसी केस नजर आता हो। इसमें तो कुछ है ही नहीं तो सी0 आई0 डी0 की जांच क्या करायी जाय।

श्री हिम्मत सिंह---

इन अरोपों में एक यह भी आरोप है कि वह जीप का उपयोग अपने निजी काम से इलाहाबाद और बांदा जाने में करते थे। तो क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वह कितनी बार इलाहाबाद गये और किस-किस काम से गये ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

इलाहाबाद कितनी दफा गये इसका तो पता लगाना पड़ेगा।

श्री हिम्मत सिंह---

मान्यवर, यही तो आरोप है। इसके लिये इनको तैयार हो कर आना चाहिये था।

श्री सियाराम---

क्या यह सच नहीं है कि डा0 पी0 के0 आर0 वर्मा का घर इलाहाबाद में है और इलाहाबाद में इनकी सम्पत्ति पर मुकदमाबाजी हो रही है जिसकी पैरवी के लिये उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ता था ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

शिकायत में यह लिखा है कि वह इलाहाबाद के रहने वाले हैं और वहां अक्सर जाते रहते हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह इलाहाबाद के नहीं बल्कि फजाबाद के रहने वाले हैं। सम्पत्ति के बाबत शिकायत में नहीं था इसलिये उसकी बाबत पता नहीं लगाया गया।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

यह जांच किस अधिकारी से करायी गयी और क्या उस अधिकारी ने शिकायत कर्ता, दुर्जन भाई का बयान लिया या उन्हें अवसर दिया कि वह उसके बारे में कुछ कह सकें ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

जांच के बारे में तो मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन कर दिया डा0 आर0 सी0 अग्रवाल, सहायक निदेशक (मलेरिया), उत्तर प्रदेश लखनऊ, द्वारा की गयी और उन्होंने दुर्जन भाई से भी बातचीत की। वह उनसे मिले और उनसे पूछा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी माननीय सदस्य के कथन को सही मान कर विजिलेन्स द्वारा इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसमें विजिलेन्स द्वारा जांच कराने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कोई स्पैसिफिक चार्जेज भी माननीय सदस्य ने नहीं बताये हैं।

श्री सियाराम—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रर्ष 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान श्री एम0 पी0 अवस्थी, सहायक यूनिट अधिकारी, बांदा ने रेगुलर कालिज में रहकर एम0 ए0 की परीक्षा पास की जिसकी अनुमति डा0 पी0 के0 वर्मा, एन्टी मलरिया आफिसर ने दी ? यदि हां तो क्या उक्त सहायक यूनिट अधिकारी ने उक्त 1970–71 तथा 1971–72 का वेतन लिया या नहीं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

हां, यह शिकायत है। लेकिन एम0ए0 के क्लासेज 7–10 तक लगते थे और पढ़ने की अनुमति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। इसलिये इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सियाराम—

वेतन उक्त दोनों वर्ष का उन्होंने लिया या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री छांगुर राम—

माननीय दुर्जनराम से पूछ तो लिया जाय कि उनसे बात हुई भी कि नहीं ?

श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

जिस समय जांच के लिये मेरे पास अधिकारी आये उस समय मेरा दिमाग ठीक नहीं था, मेरी लड़की के पेट का आपरेशन होने वाला था, मैंने उनसे कहा कि मुझे मौका दिया जाय और आप फिर मुझसे मिलें। उसके बाद वे मुझसे नहीं मिले।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैंने भी तो यही कहा है कि दुर्जन भाई से मिले थे, मगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक चार्जेज नहीं बताये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं वहां का दौरा करके और माननीय सदस्य दुर्जन जी से बात करके इसकी फिर से जांच करायेंगे क्योंकि पहले माननीय सदस्य का दिमाग ठीक नहीं था, जैसा कि उन्होंने कहा, अब ठीक है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैं तो समझता हूं कि पहले भी ठीक था अब भी ठीक है। वैसे आपको अधिकार हर वक्त हासिल है, जो आप आर्डर करेंगे उसका पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप फिर जांच करा लें।

औषधि नियंत्रक एवं सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति

*5—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश हाल में आया है कि राज्य में औषधि नियन्त्रक एवं सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर किसी तकनीकी व्यक्ति को ही होना चाहिये? यदि हां, तो यह आदेश क्या है और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर की मेसर्स रूपा शर्मा औषधि निर्माण संस्था

*6—श्री राम किंकर (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की एक औषधि निर्माण संस्था मेसर्स रूपा शर्मा केआज तक कितने औषधियों के नमूने फेल हुये और वर्तमान सहायक औषधि नियंत्रक, श्री निरंजन प्रसाद ने उस फर्म पर क्या कार्यवाही की ? यदि कुछ नहीं, तो उसका क्या कारण है, और सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील मेजा (जिला इलाहाबाद) के भूमिहीन हरिजन एवं अधिकतम जोत सीमा कानून से प्रभावित व्यक्ति

*7—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील मेजा के भूमिहीन हरिजनों को अब तक कितने व्यक्तियों को भूमि दी गई है और क्या उस पर अधिकार भी दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*8—श्री विश्राम दास—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसील में अधिकतम जोत सीमा कानून में कितने लोगों को प्रभावित किया है और कितने को लाभ होगा ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विश्राम दास—

सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे अभी सूचना मिली है कि सूचना आ गयी है । इसे अगले शुक्रवार के लिये आप रख दें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

[दिनांक 16 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1— श्री रामगोपाल संड—

[9वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्राथमिक हेल्थ सेन्टरों के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल

*2—श्री रामगोपाल सण्ड (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के प्राथमिक हेल्थ सेन्टर के लगभग 5 1/2 हजार कर्मचारी अपनी मांग के लिये जिनमें स्थायीकरण, समान काम के लिये समान वेतन आदि है, प्रदेश व्यापी प्रदर्शन तथा सभायें दिनांक 16 सितम्बर, 1972 से 21 सितम्बर, 1972 तक करने का निश्चय किया है? यदि हां, तो सरकार को इन हजारों कर्मचारियों को स्थायी करने तथा उनकी अन्य मांगों को पूरा करने में क्या कठिनाई है?

श्री अमदत्त वैद्य—

जी हां । 20-9-1972 को संघ के पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी से मिले थे और वार्ता से सन्तुष्ट होने पर उन्होंने प्रस्तावित हड़ताल व धरना की नोटिस वापस ले लिया था । इनके मांगों की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 904 पर)

डिप्टी एस० पी०, सर्किल तिलहर (शाहजहांपुर) द्वारा हिरनों के परिवार का कत्ल

*3—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मन्त्री को पता है कि डिप्टी एस0 पी0, सर्किल तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने सितम्बर, 1972 में ग्राम मझरा, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं में जाकर दसियों काले हिरनों के परिवार का कत्ले-आम किया जिसके फलस्वरूप अनेक हिरनी, बच्चे जख्मी हुए और बाद में उन्होंने दम तोड़ा? यदि हां, तो क्या मन्त्री ने इस बात की जांच मौका पर करायी तथा गांव वालों से पूछ-ताछ की ? यदि हां, तो उपरोक्त पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गुलाब सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

दोबारा तो प्रश्न आयेगा ही लेकिन.....

श्री अध्यक्ष—

आज सूचना यह ज्यादा एकत्र कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

चूंकि यह मामला डिप्टी एस0 पी0 का है दरोगा बराबर वहां जा कर तंग करता है कि गवाही न दो और यह 24-10-72 का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे पुलिस का दबाव खत्म हो जाय, निष्पक्ष जांच हो जाय ।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

डी० आई० जी० के जरिये से इनक्वायरी करायी जा रही है जसे जांच हो जायगी माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे देंगे।

शाहजहांपुर का टेस्ट वर्क

*4---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जनपद की राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1972 में 2 लाख रुपया टेस्ट वर्क हेतु भेजा है ? यदि हां, तो टेस्ट वर्क कहां-कहां शुरू किया गया ? तथा राजस्व उपमन्त्री ने अक्तूबर, 1971 में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर टेस्टवर्क किस इलाके में शुरू करने का आदेश जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिया है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

जी हां, टेस्ट वर्क के लिये 2 लाख रुपया आवंटित किया गया था। जिलेमें कोई टेस्ट-वर्क नहीं चलाया गया परन्तु त्वरित योजना एवं लिंक रोड निर्माण के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों पर काम चलाया गया और अभी चल रहा है:---

1---निगोही तिलहर रोड

2---तिलहर जैतिपुर रोड

3---पुवायां नाहिल रोड

4---धारा रेलवे धोडर रोड

5---बादशाहनगर कहेलिया रेलवे रोड

शासन ने हाल में जिला अधिकारी को आदेश दिया है कि खेड़ा बझेंड़ा क्षेत्र में टेस्ट वर्क तुरन्त चालू कर दें।

राजस्व उपमन्त्री द्वारा अक्तूबर, 1971 में किसी भी इलाके में टेस्ट वर्क चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

1971 जो लिखा है, शायद मुझ से गलती हो गयी हो। पत्र 1972 में लिखा गया था। क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जब निश्चित आदेश दिया कि टेस्ट वर्क शुरू कर दें तो आज तक उस आदेश का पालन शाहजहांपुर के जिला अधिकारी ने क्यों नहीं किया ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, मैंने तो आप का जो अभी पत्र प्राप्त हुआ था उस पर वायरलेस से आर्डर किया है आप तुरन्त चालू कर दीजिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं 5-2-73 को जिला अधिकारी से मिला था। उन्होंने कहा कि उसी हालत में शुरू कर सकते हैं जब गवर्नमेन्ट स्टाफ दे, तो आप स्टाफ देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उन्हें स्टाफ रखने की भी इजाजत दे दी गयी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

पूछ लें तो फिर क्यों कहा कि गवर्नमेन्ट स्टाफ दे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

ओवरसीयर की कमी हो रही है। ओवरसियर उनको नहीं मिल पाये। लेकिन यदि माननीय सुरेन्द्र विक्रम को ओवरसियर मिल जायं तो उनको वहां रखवा देंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

54 जिलों में प्राप्त हो सकते हैं वहां प्राप्त नहीं हो सकते। अगर आप नियुक्त कर लें तो ओवरसियर लें आयें।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने निवेदन किया कि उनको इस बात की इजाजत दे दी गयी है कि ओवरसियर रखलें। उन्होंने कह दिया है कि ओवरसियर जैसे मिल जायगा, रख देंगे। ओवरसियर बिना मिले जहां आप चाहते हैं आरम्भ करवा दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

नहीं हुआ आरम्भ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि टेस्ट वर्क कई हिस्सों में होता है, सड़क और नालियों पर भी होता है, जिन सड़कों पर टेस्ट वर्क हो रहा है उन्हें पक्का करने का भी विचार है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इरादा तो है लेकिन संसाधनों पर मुनहसिर होगा कि करवा पायेंगे या नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री यह देखते हुए कि समूचे प्रदेश में सिविल ओवरसियर अवेलेबिल नहीं है, हर जगह के अधिकारियों ने सरकार से इजाजत मांगी है कि मेकेनिकल ओवरसियर रखने की इजाजत दी जाय, इसके ऊपर विचार करके इस किस्म का आदेश पूरे प्रदेश में जारी करेंगे कि मेकेनिकल ओवरसियर रख कर काम चलाया जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

विचार कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मन्त्री जी ने बताया कि कार्य आरम्भ करवा दिया गया है मैं इससे घोर असहमति प्रकट करता हूं। परसों तक कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ था। क्या वह इसकी जांच करवायेंगे, कैसे जिलाधिकारी ने लिख दिया ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने उत्तर इस आधार पर दिया कि निश्चित आदेश दे दिये हैं कि यह टेस्ट वर्क चालू कर दिया जाय। अगर नहीं किया है तो फिर से दरियाफ्त कर लूंगा।

आगरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में अनियमितताओं की शिकायत

*5---श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष आगरा में बाढ़ पीड़ितों को कितना रुपया प्रति परिवार मकान बनाने को दिया गया और कितना रुपया अनुदान के रूप में तथा कितनी तकावी में वितरित की गई ? यह रुपया किस-किस तहसील में और कब दिया गया ? क्या सरकार को इस रुपये के वितरण के सम्बन्ध में कुछ घपला होने की शिकायत मिली है ? अगर हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इन शिकायतों पर की है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

आगरा में बाढ़ पीड़ितों को प्रति परिवार 100 रुपये से 200 रुपये तक गृह निर्माण सहायता, 75 रुपये से 100 रुपये तक अहेतुक सहायता तथा 250 रुपये से 500 रुपये तक आपदा तकावी के रूप में निम्नलिखित धनराशि तहसीलवार दिनांक 19—8—72 से अक्तूबर, 1972 तक वितरित की गयी:—

तहसील का नाम		गृह निर्माण सहायता	अहेतुक सहायता	आपदा तकावी
1—किरावली	..	9,13,628	3,72,957	11,93,000
2—खैरागढ़	..	1,01,915	62,878	4,40,000
3—आगरा	..	68,000	29,596	1,65,000
4—फतेहाबाद	..	11,020	3,400	1,17,500
5—बाह	..	14,925	8,916.25	70,280
6—किरावली तथा खैरागढ़ के बाढ़ क्षेत्रों में दी गयी सामग्री	..	2,511.75	17,357.22	..
योग	..	11,11,999.75	4,95,104.47	19,85,780

रुपये के वितरण कार्य में केवल तहसील किरावली में अनियमिततायें बरती जाने की शिकायत मिली है जिसके फलस्वरूप उक्त तहसील के 2 नायब तहसीलदार को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जांच चल रही है इसके अतिरिक्त 2 लेखपालों के विरुद्ध भी विभागीय कायवाही करके उन्हें दंडित किया गया है।

*6—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, 1972 की आगरा में आयी बाढ़ के समय मुख्य मन्त्री जी न बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया था क्या बाढ़ पीड़ितों तथा अन्य लोगों को उन्होंन यह आश्वासन दिया था कि बाढ़ में हुई जन-धन की हानि के लिये एक विस्तृत जांच करायेंगे और उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने लापरवाही की है ? क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर जांच कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां, मुख्य मन्त्री जी ने तहसील किरावली के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। बाढ़ से जनधन की हानि के संबंध में जांच की गयी परन्तु कोई कर्मचारी, अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। सहायता वितरण में हुई अनियमितता को जांच के फलस्वरूप की गई कार्यवाही का उल्लेख प्रश्न 5 के उत्तर में कर दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

अनियमितताओं के अन्तर्गत दो तहसीलदार तथा लेखपालों को मुअत्तल किया गया। मेरा आरोप जिलाधीश पर भी अनियमितता के सम्बन्ध में था लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की गयी और न कोई कार्यवाही की गयी। ऐसा क्यों हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो शिकायत की गयी थी उसकी जांच कराई गई थी और जांच में दो नायब तहसीलदार तथा दो लेखपाल दोषी पाये गये और उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। शेष लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि वे दोषी नहीं पाये गये।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मैं शिकायतकर्ता था लेकिन जांच के सम्बन्ध में मुझ से कोई पूछतांछ जिलाधीश के सम्बन्ध में नहीं की गयी। लिहाजा शिकायतकर्ता की बात सुनने के लिये क्या दुबारा जांच कराई जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यहां शिकायत सुनने की बात नहीं है। जो शिकायती-पत्र था उसके हिसाब से जिला मैजिस्ट्रेट की जांच की गयी।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

जो दो नायब तहसीलदारों के खिलाफ कार्यवाही की गयी वह तो मैंने प्रश्न उठाया था, तो की गयी। मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही स्वयं इस सम्बन्ध में की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह परिहार और माननीय हुकुम सिंह जी, दोनों साहबान किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ जांच कराना चाहें तो किस-किस अधिकारी के खिलाफ कौन कौन शिकायतें हैं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। यदि वे पुनः जांच कराना चाहते हैं तो कृपा करके लिख कर दे दें, मैं फिर जांच करा दूंगा।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

किरावली ब्लाक के फतेहाबाद और खैरागढ़ के 20 आदमियों से रुपये की प्राप्ति का हस्ताक्षर करा लिया गया लेकिन आज तक वह रुपया नहीं मिला, इस सम्बन्ध में मैंने तहसीलदार, किरावली और जिलाधीश से भी लिख कर निवेदन किया परन्तु अब तक उसका कोई पता नहीं लगा कि वह रुपया कहां गया। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कृपा करके लिखित भेज देंगे तो जरूर जांच कराऊंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब शिकायतकर्ता ने जिला मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत की थी, तो अभी जो आपने जवाब दिया है कि जांच करवायी गयी, तो आपने किसके द्वारा जांच करवायी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यदि आप इस प्रश्न के प्रारूप को देखें तो इसमें कहीं नहीं है कि जिलाधिकारी के खिलाफ जो शिकायत की गयी थी उसमें क्या हुआ ? इसलिये माननीय शास्त्री जी के जवाब के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उसकी जांच करायी गयी है। जब माननीय हुकुम सिंह का आरोप जिलाधिकारी के विरुद्ध था तो जांच करते समय

उस आरोप के प्रमाण के लिये उनको समय नहीं दिया गया और उनका बयान तक नहीं लिया, इस बात को देखते हुए माननीय मन्त्री महोदय, फिर से किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे जिससे आरोपकर्ता को समय मिले ताकि वे उस आरोप के सम्बन्ध में प्रमाण उपस्थित कर सकें ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय हुकुमसिंह लिख कर दे देंगे तो उसकी फिर जांच करा लेंगे और उनको फिर से उसमें जरूर पूछेंगे ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

अभी भी अनियमिततायें चल रही हैं, तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी इसकी जांच करने का आदेश देंगे कि जो सहायता प्रार्थियों को दी गयी थी, लगान के साथ उसकी वसूली की जा रही है और इसको देखते हुए क्या वे अधिकारियों को आदेश देंगे कि जो बाढ़पीड़ितों को सहायता दी गयी थी उसको पुनः वापस लेने की या वसूल करने की चेष्टा करना गलत है इसलिये इसको तुरन्त स्थगित किया जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह कौन सी सहायता है जिसे फिर वापस लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ सहायता ऐसी होती है जो वापस नहीं की जाती । तो अगर माननीय हुकुमसिंह जी लिख कर दें तो उसका पता लगा लेंगे और उसकी जांच भी करायेंगे ।

*7–8—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

जिला स्वस्थ्य अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*9—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद स्वास्थ्य अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश इस वर्ष मई, 1972 के बाद हुआ और 15 दिसम्बर, 1972 तक स्थगित हुआ ? इनमें प्रत्येक के विषय में बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण क्यों रोक दिया गया?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बाराबंकी में कार्यरत 5 कर्मचारियों के इस वर्ष मई, 1972 के बाद स्थानान्तरण किये गये और 15–12–72 की अवधि में स्थगित हुए । इनमें से प्रत्येक के स्थानान्तरण स्थगित करने के निम्न कारण हैं:—

1—श्री एस० ए० एच० नकवी, ज्येष्ठ लिपिक के पिता की मृत्यु व बच्चों की शिक्षा ।

2—श्री साकिर अली, प्रधान लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में व्यवधान ।

3—श्री चौधरी मोहम्मद मसूद, सहायक संक्रामक रोग अधिकारी उनकी पुत्री की दुर्घटना व पुलिस केस होना ।

4—श्री एस० रहमान, हेल्थ सुपरवाइजर की पत्नी की बीमारी ।

5—श्री यू० एन० किरमानी, पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट प्रशासनिक कारण ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये पांचों कर्मचारी इस बाराबंकी स्वास्थ्य कार्यालय में कितने सालों से हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इसकी जांच करायेंगे कि ये लोग 15/20 साल से यहीं पर हैं और इनके कारण कोई डाक्टर वहां टिक नहीं पाता है, उनका एक गुट बना हुआ है और उन्होंने मामूली कारणों से ही अपना स्थानान्तरण रुकवाया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि 4 और 5 का स्थानान्तरण हो गया है और 1, 2 तथा 3 का स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण के समय कर दिया जायगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि वार्षिक स्थानान्तरण एक आध महीने बाद होने वाले हैं उस समय इनका स्थानान्तरण कर दिया जायगा ।

कोटाबाग (नैनीताल की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—

*10—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला नैनीताल के कालाढूंगी तहसील के अन्तर्गत कोटाबाग (आंवलाकोट) सार्वजनिक स्थान में कतिपय लोगों ने नाजायज कब्जा कर मकान बना लिये हैं और खेती भी कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इन नाजायज कब्जों को बेदखल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम आंवलाकोट (कोटाबाग) के खसरा नम्बर 537/2 मि0 में 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर सर्वश्री भवानी दत्त, देव सिंह तथा गोपाल दत्त ने नाजायज कब्जा कर पक्के मकानों का निर्माण कर लिया है । इन तीनों अनाधिकृत कब्जों के विरुद्ध बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत परगनाधिकारी भावर, हल्द्वानी के न्यायालय में 15 नवम्बर, 1972 से मुकदमे चले हुए हैं । शेष भूमि पर खेती नहीं की जा रही है ।

अलीगढ़ जांच आयोग के पैरवीकार, श्री हरदयाल गुप्ता

*11—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक 2 मार्च, 1971 को अलीगढ़ में हुए दंगों की आयोग द्वारा जांच के दौरान सरकार ने आयोग के समक्ष सरकारी पक्ष रखने के लिये स्थानीय एडवोकट, श्री बी0 आर0 धवन को वकील नियुक्त किया था ? और क्या यह भी सच है कि इनके अतिरिक्त एक और वकील, श्री हर दयाल गुप्ता को भी सरकार ने 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से नियुक्त किया और श्री गुप्ता को कुल 50,000 रु0 पारिश्रमिक के रूप में दिया जब कि आयोग ने श्री बी0 आर0 धवन के बने रहने की अवस्था में वैधानिक रीति से श्री हरदयाल गुप्ता को आयोग के समक्ष पैरवी करने की स्वीकृति ही नहीं दी? यदि हां, तो श्री गुप्ता को 50,000 रु0 का भुगतान करने का क्या कारण है?

न्याय मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी नहीं। अलीगढ़ जांच आयोग के सम्मुख श्री बी0 आर0 धवन को जिला प्रशासन की ओर से पैरवी करने के लिये जूनियर विशेष अधिवक्ता तथा श्री हर दयाल गुप्ता को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पैरवी करने के लिये विशेष अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री गुप्ता की नियुक्ति रु0 220 प्रति दिन तथा 3 घंटे या उससे कम कार्य के लिये आधी फीस की दर से हुई थी तथा अभी तक उन्हें कुल रु0 24,200 की धनराशि का भुगतान किया गया है। शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि आयोग ने श्री धवन के बने रहने पर श्री गुप्ता को आयोग के समक्ष पैरवी करने की स्वीकृति न दी हो।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब श्री बी0 आर0 धवन को आयोग के समक्ष सरकारी पक्ष को रखने के लिये नियुक्त किया गया था तो किन कारणों से श्री हरदयाल गुप्ता को वकील नियुक्त किया गया और उनको 24,200 रुपये अदा किये गये?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री बी0 आर0 धवन को जिला प्रशासन ने नियुक्त किया था मगर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिये श्री हरदयाल गुप्ता को नियुक्त किया था।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, सूचना यह है कि श्री बी0 आर0 धवन के बने रहने की स्थिति में आयोग ने कह दिया था कि श्री धवन के बने रहने पर श्री गुप्ता पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते तो मैं जानना चाहता हूं कि आयोग के सामने जितनी सिटिंग्स हुई उनमें श्री हरदयाल गुप्ता ने कितनी सिटिंग्स में भाग लिया?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर इतनी डिटेल्ड सूचना नहीं है किस-किस वकील ने किस-किस सिटिंग में भाग लिया। लेकिन दोनों वकीलों ने पैरवी की।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, अभी तक श्री गुप्ता को 24,200 रुपये दिये गये हैं क्या इसके अलावा और धनराशि उनको देय है, यदि हां, तो कितनी?

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, प्रश्न स्थगित कर दिया जाय।

श्री कल्याण सिंह—

जनता की गाढ़ी कमाई का 50,000 रुपया अपनी पार्टी के आदमी को दे दिया गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इसमें एक और बात निकलेगी कि सरकार ने यह भी मालूम कर लिया है कि पुलिस ने इस में झूठे डाकूमेन्ट्स दायर किये थे और मुकदमा कायम है 16 कर्मचारियों के खिलाफ और मुकदमा ठप्प किया गया है। इसलिये इसको आप स्थगित कर दें।

श्री बलराम सिंह यादव—

5280 रुपये देने को शेष रह गये हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या जिला अधिकारी ने जो श्री बी0 आर0 धवन की नियुक्ति की थी, क्या वह सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे?

श्री बलराम सिंह यादव—

शासन को तो वह रिप्रिजेन्ट करते थे लेकिन चूंकि मामला इतना गंभीर था इसलिये आवश्यक समझा गया कि शासन की ओर से भी एक वकील की नियुक्ति की जाय ।

*12—श्री चन्द्रपाल आजाद—

[मा0 सदस्य के निधन के कारण निरस्त ।]

तहसील तरबगंज (गोंडा) के रोड चक पर अनधिकृत कब्जा

*13—श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तरबगंज, परगना ग्वारिच, जिला गोण्डा के अन्तर्गत मौजा कचनापुर के ग्राम, पंचमपुरवा व अन्य ग्रामों के लोगों ने क्या रोड चक पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उन लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील तरबगंज, परगना ग्वारिच, जिला गोण्डा के अन्तगत मौजा कचनापुर के ग्राम, पंचमपुरवा में चकरोड पर ग्राम कचनापुर के कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा उनका अनधिकृत कब्जा समाप्त करने के लिये धारा 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

सिविल अस्पताल , मेरठ की नर्स के ऊपर तेजाब फेंका जाना

*14—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री जईद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को मालूम है कि माह नवम्बर सन् 1972 में कुछ लोग सिविल अस्पताल, मेरठ में घुस गये और एक 20 साल की नवजवान नर्स पर तेजाब फेंका जिसकी वजह से वह बहुत जख्मी हो गयी ? यदि हां, तो विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी थी जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

कसमा जिला देवरिया, स्थित न्यायालय का कमरा

*15—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या यह सही है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाटा, जिला देवरिया का कसया, जिला देवरिया स्थित न्यायालय का कमरा जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा बन्द कर दिया गया है और जिला जज, देवरिया के आदेश होने पर भी नहीं खोला गया? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत न्यायालय वर्ष 1968–69 में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार अनिश्चित काल के लिये समाप्त कर दिया गया था, किन्तु उसके बाद भी प्रश्नगत कमरा, जो राजस्व विभाग के भवन का ही अंग है, जिला जज के ही कब्जे में, बिना उपयोग के खाली पड़ा रहा । देवरिया जिले के पड़रौना एवं हाटा के दो राजस्व अधिकारियों के न्यायालय के लिये इस कमरे

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

की मांग की जाने पर भी जब यह कमरा जिलाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया तब इसमें जिलाधिकारी ने अपना भी ताला लगवा दिया और शासन से आदेश मांगे कि मामले में आगे क्या कार्यवाही की जाय। इसी बीच, मई, 1972 से वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय का सृजन हो गया, जिसके प्रयोगार्थ प्रश्नगत कमरा जिला जज को उस समय तक के लिये जब तक कि जिला जज उक्त न्यायालय के हेतु अन्यत्र कोई भवन बनवा न ले, दे दिया जाने के आदेश जिलाधिकारी को प्रसारित किये जा चुके हैं।

*16—श्री सर्वसुख सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

लखनऊ के बाढ़ क्षेत्रीय विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क की वापसी

*17—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री नेतराम सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की भीषण बाढ़ के कारण लखनऊ नगर के विद्यालयों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के जिन विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकारी आदेशानुसार उनके शिक्षा शुल्क को क्षमा करक वापस उनको किया जाना था उनमें से ऐसे कितन विद्यालय हैं जहां के छात्रों द्वारा वांछित जांच कराके दिये गये आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर भी उन्हें दिनांक 15 अक्तूबर, 1972 तक शिक्षा शुल्क की जमा की गई धनराशि वापस नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों और जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

फीस माफी की सुविधा सभी विद्यालयों के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये थी। लखनऊ नगर का ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिनके विद्यार्थियों को वांछित जांच करा कर आवेदन-पत्र देने के बाद भी फीस माफ न की गयी हो। शेष प्रश्न नहीं उठता।

मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर की ग्राम सभाओं के जंगल

*18—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर की ग्राम सभाओं के जंगलों का नीलाम अप्रल, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक किन अधिकारियों द्वारा किया गया व किन-किन अधिकारियों के आदेश से पेड़ काटे गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अप्रैल, 72 से दिसम्बर 72 तक जिला सुल्तानपुर तहसील मुसाफिरखाना की ग्राम सभाओं के जंगलों का कोई निलाम किसी राजस्व अथवा वन विभाग के अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और न किसी अधिकारी ने पेड़ काटने के आदेश ही दिये हैं।

ग्राम सभा, निगाई तथा नकतवार, जिला मिर्जापुर के टेस्ट वर्क्स में अनियमितताओं की शिकायत

*19—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा निगाई तथा नकतवार, ब्लाक चोपन, जिला मिर्जापुर में गत वर्ष 1972 में चलाये गये टेस्ट वर्कों में किये गये, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त ग्राम सभाओं के प्रधानों ने कोई शिकायती-पत्र सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, दो शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच कराने पर शिकायतें निराधार पाई गयीं।

तहसील चकराता, जिला देहरादून के ग्रामों में सोयम जंगल की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*20—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री को यह विदित है कि ग्राम पेनुआ, सनोई डुगटी, खत लखनऊ परगना जौंनसार बावर, तहसील चकराता, जिला देहरादून में सोयम जंगल की जमीन पर कुछ लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो उन व्यक्तियों का क्या नाम है? और उनकी बेदखली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। ग्राम पेनुआ एवं डुगटी में क्रमशः 1–15 व 7–69 एकड़ भूमि वन भूमि पर नाजायज कब्जा है। उनका उल्लेख ग्राम खतौनी में अंकित है। जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनकी सूची संलग्न है। उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध बदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 906 पर)

कुबेरनाथ अस्पताल, देवरिया में डाक्टर की पोस्टिंग

*21—श्री रामनगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि पड़रौना ब्लाक के कुबेर नाथ अस्पताल में आज तक डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, इस पोस्टिंग हेतु किसी विधायक ने लगभग चार मास पूर्व पत्र भी दिया था? यदि हां, तो क्या कारण है कि आज तक डाक्टर नहीं भेजा गया ? और अब कब तक डाक्टर भेजा जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रथम भाग—

जी हां।

द्वितीय भाग—

शासन को कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

तृतीय भाग—

पड़रौना ब्लाक के कुबेर नाथ अस्पताल में डाक्टर के पद का सृजन नहीं हुआ है अतएव डाक्टर की तैनाती का प्रश्न नहीं उठता। पद का सृजन हो जाने पर डाक्टर की तैनाती सम्भव हो सकेगी।

चकबन्दी अधिकारी, सरोजनी नगर जिला, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*22—श्री राम निहोर राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरोजनी नगर, लखनऊ में तैनात चकबन्दी अधिकारी के भ्रष्टाचरण, ग्रामीण कृषकों के साथ अन्याय तथा पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में माह नवम्बर, दिसम्बर, 1972 में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार सरोजनी नगर, लखनऊ में तैनात चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध इस आशय का एक-एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिला उप संचालक (चकबन्दी), लखनऊ

तथा चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ था। उपरोक्त दोनों शिकायती प्रार्थना पत्रों में लगाये गये आरोप जांच के फलस्वरूप निराधार पाये गये। अतः किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

बांदा का स्टेडियम निर्माण कार्य एवं स्टेडियम भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*23—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा में कब तक स्टेडियम का निर्माण पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बांदा में स्टेडियम निर्माण कार्य जून, 1973 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

*24—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या मन्त्री को यह जानकारी है कि उक्त पब्लिक यूटीलिटी स्टेडियम की भूमि पर अवैधानिक अतिक्रमण हो रहा है? और क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि यह अवैधानिक अतिक्रमण पूर्व नियोजित था ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्टेडियम की भूमि के एक कोने पर पं० जवाहर लाल नेहरू कालेज, बांदा का भूमि के हस्तांतरण से पहले ही अनधिकृत कब्जा साइकिल स्टैन्ड के रूप में था। कालेज द्वारा भूमि पर कुछ निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया था। जिला अधिकारी ने उसे बन्द करा दिया।

जौनपुर जिले में राजस्व-कर संग्रह विभाग के चपरासियों की वार्षिक वेतन वृद्धि

*25—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत केराकत, जौनपुर, मडियाहूं, शाहगंज तथा मछली शहर तहसील के राजस्व कर संग्रह विभाग में कार्यरत चपरासियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि पिछले कई वर्षों से रुकी हुई है ? यदि हां, तो वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस समय किसी भी संग्रह चपरासी की वेतन वृद्धि नहीं रुकी है।

घुरपाटा, जिला पिथौरागढ़ के हरिजन परिवारों की भूमि

*26—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ के ग्राम घुरपाटा (किरोली) के अन्तर्गत लगभग 40 हरिजन परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम घुरपाटा (किरोली) में कुल 46 हरिजन परिवार निवास करते हैं। इनमें से 18 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। अन्य परिवारों के पास भूमिधरी भूमि नहीं है किन्तु सीरदारी तथा उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि पर वे लोग काबिज हैं। भूमिहीन हरिजन परिवारों को देने हेतु प्रश्नगत ग्राम में तथा आस-पास के अन्य किसी ग्राम में इतनी सिविल बेनाप भूमि उपलब्ध नहीं है कि कोई व्यवस्था की जा सके।

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर जमींदारी विनाश अधिनियम

*27—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत टाउन एरिया राबर्ट्स गंज, मिर्जापुर की जमीदारी समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं ।

राबर्ट्सगंज टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थित कृषि क्षेत्र के परिच्छेद का पुष्टिकरण अभी आयुक्त, वाराणसी द्वारा नहीं हो सका है । इस पुष्टिकरण के बाद ही कृषिक्षेत्र में मध्यवर्तियों के अधिकार समाप्त किये जा सकेंगे ।

मलेरिया विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिक पद पर कार्यरत कर्मचारियों के अनिर्णीत सेवा निरन्तरता एवं वेतन निर्धारण

*28—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी सन् 1966 में जिन चेचक निरीक्षकों का पद समाप्त किया गया था उनमें से अधिकतर मलेरिया विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिक के पद पर नियुक्त किया गया है किन्तु उनके कार्य के निरन्तरता को कायम करके सभी का वेतन-मान का निर्धारण अब तक नहीं किया गया है ? (केवल कुछ का किया गया है) यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

1966 के छटनी शुदा चेचक निरीक्षकों, जिन्हें मलेरिया विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिक एवं लिपिक के पदों पर विलीन किया गया, उन सभी की सेवा निरन्तरता एवं वेतन निर्धारण का मामला अभी निर्णित नहीं हुआ है । यह मामला वित्त विभाग के परीक्षण में है ।

खाखापुर (प्रतापगढ़) के काश्तकारों की चकों के बारे में शिकायत

*29—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में खाखापुर ग्राम के काश्तकारों ने पुनः चकबन्दी कराने के लिये दिनांक 12 अप्रैल, 1972 तथा 14 जुलाई, 1972 को राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की सेवा में राज्य मंत्री, श्री श्याम सूरत उपाध्याय की संस्तुति से गर्भित प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । चकों के बारे में जो शिकायतें की गई थीं वे जांच के फलस्वरूप निराधार पायी गयीं । ग्राम में पुनः चकबन्दी कराने की आवश्यकता नहीं पायी गयी । चक मार्गों व गलों की व्यवस्था की जा रही है ।

*30—श्री रामदेव—

क्या राजस्व मंत्री को यह भी जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत खाखापुर की चकबन्दी काश्तकारों पर खर्चा बांध कर पुनः की जाय का आदेश किया जा चुका है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब खाखापुर ग्राम की चकबन्दी पुनः कराकर अपने आदेश का कार्यान्वयन करायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं ।

ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है । अतः उसके कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठाता ।

कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल में पर्यटन उद्योग की स्थापना

*31--श्री हरी सिंह विष्ट--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नई कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल में पर्यटन उद्योग की स्थापना की कोई योजना शासन ने बनाई है ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्या ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने चतुर्थ पचवर्षीय योजना में पर्यटकों की सुविधा के लिये कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों में आवास गृहों व यात्री छादकों के निर्माण की योजना बनाई है। निर्माण कार्यों की सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 907 पर)

गोरखपुर के संग्रह अमीनों एवं लेखपालों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*32--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री दिनांक 12 फरवरी, 1973 के नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 20 के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिन संग्रह अमीनों एवं लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं उनके अलग अलग-नाम एवं पते क्या हैं तथा किनके-किनके विरुद्ध शिकायतों की जांच चल रही है ? क्या यह भी सत्य है कि श्री रणधीर सिंह, लेखपाल सदर के विरुद्ध इधर प्रश्न होने के बाद गुप्तचर विभाग को जांच करने के आदेश किसी शिकायती-पत्र पर जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जिन आठ संग्रह अमीनों तथा चार लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं थीं उनके नाम एवं पते संलग्न सूची में अंकित हैं। इनमें से सर्वश्री राज बहादर सिंह (प्रथम) तथा राम सरत, यादव संग्रह अमीन, तहसील बांसगांव तथा श्री बृन्दाबन लाल, लेखपाल, तहसील बांसगांव के विरुद्ध जांच जारी है। श्री रणधीर सिंह, लेखपाल सदर के विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा जांच के कोई आदेश जारी नहीं किये गये ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 908 पर)

श्रीमती ऐशबीबी, वर्डपुर (बस्ती) के पति की नसबन्दी से मृत्य

*33--श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद) तथा श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती ऐशबीबी, निवासिनी, बर्डपुर, थाना मोहाना, जिला बस्ती का एक प्रार्थना-पत्र उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई कि उसके पति को ग्राम सेवक ने नौगढ़ ले जाकर 1 जनवरी, सन् 1973 को नसबन्दी करा दी जिससे उनकी तबियत इतनी खराब हो गई कि 8 जनवरी, को उनकी मृत्यु जिला अस्पताल, बस्ती में हो गई है और उसके प्रार्थना करने पर भी लाश उसके घर नहीं पहुचाई गई ? क्या उसने यह भी शिकायत की है कि लाश देने के बहाने उसको नौगढ़ बुलाया गया और जबरदस्ती उससे दो जगह निशानी अंगूठा लगवा लिया गया और लाश तब भी नहीं दी गई ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां ।

इस मामले में मजिस्टीरियल जांच कराई गयी । तथ्य निम्न प्रकार पाये गये:—

श्रीमती ऐश बीबी के स्वर्गीय पति, श्री झिन्नू, पुत्र श्री कुरक्कट निवासी, ग्राम बड़ंपुर नम्बर 3 टोला, मौसिहा, जिला बस्ती की नसबन्दी दिनांक 1 जनवरी, 1973 को परिवार नियोजन शिविर, नौगढ़ में हुई थी । और उसी दिन वह अपने घर वापस चले गये थे । दिनांक 5 जनवरी, 1973 को वह अपने घर बेहोश हो गये और उनको निमोनिया की बीमारी भी हो गई । उनको उनके घर से लाकर जिला अस्पताल, बस्ती में भर्ती कराया गया और दिनांक 8 जनवरी, 1973 को प्रातः उनकी मृत्यु हो गई । श्री झिन्नू की मृत्यु का कारण ठंडक तथा निमोनिया अथवा उनका डायबेटिज का मरीज होना हो सकता है ।

2—यह सही है कि मृतक की लाश उनकी पत्नी को दिनांक 8 जनवरी, 1973 को बस्ती अस्पताल में नहीं दी गई लेकिन उनकी लाश दिनांक 8 जनवरी, 1973 को रात्रि को नौगढ़ शिविर पर भेजी गई जो स्पष्ट आदेश न होने के कारण जिला अस्पताल, बस्ती वापस कर दी गई । श्रीमती ऐश बीबी को वास्तव में उनके मृतक पति की लाश लेने के लिये ही नौगढ़ बुलाया गया था, लेकिन उनके नौगढ़ पहुंचने से पहले ही लाश वापस जा चुकी थी । पोस्ट मार्टम के बाद लाश दिनांक 11 जनवरी, 1973 को श्रीमती ऐश बीबी को बस्ती में दी गई और सरकारी गाड़ी से ही उनके घर पहुंचायी गई । यह सही नहीं है कि नौगढ़ पर श्रीमती ऐश बीबी के साथ जबरदस्ती कर या किसी प्रकार की धोखा धड़ी करके उनके निशानी अंगूठा लगवाये गये हैं । उनके निशानी अंगूठा, विभागीय अधिकारियों द्वारा लिये गये उनके बयान तथा उनको यह सूचना देने के लिये कि लाश बस्ती वापस चली गई है, ही लगवाये गये थे । मृतक के परिवार को सहायतार्थ रु0 2,500 की धनराशि स्वीकृति कर दी गई है ।

*34—श्री कल्पनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तटपा कोड़री, जिला बस्ती के सूखा ग्रस्त ग्रामों को सहायता

*35—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत तटपा कोड़री के किन-किन ग्रामों में गत वर्ष (1972) में सूखा का प्रकोप था और किन-किन ग्रामों में असहाय लोगों की सहायता सरकार की ओर से की गई और असहाय व्यक्ति जिन्हें सहायता दी गई उनकी संख्या कितनी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बांसी तहसील के अन्तर्गत तथा कोडरी के सूखाग्रस्त ग्रामों के नाम, उन ग्रामों के नाम जिनमें असहाय व्यक्तियों को सहायता दी गयी तथा सहायता प्राप्त असहाय व्यक्तियों की संख्या संलग्न सूची में दे दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 909 पर)

ग्राम समाज, तौरा, जिला उन्नाव द्वारा पाठशालाओं तथा नवयुवक मण्डलों को दी गई भूमि

*36—श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की तहसील उन्नाव के ग्राम, तौरा में सन् 1972 से ग्राम समाज द्वारा कितनी-कितनी भूमि किस-किस पाठशाला

को तथा कितनी-कितनी भूमि कितने नवयुवक मंडल दलों को दी गयी है और उक्त संस्थाओं को उक्त भमि देने का क्या प्रयोजन है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामचन्दर बढ़ई की बलिया नसबन्दी शिविर में मृत्यु

*37—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव), श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में रामचन्दर बढ़ई नामक व्यक्ति की नसबन्दी 4 जनवरी, 1973 को की गई और एक सप्ताह के भीतर चिकित्सकों की लापरवाही के कारण नसबन्दी शिविर में ही उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो दोषी लोगों को क्या दंड दिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

बलिया जनपद के कोटवा शिविर में 11, 12 दिसम्बर, 1972 को श्री रामचन्दर बढ़ई की नसबन्दी की गई । यह सही नहीं कि श्री रामचन्दर बढ़ई की मृत्यु एक सप्ताह के भीतर नसबन्दी शिविर में ही चिकित्सकों की लापरवाही के कारण हुई ।

ग्राम गौरी कलां, जिला बांदा के किसानों की शिकायत

*38—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा के नागरिकों व किसानों द्वारा गांव समाज की सम्पत्ति पर गांव के कुछ पुराने जमींदारों द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने व उससे फसल पैदा करके व्यक्तिगत लाभ उठाये जाने के सम्बन्ध में माह जुलाई, 1972 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को व जिलाधिकारियों को दिये गये हैं और सरकार द्वारा नाजायज कब्जों को हटाये जाने तथा नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीलिंग से प्राप्त अवध शुगर मिल, हरगांव की भूमि एवं फसल

*39—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अवध शुगर मिल, हरगांव की कुछ कृषि योग्य भूमि सीलिंग में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो यह कुल कितने एकड़ है तथा कब से सरकार के कब्जे में आई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अवध शुगर मिल, हरगांव की 478.18 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी । जिसमें से 203.11 एकड़ भूमि कृषि अयोग्य है तथा 275.07 एकड़ भूमि कृषि योग्य है । इस भूमि पर 2 अप्रैल, 1971 को सरकार की ओर से कब्जा ले लिया गया ।

*40—श्री रामलाल राही—

क्या राजस्व मंत्री यह भी कृपया बतलायेंगे कि सीलिंग से प्राप्त इस भूमि पर बराबर खेती हो रही है तथा रबी व खरीफ तथा गन्ने की कई फसलें पैदा हुई हैं, जिसका कोई रिकार्ड जिला अधिकारी न कर उससे उत्पन्न गल्ले आदि का इस्तेमाल स्वयं कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उक्त भूमि पर कब्जा लेने के बाद 35.65 एकड़ भूमि पर गन्ना पेड़ी स्वयं उग आई थी और 8 एकड़ भूमि पर खातेदार द्वारा चने की फसल बो दी गई थी । गन्ना पड़ी को 3,150 रु0 तथा चने की फसल को 2,450 रु0 में नीलाम करके सरकारी खजाने में धनराशि जमा कर दी गई है । भूमि जोती-बोई नहीं जा रही है और न ही उससे किसी प्रकार की फसल ही प्राप्त की जा रही है ।

गौरी कलां, जिला बांदा के ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*41—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा की गांव सम्पत्ति की खेती योग्य भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर और कितने समय से नाजायज कब्जा कर रखा गया है तथा अनुमानतः इन नाजायज कब्जों से होने वाली उपज से कितना रुपया वार्षिक गांव समाज का नुकसान हो रहा है ? और इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम गौरीकलां, तहसील व जिला बांदा की गांव सम्पत्ति की खेती योग्य भूमि पर 43 व्यक्तियों द्वारा 208 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर 1368 फसली से 1376 फसली तक अनधिकृत कब्जा किया गया है । अनुमानित क्षति देना सम्भव नहीं क्योंकि गांव सभा नियमानुसार खुद खेती नहीं कर सकती । उक्त 43 व्यक्तियों में से 19 व्यक्ति बेदखल हो चुके हैं । अन्य के बारे में कार्यवाही चल रही है । सम्बन्धित व्यक्तियों तथा भूमि के विवरण के बारे में सूची अध्यक्ष महोदय के कक्ष में देखी जा सकती है ।

उर्सला चिकित्सालय, कानपुर के चिकित्सकों द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों की चिकित्सा कराने पर रोक

*42—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा पर उर्सला चिकित्सालाय के दस चिकित्सकों को उनके द्वारा अनियमित एवं भ्रष्ट तरीकों के अपनाने के कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु रोक लगाई गई थी ? यदि हां, तो यह चिकित्सक कौन थे ? और क्या पुनः केन्द्रीय कर्मचारियों को चिकित्सा की अनुशंसा उन्ही चिकित्सकों हेतु की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किस आधार पर ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उर्सला चिकित्सालय के सात चिकित्सकों पर रोक लगायी गयी थी यह चिकित्सक निम्नलिखित हैं:—

1—डा0 डी0 गुप्ता ।
2—डा0 ए0 के0 गुप्ता ।
3—डा0 जे0 पी0 शर्मा ।
4—डा0 एस0 के0 गोविल ।

5—डा० एस० पी० टन्डन ।
6—डा० एम० एम० मैथानी ।
7—डा० जी० सी० गुप्ता ।

उन्हीं चिकित्सकों को पुनः केन्द्रीय कर्मचारियों को देखे जाने हेतु प्राधिकृत करने के लिये कोई अनुशंसा शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद का चयन

*43—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद का नियमित चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा करा लिया गया है ? क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त केस शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को कब भेजा गया था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां ।

आयोग को इस पद के चयन के लिये 31 मई, 1969 को लिखा गया था ।

जौनपुर में नसबन्दी

*44—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री उमानाथ सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपुर जनपद में माह दिसम्बर, 1972 व माह जनवरी, फरवरी, 1973 में भिन्न-भिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितनी नसबन्दी की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जौनपुर जनपद में माह दिसम्बर, 1972 व जनवरी, फरवरी, 1973 में विभिन्न तहसीलों में हुई नसबन्दी का विवरण इस प्रकार है:—

तहसील का नाम	नसबन्दी की संख्या		
	दिसम्बर, 1972	जनवरी, 1973	फरवरी, 1973
1—सदर	773	1,452	317
2—मड़ियाहूं	780	1,243	330
3—मछली शहर	912	944	251
4—शाहगंज	845	1,445	580
5—केराकत	911	1,205	380
6—अन्य जनपदों के	9	22	7

*45—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*46—श्री इन्द्रलाल—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*47—श्री दलसिंगार यादव—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

वाराणसी स्थित औषधालयों द्वारा क्रीत औषधियां

*48—श्री बंशीधर पांडेय, श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1972-73 में कितनी आयुर्वेदिक औषधियां वाराणसी शहर तथा जिले के औषधि निर्माताओं से खरीदी गई और कितने रुपये की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रश्न अस्पष्ट है । अनुमानतः आशय वाराणसी में स्थित सरकारी औषधालयों द्वारा की गई खरीद से है । यदि ऐसा है तो उनके लिये वर्ष 1972-73 में 90 रु0 30 पैसे की औषधियां खरीदी गईं ।

अकबरपुर, जिला कानपुर के विशाल परिवार कल्याण शिविर में नसबन्दी

*49—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में विशाल परिवार कल्याण शिविर के अकबरपुर कैम्प में श्री शंकर पुत्र ठकुरी, कौम लोध तथा श्री अयुद्धी लोध, निवासी ग्राम नया पुरवा मजरा मेवान की नसबन्दी हुई है ? क्या यह सत्य है कि यह अविवाहित व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां ।

नसबन्दी आपरेशन कराये जाने हेतु जो आवेदन-पत्र प्रश्नगत दोनों व्यक्तियों ने दिये थे उनमें इन्होंने अपने को विवाहित तथा कई बच्चों का पिता होना दिखाया है ।

*50—श्री सुखपाल पांडेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*51—श्री सुखपाल पांडेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

रमईपुर दिशिनी, जिला प्रतापगढ़ के गुड़िया तालाब पर अवैध कब्जा

*52—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रतापगढ़ जनपद के तहसील व परगना पट्टी में ग्राम सभा, रमईपुर दिशिनी के अन्तर्गत गुड़िया तालाब (खसरा नं0 332) पर कुछ लोगों न अवध कब्जा कर लिया है जब कि यह सदैव ग्राम समाज जी सम्पत्ति रही है और इस अवध कब्जे के कारण स्थानीय जनता का जीवन बहुत संकट में पड़ गया है ? यदि हां, तो जिला अधिकारी इस अवध कब्जे को क्यों नहीं हटाते और सरकार जनता की इस कठिनाई को क्यों नहीं दूर करती ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

खसरा नं0 332 में कुछ क्षेत्रफल तालाब का है और कुछ क्षेत्रफल में लोगों की सीरदारी दर्ज है । कितना क्षेत्रफल तालाब का है और कितना सीरदारी खाते का है, इस बारे में चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में वाद चल रहा है ।

वाराणसी तथा गोरखपुर कमिश्नरी के कानूनगो लोगों का स्थायीकरण

*53—श्री राम सागर—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वाराणसी तथा गोरखपुर कमिश्नरी में राजस्व विभाग में काम करने वाले कितने ऐसे सुपरवाइजर कानूनगो हैं जिनकी सेवायें 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक हैं किन्तु अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया जबकि उन मंडलों में स्थायी स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्थायी होने के लिये सेवा की क्या अवधि है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वाराणसी तथा गोरखपुर मंडलों में क्रमशः 27 एवं 17 ऐसे सुपरन्यूमरी काननगो तथा कानुनगो अभ्यर्थी हैं जो स्थानापन्न रूप से सुपरवाइजर कानून गो का कार्य 10 वर्ष से अधिक समय से कर रहे हैं। परन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है। इन मंडलों में क्रमशः 7 एवं 1 स्थायी पद रिक्त हैं। वाराणसी मंडल के 7 रिक्त पदों में से 6 पद फरवरी में ही रिक्त हुए हैं। स्थायीकरण के लिये कोई सेवा अवधि निर्धारित नहीं है।

*54—श्री भगेलू सिंह—

[8 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

चकबन्दी सर्किल, नवाबगंज (उन्नाव) में चकबन्दी

*55—श्री छांगुर राम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव, तहसील हसनगंज, परगना झलोतर अजगैन चकबन्दी सर्किल, नवाबगंज के ग्राम पाली व चमरौली में चल रही चकबन्दी के अन्तर्गत कितनी जमीन किस-किस नम्बर की चकबन्दी के बाहर छोड़ दी गई है और उसके बाहर छोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला उन्नाव, तहसील हसनगंज, परगना झलोत्तर अजगैन, चकबन्दी सर्किल, नवाबगंज के ग्राम पाली व चमरौली में चल रही चकबन्दी के अन्तर्गत जिन-जिन नम्बरों की जितनी जमीन चकबन्दी के बाहर छोड़ दी गई है उसकी† सूची अध्यक्ष महोदय की मेज पर रख दी गई है।

उपरोक्त जमीन मुख्यतः सैलाबी, परती, उसरीली, बंजर, तालाबी एवं आबादी के अन्तर्गत आने के कारण चकबन्दी से बाहर की गई है।

*56—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थागित]

*57—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थागित]

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी-गढ़वाल के अस्पताल तथा चिकित्सक

1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में कुल कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होमोपैथिक अस्पताल 1972 तक और रजत जयन्ती वर्ष में

†छापी नहीं गई।

कुल कितने और अस्पताल खुल रहे हैं तथा कुल कितने अस्पतालों में डाक्टर, कम्पाउन्डर और नर्सें नहीं हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वर्ष 1972 तक 14 एलोपैथिक। होम्योपैथिक तथा 15 आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की स्वीकृत दी गयी जिसमें से 5 एलोपैथिक तथा 1 होम्योपैथिक अस्पताल की स्वीकृत रजत जयन्ती वर्ष में दी गई । एलोपैथिक के 13 अस्पतालों में डाक्टर, 15 अस्पतालों में कम्पाउडर तथा 39 अस्पतालों में नर्सें नहीं हैं । होम्योपैथिक के एक अस्पताल में डाक्टर तथा एक अस्पताल में कमपाउन्डर तथा एक अस्पताल में नर्सें नही हैं। आयुर्वेदिक के एक अस्पताल में चिकित्साधिकारी, एक अस्पताल में कम्पाउन्डर तथा 15 अस्पतालों में नर्सें नहीं हैं।

वन प्रखंड तुर्रा (मिर्जापुर) के जंगल से जनता को सुविधायें

2—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय—

क्या बन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के बन प्रखंड तुर्रा के अन्तर्गत जंगल के इमारती लकड़ी, ईंधन तथा बगई इत्यादि के सम्बन्ध में घरेलू इस्तेमाल के लिये जनता को कोई सुविधा प्राप्त है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां जनपद मिर्जापुर के बन प्रखण्ड तुर्रा के अन्तर्गत जंगल से इमारती लकड़ी ईंधन तथा बगई इत्यादि के सम्बन्ध में घरेलू इस्तेमाल के लिये जनता को जो सुविधा प्राप्त है, उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 910 पर।

रावट्सगंज (मिर्जापूर) का टेस्ट वर्क

3—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील रावट्सगंज (मिर्जापुर) के चोपन, नागवा चतरा तथा रावट्सगंज ब्लाकों द्वारा इस समय किन-किन स्थानों पर स्टेट वर्क चलाये जा रहे हैं तथा उन पर प्रारम्भ से लेकर 15 दिसम्बर, 1972 तक कितना धन व्यय किया गया और उनकी कार्य प्रगति क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्न गत विवरण विकास खण्डवार †तालिका 'क', 'ख', तथा 'ग' में दिया गया है।

इटावा जिले में टेस्ट वर्क हेतु आवंटित धन

4—श्री भारत सिंह चौहान तथा शिवपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट वर्क योजना के अन्तर्गत इटावा जिले को 1972–73 में किन-किन कार्यों के लिये कितना रूपया दिया गया और अब तक इन कार्यों में क्या प्रगति हुई और कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री उदित नारायन शर्मा—

वर्ष 1972–73 में इटावा जिले के लिये कुल 5.50 लाख रूपया टेस्ट वर्क चलाने हेतु आवंटित किया गया था। इसमें से एक लाख रुपया लिंक रोड पर मिट्टी का कार्य कराने के लिये और 4.50 लाख रूपया जिले में अन्य कार्यों के लिये था। टेस्ट वर्क के लिये दिये गये 4.50 लाख रुपये में से जिले की चारो तसीलों में 11 सड़कों और एक नाले का निर्माण कार्य शुरू किया गया । 17–2–73 तक एक सड़क बन गयी थी, शेष कार्यों के शीघ्र समाप्त होने की आशा है। इन कार्यों पर 17–2–73 तक कुल 107950 रुपया खर्च हुआ। लिंक रोड पर भी मिट्टी का कार्य चल रहा है। इसके लिये आवंटित एक लाख रूपये का उपयोग हो जाने की पूर्ण आशा है। उक्त कार्यों के अतिरिक्त 14 सड़को तथा। तालाब के निर्माण का भी शुरू कर दिया गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

उपरोक्त प्रोजक्ट की सूची संलग्न की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 911 पर)

5—श्री रामकुमार दीक्षित—

[11वें गुरुवार के लिये प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम तौरा जिला (उन्नाव) में कथित एलाटेड भूमि

6—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ग्राम तौरा, तहसील उन्नाव में जनवरी, सन् 1972 से 25 जनवरी, 1973 तक कितने व्यक्तियों को भूमि एलाट हुई है ? और उनमें से हरिजनों की संख्या क्या है और साथ ही सरकार क्या यह भी बतायेगी कि भूमिहीन हरिजनों तथा गैर-हरिजनों के उक्त समय में कुल कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनवरी, 1972 से 25 जनवरी, 1973 तक न तो कोई भूमि ही आवंटित की गई है । और न इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र ही सरकार को प्राप्त हुए हैं ।

फर्रुखाबाद जिले में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों तथा परिषदीय चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत औषधि

7—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में तथा जिला में परिषदीय चिकित्सालयों में प्रत्येक में कितनी-कितनी धनराशि की दवाइयां सन् 1971–72 तथा 1972–73 में स्वीकार की गईं और यूनानी तथा होम्योपैथिक की धनराशि भी उक्त वर्षों में क्या-क्या रही ? क्या सरकार ने इस बात की भी जानकारी की है कि सरकार तथा जिला परिषद् से स्वीकृत धनराशि में उक्त वर्षों में दवाइयों में पूरा-पूरा खर्च कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 912 पर)

विकास क्षेत्र, बढ़नी व इटावा (बस्ती) में भूमिहीन एवं हरिजनों को दी गयी भूमि

8—श्री कल्याण सिंह तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती विकास क्षेत्र, बढ़नी व इटावा में भूमिहीन एवं हरिजनों को ग्राम समाज की बंजर भूमि व सीलिंग की भूमि, हरिजनों के गृह निर्माण हेतु आबादी की भूमि, प्रत्येक ग्रामों में अलग-अलग किस-किस को कितनी-कितनी कौन-कौन सी भूमि वर्ष 1971–72 एवं 1972–73 में दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

9—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

[निरस्त]

10—श्री भगेलू सिंह तथा श्री शिव कैलाश—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

11—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[9वें शुक्रवार के लिये अतारांकित प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

12—श्री राजित राम पांडेय—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

राजस्व-कर संग्रह विभागीय लिपिकों का कलेक्ट्रेट कैडर में विलीनीकरण

13—श्री राम सागर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजस्व-कर संग्रह विभाग में कार्यरत लिपिकों का कलेक्ट्रेट कैडर में कब से विलीनीकरण किया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासनादेश दिनांक 28 मई, 1964 में संग्रह विभाग के लिपिकों को 1 अप्रैल, 1956 से कलेक्ट्रेट संवर्ग का अस्थायी अंग घोषित किया गया था।

14—श्री राम सागर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विलीनीकरण के समय बचे हुए संग्रह अधिष्ठान के ऐसे अस्थायी लिपिकों, जिनकी सेवा अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक पूर्ण वर्ष कालीन पदों पर कार्य करते हुए हो चुकी है, की सेवायें यथावत् बनाये रखने हेतु कोई आदेश प्रसारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। संग्रह विभाग के अस्थायी लिपिकों के कलेक्ट्रेट के पदों पर स्थायीकरण के लिये निम्नलिखित प्रक्रियां अपनाई गई थीं। जिन लिपिकों की सेवा अवधि 16 अगस्त, 1961 को तीन वर्ष या उससे अधिक थी वे कलेक्ट्रेट की पेड अप्रेन्टिस की सूची 'ए' में रखे गए और भविष्य में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार 67 प्रतिशत रिक्तियों में स्थायी किये गए। जिनकी सेवायें उक्त तिथि को तीन वर्ष से कम थीं उनके लिये यह आदेश थे कि वे भविष्य में होने वाली पेड अप्रेन्टिसों की प्रतियोगात्मक परीक्षा पास करें और तब उनके नाम सूची "बी" में रखे जायेंगे और उन्हें भविष्य में होने वाली 33 प्रतिशित रिक्तियों में स्थायी किया जाय। जो अस्थायी लिपिक निर्धारित प्रतियोगात्मक परीक्षा नहीं पास करते उनके बारे में ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये कि उन्हें लगातार सेवा में बनाये रखा जाय क्योंकि प्रक्रिया निर्धारित हो जाने के बाद ऐसे आदेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी।

रकबा दुरुस्ती हेतु पाली व चमोली (उन्नाव) के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र

15—श्री छांगुर राम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव, तहसील हसनगंज, परगना झलोतर अजगैन चकबन्दी सर्किल, नवाबगंज के ग्राम पाली व चमरौली में चल रही चकबन्दी के अन्तर्गत किन-किन काश्तकारों ने चकबन्दी ऐक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत जमीन की रकबा दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी के यहां मई सन् 1971 के महीने में दिया ? इनमें से कितने काश्तकार ऐसे हैं जिनके प्रार्थना-पत्रों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माह मई, 1971 में ग्राम पाली के 24 काश्तकारों ने जिनके नाम संलग्न सूची में है, चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत जमीन की रकबा दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दिए थे जिनका निस्तारण उक्त सूची में अंकित नामों के आगे दी गयी तिथियों को किया जा चुका है । ग्राम चमरौली के किसी काश्तकर ने उक्त अवधि में ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है । उक्त अवधि में दिये गये प्रार्थना-पत्रों में से कोई भी प्रार्थना-पत्र ऐसा नहीं है जिस पर अब तक कायवाही न की गयी हो ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 914 पर)

16—श्री गोविन्द सिंह नगी—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

17—श्री भगौती प्रसाद—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

18—श्रीमती मसाली देवी—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

शिक्षकों की सम्भावित हड़ताल से शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बाधा पड़ने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैंने यह 301 में भी दे दिया है । आपको मालूम है कि यह सदन आज उठकर 22 तारीख को दोबारा बैठेगा और उसी दिन से माध्यमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षायें प्रातः 7 बजे से आरम्भ हो रही हैं । अध्यापकों को आश्वासन भी दिया गया था और सदन में प्रश्नोत्तर में भी आया था और कहा गया था कि इनविलिजेशन के कार्य के लिये उन्हें एडीशनल पारिश्रमिक दिया जायगा । उन्होंने अब नोटिस दिया है कि यदि सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा न हुई तो वह हड़ताल कर देंगे । यदि वह 22 तारीख की सुबह 7 बजे काम पर नहीं जाते हैं तो लाखों विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनकी बड़ी हानि होगी और सारी परीक्षा ही ठप्प हो जायगी । माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं और वह इस समय सरकार का प्रतिनिधित्व सदन में कर रहे हैं । वह कृपा करके जो आश्वासन दिया गया है उसके अनुसार बतायें कि इन अध्यापकों के एडीशनल पारिश्रमिक के बारे में क्या निर्णय लिया गया है और क्या वह उस स्थिति को नहीं आने देंगे कि हड़ताल न हो ?

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गई है लेकिन उसके वेतन-मानों में बहुत सी असंगतियां हैं, उनके बारे में भी वह बता दें कि क्या कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यह भी बता दिया जाय.....

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापर)—

पिछले वर्ष इन्टर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को कुछ छूट मिली थी इस साल कोई छूट नहीं मिली है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में है....

श्री अध्यक्ष—

2 प्रश्नों को एक साथ न मिलायें।

श्री विजय बहादुर सिंह—

इसका प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से सम्बन्ध है, उनके प्रतिशत में जो गत वर्ष छूट मिली थी उसी तरह से क्या वह इस वर्ष भी मिलेगी इसे स्पष्ट कर दें ?

श्री अध्यक्ष—

1 का उत्तर होने दें, 2 प्रश्नों को साथ न मिलायें।

श्री मोहनलाल कपूर—

वेतन-मानों की असंगतियों को दूर करने की और शासन की ओर से इनविजिलेटर्स को अधिक पारिश्रमिक देने की घोषणा सरकार करे।

श्री विजय बहादुर सिंह—

20 हजार विद्यार्थियों का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि 22 मार्च से हाई स्कूल, इन्टर की परीक्षायें आरम्भ होने वाली हैं और स्वामी जी का कहना है कि अगर उनके अधिक पारिश्रमिक की घोषणा नहीं होती तो वह इन-विजिलेशन का कार्य नहीं करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि विद्यार्थियों का नुकसान हो जाय। आज उठने के बाद सदन 22 को बैठेगा इसलिये सूचना वित्त मंत्री जी दे सकते हों तो दे दें, शाम तक ही आज दे दें तब भी कोई बात नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जहां तक मुझे ज्ञात है अध्यापकों का एक शिष्ट-मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और मेरे सहयोगी माननीय राज्य मंत्री-शिक्षा से भी मिला था। उनसे माननीय राधाकृष्ण जी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक परीक्षा भत्तों का मामला है उस पर शिक्षा विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा और शीघ्र आदेश प्रसारित किये जायेंगे। उससे वह लोग संतुष्ट भी हो गये थे जहां तक मुझे ज्ञात है। जहां तक पैरिटी आदि का प्रश्न है, जब मुख्य मंत्री जी से उनका शिष्ट-मंडल मिला तो मैं भी उपस्थित था। माननीय मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यह डिस्पैरिटी है। मैंने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया था कि एनोमली को दूर करने का प्रयास किया जायगा। तो यह एनोमली तो है, इसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे और शिष्ट-मंडल इससे सन्तुष्ट प्रतीत होता था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, एनोमलीज को दूर करने की बात तो 4 दिन बाद भी हो सकती है लेकिन पारिश्रमिक की बात का यदि 22 मार्च की प्रातः तक निर्णय होकर घोषणा नहीं की जाती है तो प्रदेश में परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ेगा, तब क्या होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें लाखों विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन का प्रश्न है तो आन्दोलन का तो कोई प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये। 6–7 दिन पहले राज्य मंत्री जी ने यह आश्वसन दिया था कि कार्यवाही की जायगी और आदेश प्रसारित हो रहे होंगे, वे इससे संतुष्ट हो गये थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, कल ही उन्होंने नोटिस दिया, 22 से परीक्षायें आरम्भ हो रही हैं, आप करने वाले भी हैं, तो आप आश्वासन क्यों नहीं दे देते कि कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया है, फिर आप और क्या चाहते हैं?

श्री मोहनलाल कपूर—

आश्वासन तो 5 दिन हुये दिया था कि 2 रोज के बाद घोषणा कर दी जायगी, लेकिन पारिश्रमिक के बारे में अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया। आज विधान सभा की बैठक उठ रही है....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, ये कह दें कि शाम तक घोषणा कर देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यदि असेम्बली उठ रही है तो सरकार तो चल रही है।

श्री मोहनलाल कपूर—

सदन तो आज उठ रहा है लेकिन आप घोषणा तो नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अगर ये घोषणा नहीं करते हैं और गड़बड़ी होती है तो यह सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी। उत्तर में कह देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ये कोई साफ बात नहीं कहते हैं। ऐसे आदेश हो गये, ऐसा काम किया गया होगा, सरकार तो यहां चल रही है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, इस प्रकार से जवाबों से काम नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वामी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में वे शाम तक बता देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जनहित में आज एक बात शाम तक या कल तक ये कह दें कि कुछ करेंगे तो सारे प्रदेश की समस्या ठीक हो जायेगी। मैं नहीं समझता कि इसमें इन्हें क्या कंजूसी हो रही है। 1–2 दिन पहले ही क्यों नहीं कर देते हैं?

श्री अध्यक्ष—

सोच विचार कर ही तो करेंगे। आज या कल कर देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन् ये सिद्धान्त रूप मे तो स्वीकार कर चुके हैं। तो सदन में कह क्यों नहीं देते हैं?

श्री अध्यक्ष—

ऐसे कैसे कह सकते हैं?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, परीक्षायें नजदीक हैं.....(व्यधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि आदेश 1–2 दिन में ही प्रसारित हो जाय। जहां तक छात्रों की समस्या का प्रश्न है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं अपने सहयोगी से पूंछ भी लूंगा।

श्री मोहनलाल कपूर—

यह जानकारी आप कब देंगे, सदन तो आज उठ रहा है?

विविध विषय

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, आज 14 नम्बर पर मेरा प्रश्न था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने जवाब में समय-समय पर तब्दीली कर सकती है?

श्री अध्यक्ष—

जवाब देने के पहले कभी भी कर सकती है। आपको उसी वक्त दे देंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

लेकिन, श्रीमन्, यह क्या जवाब है कि "जी हां, मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी है।" उसके बाद लिखा है कि "पुलिस मामले की जांच कर रही है।" अगर एसे-ऐसा जवाब देंगे तो कैसे काम होगा?

एक सदस्य जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं उसकी घोषणा तो कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वही तो करने जा रहा हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक पोस्टर सारे नगर में लगे हुये थे जिनमें तीन बन्दर दिखलाये गये हैं। इन्दिरा गांधी इनसे यह कहते हुये दिखलाई गयी हैं कि भ्रष्टाचार देखो मत, महंगाई सुनों मत, गरीबी कहो मत। पुलिस के दस्ते घूम-घूम कर इसको पानी लगा-लगा कर कर पोंछ रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष जी, क्षमा करें मुझे देर हो गयी, मैंने 301 में इसके लिये आपको एक सूचना भी दी थी। सूचना इसलिये दी है कि भारतवर्ष की सर्वोच्च व्यक्ति, श्रीमती इन्दिरा गांधी, आज लखनऊ में आ रही हैं और मैं समझता हूं कि उनसे आशा सभी करेंगे कि वे प्रजातंत्र की

और संविधान की रक्षा करेंगी । जनप्रतिनिधि होने के नात हमने अपना कर्त्तव्य समझा कि आजकल जनता की भावनाओं को उनके सामने लाने के लिये इस प्रकार का पेम्फलेट छपवाया ताकि जनता की भावना उन तक पहुंच जावे । लेकिन पुलिस ने इसे अपना काम समझा है कि सारे शहर में घूम-घूम कर, काट-काट कर, फाड़-फाड़ कर, इसे फेंक दो और वह फेंक चुकी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को आज अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता उनके सामने नहीं है और हम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं लेकिन उस अपने अधिकार को जब हम प्रयोग करके इस तरह का संवैधानिक काम करते हैं तब इनके द्वारा पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है इन पेम्फलेट्स को हटाने के लिये ताकि जनता अपनी बात भी प्रधान मंत्री जी के सामने न ला सके ।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है श्रीमन् । यह बात यहां की किस कार्यवाही से सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इसलिये यह आपके ध्यान में लाया हूं और आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि कल कोई स्थिति उत्पन्न न हो जावे तो फिर वह विधान सभा और आपके सामने आवेगी, इसीलिये यह बात हमने उठाई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक मिनट आप मुझे सुन लें और माननीय वित्त मंत्री जी उठ रहे हैं तो एक साथ ही सब जवाब दे दें । महात्मा गांधी ने श्रीमन्, तीन बन्दरों को रखा था और उनसे महात्मा जी ने कहलवाया था कि बुरा सुनों मत, बुरा देखो मत और बुरा कहो मत । तो महात्मा गांधी के आदर्शों को रखते हुये . . . (हंसी) श्रीमन्, अब इन लोगों को महात्मा गांधी से ज्यादा इन्दिरा गांधी प्रिय हो गयी हैं और ये महात्मा गांधी को भूल गये । तो इन्दिरा गांधी जी आज तीन बन्दरों से कह रही हैं भ्रष्टाचार देखो मत, महंगाई सुनो मत और गरीबी कहो मत । यह सब बातें आज सही हैं और सही बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या यह तीनों बन्दर इन्दिरा गांधी से यह बातें कह रहे हैं ? . . . . (हंसी)।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक व्याख्या वह भी हो सकती है लेकिन उसमें तो यही है कि इन्दिरा गांधी इन बन्दरों से कह रही हैं और महात्मा गांधी नें बिल्कुल दूसरी बात कही थी । वही जनता की भावना इस पोस्टर के द्वारा दिखलाई गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या महात्मा गांधी जी के बन्दर इन्दिरा गांधी से कह रहे हैं ? (हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह बता रहा था कि पुलिस से लोगों की हाथापाई हो रही है । पुलिस भाषा से अपनी बात जनता को व्यक्त नहीं करने देती है तो यह तरीका अपनी बात उन तक पहुंचाने का

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जनता ने तय किया है लेकिन आज परिस्थिति यह है कि पुलिस संघर्ष कर रही है। अगर कोई गड़बड़ी हो जावेगी तो वह इस सदन के सामने आ जावेगी, इसलिये हम आपको आगाह कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है और किस प्रकार पुलिस का इस्तेमाल जनता की भावनाओं को दबाने में किया जा रहा है।

श्री बनारसी राम द्वारा पुन. भारतीय क्रान्ति दल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब मैं एक सूचना आपको दे देना चाहता हूं। माननीय बनारसी राम जी ने यह पत्र मुझे भेजा है। "मैं बनारसी राम भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ था और कुछ दिनों से शासक कांग्रेस दल में शामिल हो गया था। अब मैंने भली भांति विचार करके कांग्रेस शासक दल से त्याग-पत्र दे दिया है और भारतीय क्रान्ति दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कि मेरा नाम शासक कांग्रेस दल की सूची से निकाल कर भारतीय क्रान्ति दल की सूची में तुरन्त शामिल करने की कृपा की जाय"।

उनका कहना है कि मैं सत्ता कांग्रेस में शामिल हो गया था। अब मैंने भली भांति विचार करके कांग्रेस शासन दल को त्याग-पत्र दे दिया है और भारतीय क्रांति दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है। यह सूचना उन्होंने मुझे परसों दी। मैंने आज से इसे आपके सामने रख दिया। इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।

अब नियम 56 के अन्तर्गत देवरिया जनपद में रबी की फसल में पाइरिला कीट का प्रकोप के संबंध में कृषि मंत्री जी का वक्तव्य होगा। इस विषय को माननीय बांकेलाल जी ने उठाया है कि वहां की रबी की फसल और गन्ने में कीड़े लग रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अभी किसका नाम पढ़ा गया है कि सत्ता कांग्रेस छोड़ दी है?

श्री अध्यक्ष—

श्री बनारसी राम का है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, शायद बनारसी राम के साथ-साथ कुछ मंत्री भी छोड़ दें क्योंकि अब यह दीवार ढहने वाली है। इंदिरा गांधी जी आज आ रही हैं। मान्यवर, उनके लिये अच्छा तोहफा दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

वह तो सदन के लिये सूचना है ....

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

कल्पना, मान्यवर, अच्छी करते हैं हमारे माननीय सदस्य।

देवरिया जिले में रबी की फसल में पाइरिला कीट के प्रकोप के संबंध में वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री राम लखन)--

पाइरिला गन्ने की सल का प्रमुख नाशी कीट है जो कभी कभी गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जई आदि फसलों पर भी प्रवसन (माइग्रेशन) करके इनको क्षति करता है। देवरिया जनपद में इस वर्ष गन्ने की फसल की कटाई के साथ-साथ पाइरिला कीट का गेहूं की फसल पर जनवरी के मध्य में प्रवसन आरम्भ हुआ था और तुरन्त ही कृषि रक्षा सेवा के द्वारा इस कीट के नियंत्रण हेतु उपचार कार्य आरम्भ कर दिये हैं तथा फरवरी माह के तीसरे सप्ताह तक देवरिया जिले के लगभग 1,360 हेक्टेयर प्रभावित गेहूं के क्षेत्र में से 560 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि रक्षा उपचार कार्य हो चुका था। इसके साथ ही उस समय तक 113 हेक्टेयर गन्ना की फसल पर भी उपचार हुआ था।

गेहूं की फसल पर इस कीट का प्रवसन फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह में और भी बढ़ा और इस कारण इस समय 12-3-73 तक की सूचना के अनुसार जनपद के 17 विकास खंडों, रामकोला, गौरीबाजार, सकरौली, हाटा, पड़रौना, मौतीचक, कप्तानगंज, दुद्धी, शिवरोही, तम्कुही, फाजिलनगर, कसया, पथरदेवा, बैलालपुर, देवरिया सदर, देवरिया देसाई तथा मलौनी में गेहूं का प्रभावित क्षेत्रफल बढ़कर 7,297 हेक्टेयर हो गया है। प्रभावित क्षेत्रफल की वृद्धि के कारण उपचार कार्य भी सुसंगठित करके और भी वृहत रूप से चलाया जा रहा है तथा दिनांक 14-3-73 तक 5,947 हेक्टेयर क्षेत्र पर नियंत्रण कार्य सम्पन्न कराये जा चुके हैं। जनपद में यथेष्ट मात्रा में रसायन तथा कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध हैं फिर भी सावधानी बरतने की दृष्टि से अतिरिक्त मात्रा में रसायन तथा यंत्र बाहर से भी वहां पहुंचा दिये गये हैं। आसपास के जिलों में अतिरिक्त कर्मचारी भी देवरिया जनपद में कार्य कराने हेतु भेजे गये हैं। उप निदेशक, कृषि रक्षा, स्वयं भी मौके पर 8 तथा 9 मार्च को स्थिति का अध्ययन कर आये हैं और उन्होंने सूचित किया है कि नियंत्रण काय अवाधगति से युद्ध स्तर पर सम्पादित कराया जा रहा है।

इस कीट के नियंत्रण के लिये उपयोग में आने वाले कीटनाशकों का प्रति हेक्टेयर मूल्य 25 से रु0 35 आता है जो पूर्णतः कृषकों को ही वहन करना पड़ता है। अतः इस कार्य की सफलता के लिये कृषकों का पूर्ण सहयोग नितांत आवश्यक है जिसको प्राप्त करने के लिये क्षेत्रीय समाचार-पत्रों, आकाशबाणी एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम स समुचित प्रचार निरन्तर किया जा रहा है तथा परचे भी छपवा कर बांटे गये हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देवरिया जिले के मोतीचक, सकरौला, हाटा ब्लाक में किन-किन गांवों में कीट नाशक दवा छोड़ी गई?

श्री राम लखन--

गांव का नाम तो मालूम नहीं, ब्लाकों के बारे में सूचना दे दी गई।

श्री बांके लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना मंत्री जी ने दी है यह सूचना निराधार है और जो वक्तव्य दिया है, वह निराधार है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देवरिया जिले के हाटा तहसील में कितने एकड़ गेहूं की फसल को कीटों ने चाट डाला है, कुछ पता है?

श्री राम लखन--

कुल कितने क्षेत्र को नुकसान हुआ है, उसकी सूचना वक्तव्य में दे दी गई है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 17 ब्लाकों म यह बीमारी है, माननीय मत्री जी ने यह भी मंजूर किया है 25 से 30 रु0 तक प्रति हेक्टेयर व्यय होगा दवा पर और अन्त में यह कहा है कि प्रचार किया जा रहा है ताकि किसान दवाओं को खरीदें। मेरे कहन का मतलब यह है कि बड़े भारी पैमाने पर यह बीमारी है जिसको किसान काबू नहीं कर सकत और जिले की सारी फसल बर्बाद हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी सरकारी की ओर से हवाई जहाज से दवा छिड़कवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री राम लखन—

दवा की कीमत उनको देना होता है, सारी मशीनरी और उपकरण हम मुफ्त देते हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया के कृषि अधिकारी और जिलाधीश ने सरकार को यह लिखा था कि यह बीमारी बड़े पैमाने पर है और उनकी शक्ति के बाहर है, अतः हवाई जहाज से दवा छिड़कवान का प्रबन्ध किया जाय । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके लिखने के बाद भी शासन ने कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की ? केवल प्रचार ही क्यों हो रहा है, इस बर्बादी के लिय कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सरकार की ओर से दवा का पूर्ण प्रबन्ध है और सारे इक्यूपमेंट जितने जरूरी हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी गई है और दवाओं को छिड़कवाने में पूरी मदद की जा रही है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह बीमारी एक खेत से दूसरे खेत में फलने वाली है । शासन की ओर से इसके टोल इरेडीकेशन के लिय प्रयास क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, पहले गन्ने की फसल में छिड़काव हुआ और जब इस बीमारी का प्रकोप गेहूं पर हुआ तो उस पर दवा का छिड़काव कराने का प्रबन्ध कर दिया है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि कृषि विभाग का जो कृषि अनुरक्षा विभाग है वह करोड़ों रुपये की कीट नाशक दवा बीमारी के वक्त क लिय खरीदता है । अगर एसा है तो शासन की तरफ से जब यह बीमारी फली तभी उसी वक्त क्यों नहीं प्रबन्ध कर दिया गया ?

श्री राम लखन—

दवा काफी मात्रा में उपलब्ध है, उसकी कोई कमी नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, करोड़ों रुपये की दवा हर साल खरीदी जाती है और हवाई जहाज से तथा जमीन स छिड़काव का प्रबन्ध सरकार की ओर स है । जब यह बीमारी फैल रही थी तो फरवरी के शुरू में, अब तो सारी गहूं की फसल बर्बाद हो गई होगी, क्या वजह थी कि उसका मुकाबला नहीं किया गया ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, माननीय सदस्य तो फरवरी की बात कह रहे हैं, हमें जब जनवरी के मध्य से सूचना मिली, तभी से कायवाही कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न दूसरा है । आपने बताया कि 25 से 30 रुपया दवा पर खर्च होता है और उसको किसानों को देना होता है ऐसा मेरा खयाल है, तो यह काम तो सरकार को करना चाहिये अपनी तरफ से क्योंकि उसी परपज के लिये यह खरीदी गई थी, तो इसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, दवा की कीमत तो उन्हीं को देनी पड़ती है, फ्री करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि करोड़ों रुपये की दवाएं खरीदने का अनुदान यहां से क्यों लिया जाता है? उसका क्या प्रयोजन है ?

श्री राम लखन—

दवाएं तो इसलिये खरीदी जाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को समय से उपलब्ध हो सकें ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जैसा मंत्री जी ने कहा वह ठीक है और साधारण स्थिति में किसान चाहे तो खरीदकर दवा ले जाये । लेकिन यह बीमारी पूरे जिले में फैली हुई है । मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि पहले इस बीमारी ने गन्ने की फसल को बर्बाद किया और फिर गेहूं पर आ गयी । जब गेहूं की फसल कट जायगी तो यह बीमारी गन्ने के नये पौधों पर लगेगी । यह हैजे की तरह से फैलती है । ऐसी दशा में क्या सरकार मुफ्त छिड़काव का प्रबन्ध करेगी ?

श्री राम लखन—

पहले मुफ्त छिड़काव करने के लिये प्राविधान करना पड़ेगा । इस पर विचार करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार ने इस बीमारी को देखते हुए कीटनाशक दवाओं के अतिरिक्त यूरिया के छिड़काव के लिए भी आदेश दिये थे और छिड़काव के लिए जिन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है उनका 25 से 30 रुपया प्रति हेक्टेयर किराया लेने की बात कही गयी थी और क्या सरकार को यह भी सूचना मिली है कि प्रदेश में जहां भी यह आदेश गये हैं वहां फर्जी वाउचर्स लगाकर 25 से 30 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोलमाल किया जा रहा है और यदि ऐसा है तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ?

श्री रामलखन—

अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसमें लिखकर देने की क्या बात है ? आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 25 से 30 रुपया प्रति हेक्टेयर कीटनाशक दवाओं और छिड़काव के उपकरणों के किराये के लिये है । यही बतला दें कि यह 25 से 30 रुपया किस चीज के लिये है ?

श्री राम लखन—

यह दवाओं की कास्ट आती है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्रीमान जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर पाइरिला से गेहूं की फसल का नुकसान हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं अपनी तरफ से मुफ्त छिड़काव कराती ? सन् 1967 में इस तरह की बीमारी आने पर संविद सरकार ने 12 लाख रुपया खर्च किया था ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसके ऊपर विचार करेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंस पर और हवाई जहाज से जल्दी से जल्दी छिड़काव करावें ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, जब तक कार्यवाही होगी तब तक गहूं की फसल कट जायगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जहां तक हमारी जानकारी है यह प्लांट प्रोटेक्शन की सेंट्रल एडेड स्कीम है । गवर्नमेंट आफ इंडिया इसके लिए अनुदान देती है। जब ऐसी बीमारी फैले उसी समय के लिये यह अनुदान मिलता है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि भारत सरकार ऐड देती है जिससे ऐसी बीमारी का मुकाबला किया जा सके । यह गेहूं तक ही सीमित नहीं है । इसके बाद यह बीमारी गन्ने की फसल पर लगेगी और इस तरह से एक फसल के बाद दूसरी फसल पर लगती रहेगी । इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे ?

श्री राम लखन—

जहां तक सब्सिडी का सवाल है वह गहूं की फसल के लिये नहीं है। भारत सरकार से दलहन और तिलहन के लिये अनुदान मिला हुआ है । वसे माननीय सदस्य न जो सुझाव दिया है उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मलिहाबाद में अभी पिछले दिनों हेलिकाप्टर से बागों में दवाई छिड़कवाई गयी थी और कोई पैसा नहीं लिया गया था। फिर यहां पर फ्री दवाई छिड़कवाने में क्या आपत्ति है ?

श्री राम लखन—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बांके लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि देवरिया जिले के उत्तरी क्षेत्र में पाइरिला से गेहूं की फसल बर्बाद हो गयी है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करने के लिए कोई कमेटी नियुक्त कर देंगे या सरकार द्वारा जांच करा देंगे क्योंकि गेहूं की फसल अभी कटी नहीं है बल्कि खड़ी है ?

श्री राम लखन—

मैंने तो स्वीकार ही किया है कि नुकसान हुआ है । इसम जांच की क्या आआवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं समझता कि किसी विधायक ने उत्तर को संतोषजनक समझा होगा । यह बात सही है कि इन्तजाम तत्काल होना चाहिये था । जब अन्न की इतनी कमी है तब अन्न नष्ट नहीं होना चाहिये । नेता विरोधी दल भी बैठे हैं । अगर कोई विवाद चाहेगा तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा और उसके ऊपर विवाद होगा।

श्री राम लखन—

इसमें विवाद की कौन सी जरूरत है?

श्री अध्यक्ष—

अन्न की समस्या है ।

श्री बांके लाल—

मैं कहता हूं कि जांच करा ली जाए क्योंकि जिले भर की फसल बर्बाद हो गयी है ।

लखनऊ तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल के संबंध में वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सन् 1948 के पूर्व "संयुक्त प्रांत" में से आगरा प्रांत पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार था तथा अवध प्रांत पर अवध चीफ कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार था। स्वतंत्रता के पश्चात् यह उचित समझा गया कि प्रदेश में एक ही उच्च न्यायालय हो । अतः दोनों मुख्य न्यायालयों का एकीकरण किया गया । अवध चीफ कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार में जो 12 जिल थे उनके वास्ते यह निश्चय किया गया कि मिली-जुली हाई कोर्ट इलाहाबाद, की एक बैंच लखनऊ, में बनी रहेगी । उपरोक्त उद्देश्य से गवर्नर महोदय ने 1935 के ऐक्ट की धारा 229 के अधीन एक 'आदेश दि यूनाइटेड प्राविन्सेज हाई कोर्ट (अमलगमेशन) आर्डर, 1948' 19 जुलाई, 1948 को पारित किया । मिली-जुली हाई कोर्ट 26 जुलाई, 1948 को स्थापित हुई जो कि दोनों भूतपूर्व मुख्य न्यायालयों को मिला कर बनायी गयी ।

अन्य बातों के अतिरिक्त उस आदेश में मुख्यतया निम्नलिखित के बारे में खंड 14 संलग्न के परन्तुकों में प्राविधान किया गया था:—

(1) हाई कोर्ट की मुख्य सीट इलाहाबाद में होगी परन्तु लखनऊ में एक बैंच स्थापित होगी, जिसमें कम से कम दो न्यायाधीश अवश्य बैठेंगे ।

(2) लखनऊ बैंच के क्षेत्राधिकार को जिसमें उस समय अवध के 12 जिले थे, मुख्य न्यायाधीश द्वारा घटाया जा सकेगा ;

(3) मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह किसी विशेष मामले का या किसी वर्ग के मामलों को जो लखनऊ क्षेत्र में उद्भूत हों उनकी सुनवाई इलाहाबाद में किये जाने के आदेश दे सकते हैं ।

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट अमलगमेशन आर्डर, 1948 के खंड 14 के दोनों परन्तुकों द्वारा लखनऊ बेंच के क्षेत्राधिकार को घटाने की शक्तियां मुख्य न्यायाधीश को प्रदान की गईं । खंड 14 के अन्तर्गत 1948 में ऐसे आदेश समय समय पर पारित किये गये जिससे लखनऊ बेंच का क्षेत्राधिकार कम किया गया । दिनांक 14 दिसम्बर, 1948 को मुख्य न्यायाधीश न आदेश दिया कि फैजाबाद जिल के सभी मुकदमों के बारे में लखनऊ बेंच में सुनवाई न हो सकेगी । इसी प्रकार सुल्तानपुर जनपद के बारे में भी ऐसा ही आदेश दिया गया। बाद में क्रमशः 1961 व 1969 में ये दोनों जिले फिर से लखनऊ बेंच से सम्बद्ध कर दिये। गये, 15 जुलाई, 1949 को मुख्य न्यायाधीश ने विवाह-विच्छेद, कम्पनीज ऐक्ट, आयकर व उत्तराधिकार संबंधी मामलों

[श्री बलराम सिंह यादव]

के बारे में आदेश दिये कि उनकी सुनवाई लखनऊ बेंच में न होकर केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। दिनांक 2 जुलाई, 1954 को यह आदेश संशोधित किये गये और वर्तमान स्थिति यह है कि केवल इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट तथा इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के सभी मुकदमें केवल इलाहाबाद में ही दायर किये जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं। इसी प्रकार 11 फरवरी, 1950 को मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत सभी प्रकार की रिट, हेबियस कार्पस के प्रकृति की रिट छोड़ कर, केवल इलाहाबाद में ही दायर हो सकेंगे और सुने जा सकेंगे। इस आदेश को भी बाद में रद्द किया गया और इस समय सभी प्रकार की रिट याचिकायें लखनऊ बेंच में दायर की जा सकती हैं और सुनी जा सकती हैं। विशेष मामलों में भी आवेदन-पत्र दिये जाने पर मुख्य न्यायाधीश मुकदमें को लखनऊ के इलाहाबाद को अन्तरण करते हैं।

समय-समय पर लखनऊ बार का यह अनुरोध रहा है कि लखनऊ बेंच के क्षेत्र के अन्दर उठ सभी मुकदमें लखनऊ बेंच में ही दायर होने चाहिये और सुने जाने चाहिये, चाहे वे किसी प्रकार के हों। इलाहाबाद बार का, इसके विपरीत यह मत है लखनऊ कि बेंच को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय, और फिलहाल अमलगमेशन आर्डर के खंड 14 के अंतर्गत जो आदेश मुख्य न्यायाधीश ने दिया है उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाय।

इस बारे में अवध बार एसोसियेशन ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि खंड 14 के अधीन कोई मुकदमें लखनऊ से इलाहाबाद न भेजे जायं। अवध बार एसोसियेशन ने 2 फरवरी, 1973 जो एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि खंड (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग यथावत् होता रहा तो वह अन्दोलनात्मक कार्यवाही करेंगे जिसमें मूक जुलूस, क्रमिक भूख हड़ताल, जलूस इत्यादि किये जायेंगे। इस प्रस्ताव के बारे में भी मुख्य न्यायाधीश एवं बार एसोसियेशन, लखनऊ के प्रतिनिधियों में कुछ वार्ता हुई और 9 मार्च, 1973 से बार एसोसियेशन के मेम्बरों ने क्रमिक भूख हड़ताल, लखनऊ बेंच के प्रांगण में शुरू कर दी। मुख्य न्यायाधीश फरवरी के मध्य से छुट्टी पर श्री लंका गये हुए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अपील पर अवध बार एसोसियेशन के मेम्बरों ने 11 मार्च, 1973 जो अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। दिनांक 12 मार्च, 1973 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसियेशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करने के पश्चात् एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया कि उसी दिन 1-45 बजे से पूर्ण हड़ताल आरम्भ कर दी जाय। इस निर्णय के पश्चात् कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने वर्तमान स्थिति को यथावत् रखने के आदेश दिये जिसके परिणामस्वरूप हाईकोर्ट बार एसोसियेशन ने हड़ताल स्थगित करने का निश्चय किया। इसकी प्रतिक्रिया अवध बार एसोसियेशन में हुई और अवध बार एसोसियेशन ने अपनी मांग मनवाने के लिये 13-3-1973 को यह निश्चय लिया कि वह हड़ताल करेंगे और उच्च न्यायालय के बेंच के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। यह बहिष्कार 14-3-1973 से कार्यान्वित किया गया और कल भी जारी था।

एमलगमेशन आर्डर के खंड 14 के अन्तर्गत जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं वह मुख्य न्यायाधीश को दी है। शासन को इस प्राविधान के अन्तर्गत कोई प्राधिकार नहीं है। सूचना मिली है कि मुख्य न्यायाधीश 28-3-73 को श्री लंका से वापस आ रहे हैं और आशा की जाती हैं कि तब इस मामले का निपटारा हो सकेगा।

शासन से भी अवध बार-एसोसियेशन की यह मांग है कि उपरोक्त खंड 14 का दूसरा परन्तुक जिसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त हुई है निकाल दिया जाय। इसके संबंध में यह प्रश्न भी उठेगा कि क्या राज्य विधान मंडल इस मामले में सक्षम है अथवा संसद राज्य की विधायी क्षमता को एक अन्य मामले में चुनौती दी गई है, और वह प्रश्न उच्च न्यायालय की एक फुल बेंच के समक्ष विचाराधीन है। उसका निर्णय होने पर तथा अन्य

सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बाद में इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है कि क्या इस मामले में किसी विधायन की आवश्यकता है, और यदि हां, तो किस रूप में ।

इस बीच में अवध बार तथा इलाहाबाद बार के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह शांत वातावरण में इस समस्या का न्यायोचित समाधान निकालने में मुख्य न्यायाधीश के प्रयत्नों का समर्थन करें ।

संलग्नक

यूनाइटेड प्राविंसेज हाई कोर्ट्स (अमलगमेंशन) आर्डर, 1948 का आर्टिकिल 14 इस प्रकार है :—

"14. The new High Court, and the judges and division Courts thereof, shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the Chief Justice may, with the approval of the Governor of the United Provinces appoint :

Provided that unless the Governor of the United Provinces with the concurrence of the Chief Justice otherwise directs, such judges of the new High Court, not less than two in mumber, as the Chief Justice may from time to time nominate, shall sit at Lucknow in order to exercise in respect of cases arising in such areas in Oudh as the Chief Justice may direct, the jurisdiction and power for the time being vested in the new High Court :

Provided further that the Chief Justice may in his discretion order that any case or class or cases arising in the said areas shall be heard at Allahabad."

इस का हिन्दी अनुवाद नीचे दिया जाता है :—

"14—नया उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीश और खंड न्यायालय (division Courts) इलाहाबाद अथवा संयुक्त प्रांत में किन्हीं ऐसे स्थानों पर कार्य करेगा जिन्हें मुख्य न्यायाधीश संयुक्त प्रांत के गवर्नर के अनुमोदन से निश्चित करें :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संयुक्त प्रांत के गवर्नर मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अन्यथा निदेश न दे, नये उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जिनकी संख्या दो से कम न होगी जिन्हें समय-समय पर मुख्य न्यायाधीश नामनिर्दिष्ट करें, अवध के ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें मुख्य न्यायाधीश निर्दिष्ट करें उद्भूत होने वाले वादों के संबंध में नये उच्च न्यायालय में तत्समय निहित क्षेत्राधिकार और शक्ति का प्रयोग करने के वास्ते लखनऊ में बैठेगें :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि मुख्य न्यायाधीश स्वविवेक से यह आदेश दे सकते हैं कि उक्त क्षेत्रों में उद्भूत होने वाले किसी वाद या वाद वर्गों की सुनवाई इलाहाबाद में की जायगी ।"

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मामला अदालत के सामने पेश है, गालिबन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वाद चल रहा है, क्या उसमें यह इशू है कि यू०पी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरण सिंह]
लजिस्लेचर को वह जो रूल्स या खंड 14,1948 का है, उसमें संशोधन करने का या डिलीट करने का अधिकार है या नहीं ।

आपने कहा कि मामला जेर-तजवीज है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मामला तो इससे हल हो जायगा कि आप इसमें अमेंडमेंट कर दें तो दोनों बार असोसिएशंस का झगड़ा जो चल रहा है और वकीलों की नौबत आ रही है कि हड़ताल करें और रिले-फास्ट करें, यह हमारी स्टेट के लिये शोभनीय नहीं है, वह खत्म हो जाय । यह जनहित का तकाजा है कि जो जूरिस्डक्शन उनका है उसमें जो मुकदमें हैं वह उनके सामने आवें...

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री चरण सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि उनको इसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार है या नहीं है--- स्टेट लेजिस्लेचर को ? क्या यह मामला जेर-ईश्यू है वहां या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

याचिका हाई कोर्ट की फुल बेंच के सामने है और .....

श्री अध्यक्ष---

सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के ?

श्री बलराम सिंह यादव---

सुप्रीम कोर्ट के । अभी हाल ही में जो लेटर्स पेटेंट अपील का जो मुकदमा था उसमें यह रिट हुई है,उसमे यह प्वाइंट खास तौर से रेज किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर सकती है या नहीं कर सकती है और खास तौर से उन्होंने चैलेंज किया है स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर्स को । इस मामले में वहां पर विचार हो है और प्रोसीडिंग पूरी कम्पलीट हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही निर्णय होने की बात है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

क्या न्याय मंत्री जी को जानकारी है कि इन 10 वर्षों के बीच में स्वतः प्रदेशीय सरकार ने इस अमलगमेशन आर्डर के ऊपर विचार किया था और स्वतः वह एक विधेयक लायी थी कौंसिल म ? यदि उन्हें जानकारी है तो वह उस दिशा में फिर क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, इसमें विचार हुआ था और संभवतः विधेयक भी लाया गया था, लेकिन उस समय उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका । कारण म नहीं जानता हूं कि क्यों नहीं किया जा सका ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

क्या स्वतः उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अमलगमेशन आर्डर के विषय में विचार कर लिया है ? और यदिकर लिया है, तो वह स्वतः इस अमलगमेशन आर्डर की जो 14 धारा है उसमें तरमीम करने के लिये कोई अध्यादेश या कोई बिधेयक लाने के लिये तैयार है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने पहले ही अर्ज किया कि यह जो लेटर्स पेटेंट अपील के सिलसिले में जो अपील चल रही है उसमें यह मामला इनवाल्व्ड है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एन्क्रोच कर सकती है या नहीं ? इसका निर्णय शीघ्र ही होने को है और जैसे ही उसका निर्णय हो जायगा उस वक्त स्टेट लेजिस्लेचर वैसा निर्णय ले लेगी ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझको यह मालूम हुआ है कि लेटर्स पेटेंट अपील में यह जिस जजमेंट के खिलाफ यह अपील है, ओरिजिनल 5 जजों की जो फुल बैंच थी उसमें यह मामला ईश्यू में था ही नहीं। हो नहीं सकता। वह तो अवध बार एसोसियेशन की शिकायत थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस तरीके से अपील डिस्क्रीशनरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उसके मुताबिक । स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स इश्यू में नहीं थी । तो क्या मैं आपके जरिये ला मिनिस्टर से दरख्वास्त कर सकता हूं कि वह पढ़ कर सुनायें कि क्या इश्यू है इसमें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो लेटर्स पेटेंट अपील है उसमें जो एक स्टेज हाई कोर्ट में अपील के बाद मिलती थी वह खत्म कर दी गयी । उसी को उन्होंने चैलेंज किया कि स्टेट लेजिस्लेचर यह नहीं कर सकता । हाई कोर्ट की पावर्स करटेल करने की बात है। जहां तक आडर का सवाल है वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

वह तो पढ़ा हुआ है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आज सारे प्रांत में इस चीज की मांग है जनता की सुविधा के कारण कि अन्य जगहों पर भी बेंच कायम कर दिये जायं । दूसरी बात यह कि लखनऊ हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया था बहुत पहले ही कि दीवानी और फौजदारी के 12 जिले के मुकदमें यहीं दायर होंगे । बहुत वर्षों से यह काम बराबर चलता आया । सरकार ने उसके औचित्य को माना था । आज जो यह कठिनाई उत्पन्न हो गयी है तो क्या सरकार यहां के वकीलों के इस औचित्य को मानती है कि इसका पुराना जुरिस्डिक्शन रेस्टोर कर देना चाहिये और जनता के हित में 12 जिलों के काम का अधिकार यहां के हाई कोर्ट को दे देना चाहिये अगर इस औचित्य को सरकार मानती है तो अगर किसी भी रूप में सरकार को विधायन की शक्ति नहीं है, जो मैं नहीं मानता, तो क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सिफारिश करेगी कि वह यह मान लें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हमारे मुख्यमंत्री जी ने चीफ जस्टिस से बात की है और उनसे कहा है कि यह जो वकीलों का झगड़ा है इसको हल करने का प्रयास करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने पूछा कि क्या सरकार इसके औचित्य को मानती है ? यदि हां, तो क्या ऐडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से भी चीफ जस्टिस से सिफारिश कर सकती है कि यह मान लिया जाय तो अच्छा होगा ? इसका जवाब नहीं आया ।

श्री बलराम सिंह यादव—

औचित्य तो है ही । उनकी मांग है और उस मांग पर सरकार भी विचार कर रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे बहुत खुशी है । अगर इसके औचित्य को मान लिया गया हो तो कोई कठिनाई नहीं है इसको पूरा करने में ।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि 1972 में स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक फुल बेंच ने यह निर्णय दे दिया कि जो मुकद्दमें लखनऊ के जुरिस्डिक्शन में हों उनको यहीं स्वीकार किया जाना चाहिये यहीं तय होना चाहिये । इसके बावजूद यह सारी कठिनाई इस कारण हो गयी कि इलाहाबाद में मुकदमें लने लगे और आज 5 हजार से अधिक मुकदमें लखनऊ जुरिस्डिक्शन के इलाहाबाद में हैं । यदि आप आज्ञा दें तो 1972 के फुल बेंच केस की दो, तीन पंक्ति मैं पढ़ दूं ।

"A case falling within the jurisdiction of the judges at Lucknow should be presented at Lucknow and not at Allahabad..... A case pertaining to the jurisdiction of the judges at Lucknow and presented before the judges at Allahabad should be tried here and cannot be decided at Allahabad."

यह 1972 के आल इंडिया रिपोर्टर के मई भाग में पेज 20 पर है । इसके बावजूद निरन्तर मुकदमें वहां पर स्वीकार किये गये और इस समय 500 हजार मुकदम यहां के जुरिस्डिक्शन के इलाहाबाद में हैं ।

श्री बलराम सिंह यादव—

इस जजमेंट का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन यहां के वकीलों की निरन्तर यह मांग रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, सन् 1948 का जो अमलगेमेशन आर्डर है वह यह सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा अधिकार है कि वह क्षेत्र निर्धारित कर सके । उसी आदेश के मातहत लखनऊ बेंच का जुरिस्डिक्शन तय किया गया था । जब जब ऐसा हुआ तब एजीटेशन हुआ । तो क्या सरकार माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी यह राय देगी कि दोनों का जैसा जुरिस्डिक्शन पहले था वही रहने दिया जाय और लखनऊ बेंच के जितने केसज हैं व यहां ट्रांसफर कर दिये जायं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राज्य सरकार को इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, क्या आप इस जवाब से सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप चर्चा कर ल, मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने अभी बताया कि इस संबंध में स्टेट लेजिस्लेचर की पावर इन क्वैश्चन है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी तरफ से एडवोकेट जनरल पैरवी कर रहे हैं या कौन कर रहा है ? क्या आपकी तरफ से एडवोकेट जनरल से डिफेंड करने के लिये कहा गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जरूर कर रहे होंगे, स्टेट की तरफ से ।

श्री चरण सिंह—

आपकी तरफ से उनसे पैरवी करने के लिये कहा गया है या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो रिट चल रही है उसमें स्टेट गवर्नमेंट पैरवी कर रही है ।

श्री अध्यक्ष—

कौन कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह पता लगाकर ही बता सकता हूं कि कौन कर रहा है ।

श्री चरण सिंह—

1948 में गवर्नर जनरल की तरफ से यह पावर्स गवर्नर्स को डेलीगेट कर दी गयी थीं । उसके बाद गवर्नर को पावर्स थीं आदेश जारी करने की । आपका कहना यह है कि इस तरह की पावर्स इस समय इन क्वैश्चन है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया को यह लिखेंगे कि इसमें इस तरह का परिवर्तन कर दिया जाय, इसको अमेंड कर दिया जाय ? आप ऐसा लिखने क लिये क्या तैयार हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अभी इसमें यह भी तय नहीं हुआ है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट इम्पावर्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट । यह क्वेश्चन इन्वालव्ड है और अभी यह तय नहीं हुआ है, इसके होने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही नहीं है कि ऐडवोकेट जनरल तथा अन्य दूसरे लोगों से सलाह लेकर सन् 1962 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि आर्टिकिल 14 में अमेंडमेंट कर दिया जाए और उसी विचार से कौंसिल में एक बिल भी आया था, जो पास भी हो गया था, किन्तु बाद में किसी बड़े नेता के दबाव देने के कारण वह असेम्बली में नहीं आया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने पहले ही कहा कि बिल आया था, लेकिन किन कारणों से यह यहां से नहीं हो सका, मैं नहीं बता सकता । फाइल में कोई चीज है नहीं, और मैं भी उस समय नहीं था।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि आर्टिकिल 14 के परन्तुक में केवल डिस्क्रिएशन चीफ जज को है कि वह कुछ क्लाज या केसेज आफ क्लाजेज को ट्रांसफर कर सकते हैं । लेकिन 6 हजार केसेज का मास ट्रांसफर हुआ है । जबकि हाई कोर्ट के 5 न्याय मूर्तियों का फैसला हो चुका था कि पूरा अधिकार लखनऊ बेंच को है कि वहां मुकदमें दायर हों, निर्णय लिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत से प्रकार के केसेज को करटेल कर दिया गया है ? जबकि यहां पर बहुत से 1000 वकील काम करते हैं और उनमें से 250 हाई कोर्ट में काम करते हैं, तो क्या उनकी जीविका को ध्यान में रखते हुए, जहां 12 जिले हैं, इस प्रश्न पर इसनें वकीलों के राइट और जीविका दोनों का खयाल करके विचार करेंगे ? और क्या इस डिस्क्रएशन के बारे में चीफ जज को सलाह देने की कृपा करेंगे कि वह इस तरह से अपने डिक्रीएशन का प्रयोग न करें ।

श्री बलराम सिंह यादव—

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कांडक्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, हाउस में है कहा नहीं जा सकता है इस विषय पर कुछ, कि उन्होंने किन परिस्थितियों में और कितने केसेज ट्रांसफर किये हैं । लेकिन इतना बता दूं कि हमारे चीफ जस्टिस छुट्टी पर गये हैं, वहां से वापस आने वाले हैं । वहां से वापस आने पर वह इस बारे में अवश्य प्रयास करेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस प्रश्न पर यह जो बयानात न्याय मंत्री जी दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी भी यहां रहें तो लिया जाय । इसलिये यह प्रश्न इस समय स्थगित किया जाए और 22 तारीख को लिया जाए, तभी अधिकार पूर्ण तमाम बातों की जानकारी सदन को हो सकेगी ।

श्री चरण सिंह—

मैं गुप्ता जी की बात का इस शर्त के साथ समर्थन करता हूं कि आप सदन की तरफ से न्याय मंत्री से कह दें कि वह संबंधित फाइलों को अच्छी तरह से पढ़कर उस दिन आवें।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह और कहूंगा कि 22 तारीख को एडवोकेट जनरल को भी यहां बुला लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा हो ।

22 तारीख को फिर इस पर चर्चा होगी, उसमें ऐडवोकेट जनरल को भी आप बुला लें, क्योंकि वह हमारे सदन को थोड़ा बहुत एडवाइस देते हैं, मुझको भी और आपको भी सलाह देते हैं, तो उनको यहां बुला लेना अच्छा होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो प्रश्न उठ रहा है कि इस पर चर्चा का अधिकार है या नहीं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें पूरा अधिकार है, कांकेंट लिस्ट की एक धारा में बहुत क्लियर दिया हुआ है, उसके अन्दर हमें अधिकार है ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

यह जो एनालगमेशन आर्डर बताया गया और जो हमें लिखकर दिया है ....

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

हमारे चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे उस हाई कोर्ट को तोड़ कर मेरठ में ले जाना चाहते थे, वह भी मिसालें माननीय न्याय मंत्री लायें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं । इनको मैंने अस्वीकार कर दिया है । मैंने यह कहा है कि बजट पर बहस चल रही है उसमें आ सकते हैं । विश्वविद्यालयों के छात्रों में रोष एवं रजिस्ट्रार, वाराणसी विश्वविद्यालय पर बम फेंका जाना । इस पर दो घंटे की बहस होगी नियम 52 में ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

बहराइच जिले के सुनौली क्षेत्र के भटेही फार्म में पांच व्यक्तियों की गोलियों से हत्या । इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं या आप प्रश्न पूछ लें । यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता । यह मैंने फैसला दिया है।

(इस समय 1 बजे उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए ।)

1973-74 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद क्रमागत†

*श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार हमारे सामने दलबदलुओं की बनी हुई, 1971 के बाद पार्लियामेंट के चुनाव से प्रभावित लोगों ने एक संगठन बना कर सामने बिठा दिया है, इस सरकार में बिलखुसूस मुसलमानों और अछूतों के साथ अपने दौरे हुकूमत में, पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने जो ज्यादतियां और जुल्म किये हैं, मैं उसके चन्द नमूने रख रहा हूं ।

16 जन को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के खिलाफ एहतजाज करने के लिए फीरोजाबाद, बनारस में मुसलमानों ने खाली काली पट्टियां बांधीं । उसको बहाना बनाकर वहां पुलिस और पी0ए0सी0 ने बड़े मजालिम ढाये । उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है । मैंने खुद जा कर देखा । फीरोजाबाद में 82 घंटे से करक्यू लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं आ सकता था, पी0ए0सी0 और पुलिस तनात थी वहां 61 मुसलमानों को कत्ल किया गया । इस्लामिया इंटर कालेज जो बहुत बड़ा इंटर कालेज है, जिसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले हिन्दू ज्यादा हैं और मुसलमान कम थे, उस इंटर कालेज में मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उसमें आग लगाकर उसके 32 कमरों की छतों को, सारे सामान को, सारी किताबों को नजरे आतिश कर दिया गया । वहां न फर्श रहा, न किताबें, न लाइब्रेरी और न पढ़ने की इमारत । सब तबाह हो गया । मोहल्ले के मोहल्ले मैंने जा कर देखा, जहां 100-100 घर थे वहां गिरा दिये गये, ढा दिये गये । लेकिन इस सरकार की पी0ए सी0 और पुलिस तैनात रही । वहां के मरने वालों की लाशें बीस-बीस घंटे तक सड़कों पर पड़ी रहीं जिनका पोस्ट मार्टम नहीं हुआ । मुसलमानों घरों में बन्द रहे, उनको पानी तक नहीं मिला । यह सारी दास्तान फीरोजाबाद की मैंने देखी। इसी तरह से बनारस की भी है ।

---

†5 मार्च, 1973 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शफीक अहमद खां]

इसी तरीके के वाक्यात नानोरी और सजनी के भी हैं। आज इत्तिफाक की बात है हमारी करमफरमा मंजूर अहमद, साहब चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर मेरठ की बात कर रहे थे। मेरे हाथ में इस वक्त एक ब्लिट्स है जो कि 29 जुलाई का है। उसमें एक तरफ तो हमारे पंडित जी की मासूम सूरत बनी हुई है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इमारत का नक्शा, जिसके तरमीमी बिल के ऊपर मुसलमानों ने एहतजाज किया। उपाध्यक्ष जी, इस अखबार में लिखा है—यदि आप मुझे इजाजत दें, हालांकि पढ़ना नहीं चाहता फिर भी इसकी हेडिंग सुनना चाहता हूं—"जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का"। "उत्तर प्रदेश में जम्हूरियत का खात्मा" "पुलिस और पी0 ए0 सी0 का राज"। यही नहीं, वहां के लोगों ने और फोटोग्राफरों ने यह चाहा था कि हम इस इमारत की खस्ता हालत की दास्ता सुनाने के लिये उसकी एक फोटो उतारें लेकिन बेरहम पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने फोटोग्राफरों को उसकी तस्वीर नहीं उतारने दी। इन दलबदलुओं की बनी हुई सरकार ने अछूतों के साथ शदीद जुल्म ढाये हैं ..... (व्यवधान)

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

बनारसी राम से क्या कराया है ?

श्री शफीक अहमद खां—

इन दलबदलुओं की सरकार के अफसरान के सामने अछूतों के ऊपर जुल्म ढाये गये हैं। इसकी मिसाल में आपको इस अखबार में से जो कि मेरे हाथ में है, आपके सामने एक कहानी पेश करना चाहता हूं। यह अखबार 24-2-73 का है—ब्लिट्ज। यदि आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। ढोंगी पंडित कमलापति त्रिपाठी के राज में, 'उत्तर प्रदेश में मलिकुल मौत का कब्जा।' लिखा है 'गरीबी हटाओ, उल्लू न बनाओ।' इसमें बांदा की एक तस्वीर दी हुई है। इस सरकार की जम्हूरियत के कारनामे की जिसको देखकर सिर्फ आंखें शर्म से झुकती ही नहीं हैं बल्कि उनमें आंसू भी आ जाते हैं। एक तस्वीर इसमें और दी हुई है जिसमें लिखा है कि 8 बच्चों की एक मां की, जिसके साथ पुलिस ने जबरदस्ती उसके बेटे से जिना करवाया और वह भी पति के सामने। इससे ज्यादा लानत और शर्म वाली और क्या बात हो सकती है।

मेरे करमफरमा इस समय यहां पर नहीं हैं। वरना उन्हें मैं यह बताता। इसके अलावा अफसोस यह है कि फिरोजाबाद और बनारस के इन मामलों में कोई वाकया होता है तो जांच नहीं बैठाई जाती जहां कि काफी आदमी मारे जाते हैं लेकिन अगर लखीमपुर में एक आदमी मर जाता है तो उसकी जांच इन्क्वायरी बैठा दी जाती है क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं वह मुसलमानों का इलाका है। इस दौरे हुकूमत में कितने-कितने और कहां-कहां व्यक्ति तलब किये जाते हैं इस सनद की तरफ आपको याद दिलाऊं और वह है बुनकरों के सम्बन्ध में। मैं अभी मऊ गया था। वहां पर आबादी 1 लाख से कम न होगी। वहां के आदमी इसी रोजगार पर निर्भर करते हैं ? वे बुनकर जो अपना कपड़ा कहीं हैंडलूम से, कहीं पावर लूम से बनाते हैं, उनको सूत नहीं मिलता है। सूत वे सरमायेदार जो हुकूमत के एजेंट हैं, उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है और हमारी सरकार माफ करे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, वे भी वहीं के रहने वाले हैं और वे भी इस बात को जानते हैं कि जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, उन सबको इससे दूर कर रखा है जिससे भरपेट रोटी भी नहीं मिलती है। मुश्किल से आधे पेट रोटी मिल पाती है।

इसके अलावा यही चर्चा है, बड़ा तजकिरा है, बड़ा जिक्र है, इस बजट में भी जिक्र है कि उर्दू की तरक्की के लिये बहुत कुछ किया गया है। उर्दू एकेडमी बना दी गयी है और एकेडमी के जरिये हो सकता है कि आपने कुछ तवासीफ व शायरों को 10-5 हजार या लाख

दो लाख रूपया दे दिया हो लेकिन मैं कहता हूं कि जो उर्दू जबान बोलने वाले हैं, माफ करें उनके लिये आपने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो कहता हूं कि सन् 47 के पहले वाली हालत में कर दीजिये, यह गुलामी के बाद की बात कही जा सकती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमें 47 के पहले वाली हालत में पहुंचा दें। यह क्या आजादी है कि हम उर्दू में किसी अदालत में अपनी दरख्वास्त तक न दे पायें और कोई दरख्वास्त देने पर हुकूमत से उसका जबाव उर्दू में न मिल सके? यह बात दूसरी है कि बेगम साहब के पहलू में जाकर किदवाई साहब को सरूर आ जाता हो, और हमारे रियासत साहब जिन्होंने उर्दू को लेकर पहले बड़ी नाराजगी जाहिर की थी अब बेगम साहब के पहलू में आकर नाराजगी को भूल गये हों और अब उर्दू एडेडमी की बैठकों में जाना शुरू कर दिया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिलकुल ढोंग है। भले ही आपने उर्दू एकेडमी के नाम पर 10 लाख रुपया मंजूर कर दिया हो लेकिन सही बात यह है कि उर्दू वालों के लिये आपने कुछ भी नहीं किया है और न कर रहे हैं।

खेती के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। हिन्डालको को तो बिजली 1.97 पैसे की यूनिट मिले और किसानों को 19 पैसे फी यूनिट बिजली मिले, अल्युमिनियम और सीमेन्ट के कारखाने को तो 9.4 पैसे फी यूनिट बिजली मिले और किसानों को 19 पैसे फी यूनिट बिजली मिले, किसानों को तो बिजली रुपये में चार आना मिले और सेठ साहूकारों को कारखाने के लिये 12 आना बिजली मिले, इस तरह से आपने समझ रखा है कि कनाडा और अमेरिका से आपको गल्ला मिल जायेगा, लेकिन आप बिलकुल गलतफहमी में हैं। मान्यवर, आपके हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका और कनाडा आपको गल्ला नहीं देगा यहां की मातृ-भूमि, आपका देश और प्रदेश ही आपको गल्ला देगा। हमारी जो जमीन है, हमारी जो धरती माता हैं, उसी से हमारा पेट भर सकता है, किसी दूसरे देश के भरोसे रहने से पेट नहीं भर पायेगा। किसान जो इतनी मेहनत करके आपको गल्ला देता है उसकी बिजली का दाम आपने बढ़ा दिया, नहर आबपाशी का दाम बढ़ा दिया, लगान का दाम बढ़ा दिया और हमारी जरूरियात जिन्दगी की जो चीजें हैं, जिनको हम खरीदते हैं, खेती से सम्बन्धित औजार व और सामान खरीदते हैं---जैसे-ट्रक का दाम पहले से दुगुना हो गया, आबपाशी आपने ड्योढ़ी कर दी लेकिन आपकी जिद है कि आज से 4 साल पहले जो गेहूं का दाम था उससे ज्यादा दाम देकर नहीं खरीदेंगे।

श्रीमन्, मैं आप से जानना चाहता हूं, आप बावत दे रहे हैं, जो लोग अमन से बैठे हुये हैं, उनको आप चाहते हैं कि जैसे बिजली के इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी, रोडवेज वालों ने हड़ताल कर दी, सरकारी मुलाजिमान ने हड़ताल कर दी, उसी तरह से ये अमन से बैठने वाले लोग भी हड़ताल करें। मां भी बच्चे को दूध तभी देती है जब वह रोता है। लेकिन हम आप से कहे देते हैं कि सूबे के किसान को अपने पेट की खातिर, अपनी रोजी की खातिर, आपके मुकाबले में आयेगा और आपको उस भाव पर कभी गल्ला नहींदेगा। आप खबरदार हो जाइये कि सूबे का किसान इतना बड़ा जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मरता क्या न करता वाली मिसाल आपके सामने आयेगी। "जब हद से बढ़ जाती है इंसान की मजबूरी तो अमन पसन्द ही बगावत की बात करते हैं।"

ऐसी सरकार जो अपने लिये तो एयर कंडीशन बनाये उसको शर्म आनी चाहिये क्योंकि कल उसने बताया था कि दिसम्बर, 72 में 11 आदमी सर्दी से मर गये। दुनिया में लोग भूख से मरते हैं लेकिन यहां के लोग सर्दी से मरते हैं। यहां लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं और हमारी सरकार जो एयर कंडीशन चाहिये, आपको बंगला चाहिये, आपको मोटर चाहिये, आपका बच्चा सरकारी मोटर में स्कूल जाये और हमारे गरीब के बच्चे को पेट भर रोटी भी नसीब न हो। यह कहां की शराफत की बात है। इससे आपको शर्म आनी चाहिए। आपको गरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिये कि आप क्या कर रहे हैं।

[श्री शफीक अहमद खां]

जहां तक रिश्वतखोरी की बात है, हम रोज अखबारों में देखते ह, सुनते-सुनते हमारे कान पक गये हैं और देखते-देखते हमारी आंखें थक गई हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के फंक्शन में कलकत्ता जायें और उसका खर्चा हमारे ऊपर डाला जाये। यह कहां की इंसानियत है। हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी हमारी बात गौर से सुनने की मेहरबानी करें क्योंकि उनको जबाव देना होगा। मैं देख रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शर्म की हद हो गई। जनता से रुपया ले और अपनी पार्टी के अधिवेशन में कलकत्ता जाये और उसका खर्चा हम बर्दाश्त करें। यह कैसी गरत-मन्द अरबाबे हुकूमत हो गई है।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

माननीय सदस्य गलत आरोप न लगायें।

श्री शफीक अहमद खां—

एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने बजट देखा। एक ऐसा फन जिसको दुनिया भर मानती है उसकी तरफ बजट में कोई तवज्जुह नहीं फरमाई गई है। इसके दो कालेज हैं। एक इलाहाबाद में है और एक लखनऊ में है। हमारे सूबे में यही दो तिब्बिया कालेज हैं। इसकी बिल्डिंग वगैरा या किसी चीज का किसी किस्म का कोई तजकिरा नहीं है। इनको सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी से एफीलियेट कर दिया गया है। इतने से बस नहीं होगा। इसमें आपने कोताही की है। यह दुनिया का माना हुआ फन है। हिकमत का नाम आज दुनिया भर में लिया जा रहा है। आपने इसको तरक्की के लिये कुछ नहीं किया है।

थोड़ा सा अर्ज कर दूं। हमारे क्षेत्र का वाकया है। हमारे क्षेत्र में दो गांव गरीबपुरवा और मंडनपुरवा हैं। वहां 6 महीने से बिजली जल रही थी हमारे मंत्री जी उसका उद्घाटन करने रात के 12 बजे वहां पहुंचे। उस वक्त मैं तो सो गया था वहां कितने अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे होंगे लेकिन मंत्री जी वहां रात में पहुंचे जबकि वहां बिजली कितने ही दिन पहले से जल रही थी। आज जो कांग्रेस हुकूमत की इतनी तारीफ की जा रही है वह असलियत से दूर है, जो यह कर रहे हैं और यह क्या है वह हम जानते ह और अब सूबे के अवाम भी जान गये हैं, अब यहां की भोली भाली जनता ज्यादा इनके फालतू नारों में आने वाली नहीं है और जो सन् 1974 के एलेक्शन आने वाले हैं उनमें आप बचने वाले नहीं है। आने वाले चुनाव में वह सब कुछ पूछ लेगी और समझ लेगी। आखिर में मैं इंल्तिजा करूंगा कि अगर कोई मेरे शब्द ऐसे कह गये हों कि जिनसे उनको बार गुजरार हो तो मैं उसके लिये माफी चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह बजट जनता के सुख के लिये नहीं है बल्कि इसका ज्यादा हिस्सा अपने और अपने सहयोगियों के ऐशो-इशरत के लिये है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष जी, यहां का करीब-करीब एक तरीका सा हो गया है कि शुरू में एक शेर जरूर पढ़ा जाता है। मैं कोई शायर तो नहीं हूं लेकिन अगर हालात के बामौजिब कोई शेर होता है या मेरे सामने कहा जाता है तो मैं उसको याद करने की जरूर कोशिश करता हूं। एक शेर जो मुझे याद है वह यह कि :

"निजामे जम्हूरियत का सबसे पहला सबक यही है
जो 4 सच्चे करे वह बातिल जो 5 झूठे कहें वह सच है।"

उस तरफ के दल से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात को जो मैं कहूं। आप उसे बातिल मानें या न माने उससे मुझे कोई अफसोस न होगा लेकिन मेरा शुमार सच्चों में जरूर रखें।

मैंने गुजिश्ता 3 दिन में बजट पर स्पीचेज सुनीं और सबसे ज्यादा गौर से मैंने चौधरी चरण सिंह की स्पीच सुनी। मैं चौधरी चरण सिंह साहब को उनकी स्पीच पर मुबारकबाद देता हूं। इसलिय नहीं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस सब से मुझे इत्तफाक है बल्कि इसलिये कि मैं चौधरी साहब क स्टट्स क आदमी स जो डिगनिफाइड और मेजर लेन्गुएज का इस्तेमाल करन की उम्मीद थी उसका इस्तमाल उन्होंने किया। उनकी एक फैक्चुअल स्पीच हुई और उन्होंने इनसिनएशन्स कम किये। एक डिगनिफाइड स्पीच उनकी थी। मैं उनकी सब बातों स एग्री नहीं करता। अगर उनकी सब बातों से एग्री नहीं करता तो वह इसलिये नहीं कि वह अपोजीशन की तरफ से आई है। मैं उनको अपोज करूं यह तो मेरे वास्ते गलत होगा।

चौधरी साहब ने फरमाया कि हमारी पर-कैपिटा इन्कम में कोई इजाफा नहीं हुआ है और हुआ है तो इतना कम हुआ है जिसके ऊपर हम ज्यादा फख्र नहीं कर सकत। मैं समझता हूं यह बिलकुल ठीक बात है कि गुजिश्ता 25 साल में देश ने अपनी गुलामी से निकल कर बहुत कुछ तरक्की की लेकिन वह तरक्की आप देखें, कल एक साहब फरमा रहे थे कि किसी दूसरे मुल्क ने नहीं की। शायद देश के बाहर निकलने का उनको इत्तिफाक नहीं हुआ, मैं उनको बताऊं कि मैंने देश की आजादी के बाद छोटे-छोटे मुल्कों को सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी की बदौलत आजाद होते देखा और उनमें यहां से भी ज्यादा तरक्की हुई। लकिन फिर भी यह कहना कि हमार यहां यह दश 25 साल बाद उसी जगह पर पढ़ा हुआ है जिस जगह पर पहले था, यहां पर जो कांग्रस सरकारें या दूसरी सरकारें रही हैं उन्होंन देश की तरक्की क लिय कुछ नहीं किया। तो यह कहना बिलकुल गलत होगा और इसे हमें कभी कबूल नहीं करना चाहिये।

चौधरी साहब ने फरमाया कि हमारी कमजोरियों की दो वजहें हैं। जो दो वजह उन्होंने बतायीं, उनसे मैं सैन्ट परसैन्ट एग्री करता हूं। एक तो उन्होंने यह बतायी कि हमने बिग इन्डस्ट्रीज की ओर ज्यादा ध्यान दिया और एग्रीकल्चर को नैग्लेट किया। यह बिल्कुल वाक्या है और अगर हम इसका खयाल रखते कि हमारे मुल्क में 80 फीसदी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करती है। हम एग्रीकल्चर पर कन्सेन्ट्रेट करते, साथ साथ बिग इन्डस्ट्रीज को भी लेते तो शायद हिन्दुस्तान की तरक्की इससे बहुत ज्यादा होती। आज भी क्या यह वाकया नहीं है कि हमारे गांवों में जितनी इर्रीगेशन फैसिलिटीज हम एक्सपैक्ट करते हैं, और जितनी हमको जरूरत ह, काश्तकारों को मुयस्सर नहीं है? क्या यह वाकया नहीं है कि हम को सीड्स अवेलेबिल नहीं होते हैं। जितन हमारे सीड्स्टोर्स है, उनमें बहुत बेईमानी होती है और उनसे हम को सीड्स भी फराहम नहीं हो पात हैं? क्या यह वाक्या नहीं है कि हमको कल्टीवेशन की फैसिलिटीज भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? बहुत से काश्तकार होते ह जो ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते हैं। जो बड़े-बड़े लोग ह, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, वे तो अपने खेत जोत सकते हैं लेकिन सब तो ट्रैक्टर नहीं रख सकते हैं।

आज कल एक ट्रैक्टर 20, 25 या 30 हजार रूपये में आता है तो छोटे काश्तकार कहां से इतनी धनराशि लाय। मैंने पिछल वर्ष भी अपनी बजट स्पीच में कहा था कि सरकार द्वारा ऐसे सन्टर्स कायम किए जायं जिन पर सरकारी ट्रैक्टर्स अवेलेबिल रहें और काश्तकार उनको किराये पर ले जायं और अपने खेतों में इस्तेमाल करें। क्या यह वाक्या नहीं है कि जितने फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, वह हम को अवेलेबिल नहीं होता है। फर्टिलाइजर की कीमतें भी इतनी ज्यादा हैं कि जो गरीब काश्तकार है, 5 या 6 बीघे की खेती करते ह, वे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। काऊडंग का इस्तेमाल भी वे पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्या यह वाकया नहीं है कि आज भी गांवों में पावर नहीं मिलती है, लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं, अपनी मशीनें लगा ली हैं लेकिन पावर उन्हें अवेलेबिल नहीं

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई]

है। इसका कौन जिम्मेदार है बिलकुल यकीनीतौर पर जो इससे सम्बन्धित लोग हैं, वे ही इसके जिम्मदार ह या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन पर इसकी जिम्मदारी है या उनपर जिनको इसके इन्तजाम के लिए रखा गया है। इन एडमिनिस्ट्रटरों में हमारे मिनिस्टर साहबान भी शामिल हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं।

यह बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक 25 साल बाद भी आज हमारे काश्तकार यह नहीं कह सकते हैं कि हमने तरक्की की है और हम सब को ये आसानियां उपलब्ध हैं। परसों हमार माननीय चौधरी साहब ने फरमाया था कि हमने काटेज इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। कोशिश तो की लेकिन जितनी करनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुयी, आज भी आपको मालूम होना चाहिये कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी काटेज इन्डस्ट्री बुनकरों की है जिस पर लाखों करोड़ों आदमी बसर करगे लेकिन आज उनकी हालत क्या है? वे सूत भी नहीं खरीद सकते हैं। उनको सूत नहीं मिलता है। कल ही मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि मऊ का एक वीवर खुद तो घर से भाग गया लेकिन अपने 4 बच्चों को बेच गया। जब उसकी अदममौजूदगी में वह आदमी आया जिसने उन बच्चों को खरीदा था, तो चीख पुकार हुयी। क्या यह वाक्या नहीं है कि जिस कांस्टीटुएन्सी से में आता हूं उसम 20 हजार वीवस हैं।

जब मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी में जाता हूं तो वीवर्स क्लास मुझसे मिलता है। तब वे कहते हैं कि किदवई साहब सूत का क्या इन्तजाम करें। मैं उनसे बराबर यह कहता हूं कि फलां मिनिस्टर साहब ने यह इन्तजाम किया है और एल0 एन0 मिश्रा साहब का फलां स्टेट मेंट हो गया है लेकिन आज भी सूरत यह है कि उनको सूत नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो गरां मिलता है। बक्स से वादे होत ह कि वह मदद करेंग लकिन वे मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं हालांकि व नेशनलाइज्ड और लिंक बैंक्स हैं जिन पर गवर्नमेंट का इक्तिदार है लेकिन तब भी उनको नहीं मिलता। जगह-जगह पर पावर लूम्स लगे हुये ह लेकिन वे बगैर पावर के नहीं चलते। मेरे गांव म खुद 16 पावरलूम्स हैं जो बिजली की वजह स पिछले 5 सालों में तो मैंने चलते नहीं देखे। उनको पावर अवेलेबिल नहीं है, कैपिटल अवेलेबिल नहीं है। कैपिटल वह चाहते हैं कि बैंक्स के जरिये से मिलें लेकिन बैंक्स इसके लिये तैयार नहीं हैं।

कहा है कि बिजली हमने फराहम की है मगर हमारे ट्रांसमिशन के लासेज बहुत हैं। मुझे माननीय तिवारी जी की इनायत से पब्लिक एकाउन्टस कमेटी में वर्क करने का इत्तिफाक हुआ है और मैंने रिहन्द डाम को देखा है और ओबरा को भी देखा है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह क्या सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसमें 24 परसेंट तो लासेज है और उसके बाद में गवर्नमें उसको सिर्फ राइट आफ कर दें। आपको इसको खना चाहिये था कि यह किनकी वजह से हुआ है और कौन लोग इसके लिय जिम्मेदार ह और उसको रफा करना चाहिये था।

चौधरी साहब ने और भी बातों का तजकिया किया है। उन्होंने कहा है कि अनएम्पालयमेंट बढ़ता चला जा रहा है और 35 लाख लोग अनएम्प्लायड इस वक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टेस वर्क्स दिये गये हैं और वह अनएम्पलायमेंट को रफा करने के वास्ते किया गया है। यह काम बहुत अच्छा हुआ है और शायद यह काम न होता अगर इंदिरा गांधी की वह स्कीम न होती। मगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है वह अगर 4 रुपये उनकी मजदूरी है तो मरे ख्याल म उनकी बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर उनको 3 रुपय भी मिल जाते हो और रुपया दरमियान में ही चाहें इंजीनियर गायब करत हों और चाहे बूसर करत हों कभी उनको पूरा पैसा नहीं मिलता।

ला एण्ड आर्डर के ऊपर भी उन्होंने कहा। यह कहना कि ला ऐण्ड आर्डर बिलकुल ठीक है मेरे खयाल में बिलकुल गलत होगा। रियलिटीज को फस करना चाहिय और जब तक आदमी रियलिटीज को फेस नहीं करेगा तब तक वह कोई सोल्यूशन नहीं पा सकता और अगर कोई सोल्यूशन निकालेगा भी तो वह भी गलत होगा। क्या यह वाक्या नहीं है कि फिरोजाबाद और बनारस और दूसरी जगह ऐसे-ऐसे वाकयात हुये हैं जो एक ऐडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते शर्मनाक वाक्यात है। मुझे खेद है कि कम से कम 25 साल में हिन्दू-मसलमानों को बावजूद इसके कि मुसलमानों और हिन्दुओं ने यह प्रोपेगंडा बराबर जारी रखा कि हिन्दुस्तान एक कौम नहीं हो सकती लेकिन अब यह जहन में तो आ गया है कि टेरीटोरियल बेसिस पर ही कौमें बन सकती हैं, रेलिजस बेसिस पर नहीं बन सकती है। अगर रेलीजस बेसिस पर कौमें बनती होतीं तो पूरा वेस्ट एशिया एक कौम हो जाता है। अगर रेलीजस बेसिस पर कौमें बनती होतीं तो पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हो सकता था। कौमें टेरीटोरियल बेसिस पर बनती हैं। जहां पर आज बलवे हुये गुजश्ता एक या 2 सालों में वह सब हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े नहीं थे। आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन ने मुसलमानों पर सख्तियां कीं, उन पर जुल्म किये। उसके इन्तिकाम में यह सब हुआ और जब उन्होंने देखा कि यह तो हमारे सामने आते हैं तब उन्होंने कहा कि हिन्दू-मुसलिम फिसाद हो गया।

मुझे मालूम है कि फिरोजाबाद और वाराणसी के ऐसे वाकयात हैं, जब हिन्दुओं को मुसलमानों ने बचाया है। क्या यह आंख खोलने वाली बात नहीं है? हिन्दुस्तान में ऐसी बातें जरूर पैदा हो गयी हैं कि हिन्दू-मुसलमान की बेसिस पर हम अपने को डिवाइड नही कर सकते। लेकिन ऐसी भी कुछ ब्लैक शीप अपने कौम में होते हैं, कुछ हम पैदा करते हैं, कुछ अपोजिट पार्टीज पैदा करती हैं, और वे हमेशा ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। उन ब्लैक शीप में, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी तादाद हमारे सूबे में एडमिनिस्ट्रेशन में है कि जिनका काम ही यह रह गया है कि वे अपनी तरक्की के वास्ते, अपनी नेकनीयती के वास्ते, हमेशा हिन्दू-मुसलमानों को लड़ायें और बाद में यह ऐलान कर दें कि हमने अपने इंतजाम से मामले को खतम कर दिया। मैं एक ऐसे कस्बे का रहने वाला हूं कि जिसमें 50 वर्षों से तो मैं जानता हूं और भी कुछ ऐसे बुजुर्ग बाकी हैं जो कहते हैं सैकड़ों साल से वहां हिन्दुओं और मुसलमानों में यूनिटी है। मैंने नहीं बनाया उसको, वहीं के लोगों ने बनाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय अब खतम हो गया है। कितना समय और चाहते हैं?

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

मुझे थोड़ा समय और दे दें मान्यवर। मैं जहां इर्रिलीवेंट कहूं वहीं रोक दें आप। अभी थोड़े दिन हुये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि हमारे विलेज को दुनिया में बदनाम कर दें। एक तरफ वहां ऐसे महापुरुष ऐसे सेक्रीफाइंग इंसान, जैसे रफी अहमद किदवई, जैसे लोग हुये हैं। लेकिन उनके जाने क बाद ही हिन्दू-मुसलमान लड़ने को तैयार हो गये। मैंने एक तरकीब से रोकने की कोशिश की। मुझे दुनिया में किसी मजहब की नहीं बल्कि इंसान के खून की इज्जत है। मैंने कहा कि त्योहार हो या न हो, लेकिन मेरे गांव में, किसी हिन्दू या मुसलमान का खून नहीं बहेगा और अगर बहेगा, तो पहले मेरा खून बहेगा। गरज कि वह रुक गया। हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं तमाम मालूमात रखते हैं। मुझे यकीन कि वह मुख्य मंत्री जी, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, जो सन् 21 से इस आजादी की लड़ाई में बड़े भारी शिकार रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ इस मामले में मेरी मदद करेंगे।

अब बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से ठीक किया जाय। मैं खुद 32 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं। मैं सरकारी इंसान की जेहनियत को जानता हूं। मेरा खयाल यह है कि इससे खराब जेहनियत का आदमी होता ही नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

आप क्या देख रहे हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन में ?

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आपकी समझ में नहीं आयेगा, वह क्या कह रहे हैं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

मैं बहुत कुछ रहा हूं। ला में रहा हूं। एम्बस्डर भी रहा हू।

सरकारी आदमियों की जेहनियत सिर्फ यह रहती है कि जब अंग्रेज थे, तो उनके सख्त ल्वायल कहलाते थे, उसके बाद जब पन्त जी मुख्य मंत्री हुये, तो उनके ल्वायल हुये, फिर गुप्ता जी के ल्वायल रहे, फिर चरन सिंह क ल्वायल हो गये और अब कमलापति त्रिपाठीजी के ल्वायल हो गये हैं। यह तो कौम ऐसी हैं जो बिना ल्वायलिटी के नहीं चलती, अगर ल्वायलिटी से काम न करे तो नौकरी पर खतरा लावे। इनको तरीके से जो गाइड कर ले, वह गाइड कर लने वाला साउन्ड माइन्ड का हो तो तो ठीक तरह से गाइड कर सकता है और इनको कन्ट्रोल भी कर सकता है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अक्सर मंत्री साहिबान यह कहा करते हैं कि हमारा सेक्टरी नहीं मानता है। जिस वक्त उनके मुह से यह लफ्ज निकलते हैं उस वक्त मुझे शर्म आती है और एक रश्क भी होता है। मैंने एसे मिनिस्ट्रों के जमाने में वर्क किया है और जब मैं नोटस तैयार करके पन्त जी और काटजू के पास भेजता था और वहां से लौट कर जब फाइल आती थी तो मैं यह देखता था कि उन्होंने माना या नहीं माना। अब तो मंत्री जी स्वय यह कहते हैं कि मेरा सेक्रेटरी नहीं मानता।

दूसरी बात यह है कि कैबिनेट में सिर्फ एक लेडी है, और उसमें बहुत से अच्छे मिनिस्टस भी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो नाम ल लूं—बेनी सिंह जी हैं, धर्मदत्त वैद्य हैं, वगैरा, जिनके ऊपर फख्र करने की बात है····

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

तभी भुखमरी फैली हुई है····

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

मेरी बात सुन लें, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा। अब ज्यादातर जो मिनिस्टर्स साहिबान हैं उनकी वही खसलत है जो एक पर्दानशीं लेडी की, वह अपन आफीसर और कान्स्टबिल के सामने बहुत उम्दा बात करते हैं, लकिन अपनी पार्टी के वर्कर के सामन जान में शम आती है····

श्री मोती लाल देहलवी—

इसीलिये आप चेहरा नहीं देख पाते····

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

अगर न्दिरा जी के प्रोग्रामों को चलाना है तो मिनिस्टर साहबान को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरइहै। उनको अपनी पार्टी के वर्कर्स से ही नहीं दूसरे सोशल वर्कर्स चाहे वह खिलाफत पार्टीत के ही क्यों न हों और अगर ओनेस्टली वर्क कर रहे हों तो उनसे ज्यादा से ज्यादा कान्टेक्ट करने की जरूरत है। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम पिछले 4 सालों के बाद कह सकते हैं कि जितने कांग्रेस के प्रोग्राम थे उनको पूरा कर लिया है ? मैं जब यह कहता हूं तो मुझे खुद शर्म भी आती है क्योंकि मैं खुद कांग्रेसमैन हूं। हमारा एक प्रोग्राम यह था कि कि हम एक सैकूलर स्टेट कायम करेंगे। अब मैं मिनिस्टर साहब और मुखालिफ लोगों से खास तौर से जनसंघ के लोगों से यह कहूंगा कि वह अपने दिल पर हाथ रखकर बतावें कि क्या यह

बिलकुल सेकूलर लाइन पर यह स्टेट चल रही है । इस बारे में तरह-तरह की बातें कही जाती है, लेकिन में उन चीप बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे उस सिपाही से उस लीडर से यह उम्मीद है कि यह बात फिर से एक मर्तबा दुहरावें कि हिन्दस्तान को सकूलर स्टेट होना चाहिये और अगर यह नहीं होता है तो जो दुनिया की कौमों में तरक्की करने का कोई हक नहीं होगा । थ्योक्रेटिक बहुत सी स्टेट रही है जसे सऊदी अरैबिया, वहां पर अरबों रुपया सड़कों पर बहता है, अगर आप वहां जाइये तो आप यह देखेंगे कि उनको भी सकूलर पालिसी पर अमल करना पड़ा है, उसी तरीके से यह भी जरूरी है कि हिन्दुस्तान को सैकूलरिजम पर अपने जो ख्यालात हैं उन्हें किताब से लेकर फिर से रिवाइज करना चाहिये ।

सोशलिज्म का तजकिरा होता है । हमारे जायसवाल वगैरह सोशलिज्म की बहुत बात कहते हैं । मैं सोशलिज्म के मायने, जो बहुत सिम्पुल मायने हैं, यह समझता हूं कि सोशल इक्वलिटी और इक्वल अपरचूनिटीज । क्या हमको यकीन है कि सोशल इक्वलिटी और इक्वल अपरचूनिटीज सबको पहुंचा दी हैं । इंटीगरेशन हमारी एक पालिसी है । मगर इंटीगेरेशन को हमने कहां तक आगे बढ़ाया है । इंटीगरेशन इस तरह से तो नहीं बढ़ता कि आप किसी सेक्शन को सप्रेस कर दें या उसके ऊपर फोर्स यूज करें । इंटीगरेशन तो गुडविल के बेसिस पर होता है । मेरा किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं, किसी कौम से ताल्लूक नहीं । मैं उस कौमियत का हामी हूं जहां हर नागरिक को इक्वल हकूक हों और इक्वल अपरचूनिटीज हों । हमसे कहा जाता है रिमूवल आप पावर्टी । यह हमारे प्रोग्राम में दाखिल है । बहुत अच्छी चीज है । हिन्दस्तान से पावर्टी जानी चाहिए मगर कुछ हालात ऐसे हो गये हैं कि जो लोग दो वक्त खाना खाते थे अब एक वक्त भी नहीं खा पाते । इस वजह से नहीं कि हमारी गवनमेंट यह चाहती है मगर इस वजह से कि कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि उनके लिए नामुमकिन हो गया है कि दोनों वक्त खाना खा सकें ।

फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जिस वक्त यह ऐलान किया कि गरीब से गरीब आदमी को 165 रुपया सेलरी मिलेगी तो लोगों ने मेजें थपथपायीं । मैं सोच रहा था कि आखिर यह कौन खुशी की बात है । क्या मीनियल सर्वेन्ट या फोर्थ क्लास इम्प्लाई के लड़के लड़कियां कम होते हैं और खाना कम खाते हैं । दो लड़के कम से कम और एक बीबी होती है । चार पांच आदमी उसकी फेमिली में होते हैं । उनके लिए 165 रुपया तनख्वाह क्या हुई । मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि इन फाइनेन्शियल कंडीशंस में इससे ज्यादा तनख्वाहें नहीं बढ़ायी जा सकती । लेकिन यह मसला हल करने का तरीका सिर्फ यू0 पी0 तक महदूद रह कर ही न सोचें । मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि मलेशिया चलें । वहां देखें कि हाइस्ट और लोएस्ट सैलरी में क्या फर्क है । चीफ मिनिस्टर की तमख्वाह 2,5,00 मिनिस्टर की 2,200, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की 1,600, प्राइमरी टीचर्स की 800, चपरासी और कांस्टेबुल पाते हैं 500 रुपया ।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

लेकिन एक कप चाय दो रुपये में मिलती है ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

मुझे दो रुपये का रेट तो नहीं मालूम क्योंकि मैंने बाजार में चाय पिया नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

भैंस के आगे बीन बजाय, भैंस खड़ी पगुराय । वह आमदनी और खर्चे का फर्क बतला रहे हैं और आप चाय की बात ले आये ।

श्री राजबहादुर चन्द—

अगर एक हजार रुपया तनख्वाह दें और दो रुपया में चाय का प्याला मिले तो उससे क्या होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किदवई साहब बतला रहे हैं कि छोटी और बड़ी तनख्वाह में वहां क्या फर्क है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 1 और 5 का रेशियो बतलाया।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बजट में बैलेन्स चाहते हैं तो जरूरी है कि ऊपर के लोगों की जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं उन्हें कम कीजिये और नीचे के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाइये। यह काम अगर हम स्पीच देकर करना चाहें तो नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि आप बड़े खुदगर्ज हैं—हमको तो कटवा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि यह मुहब्बत नहीं थी कि हायर सैलरी के लोगों ने स्ट्राइक नहीं की है। यह उनकी मुहब्बत नहीं है और न ही ल्वायल्टी ही है। वे इतने सेटिस्फाइड हैं अपनी सैलरीज से कि उनको जरूरत नहीं है चिल्लाने की। जो भूखों मर रहे थे वे चिल्लाएं। अगर आप उनकी सैलरीज रिड्यूस करें और लोअर स्टाफ की सैलरीज बढ़ावें तो मेरे ख्याल में बैलेन्स्ड बजट कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इन लोगों को भी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये खड़े हैं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

अगर आप हुकुम देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। वैसे मुझे कुछ और कहना है।

मुझे यह कहना है कि जितना हो रहा है मैं उस सब से सहमत हूं, उस पर खुश हूं, यह गलत है। मैं खुद तकलीफ में हूं और बहुत सख्त दिमागी तकलीफ में रहता हूं न सिर्फ इस वजह से कि वह पार्टी हुकूमत में है जिसका कि मैं मेम्बर हूं बल्कि इस वजह से कि मैं गांधी जी के जमाने में पैदा हुआ था, गांधी जी के वादों को सुना था और वह हिन्दुस्तान अभी तक नहीं बन सका है। मगर उसी के साथ ही साथ मुझे जैसा कि गांधी जी और नेहरू के ऊपर यकीन था, इन्दिरा गांधी के ऊपर पूरा यकीन है। मैंने जिन्दगी भर नेहरू की पूजा की थी। मैं अनहैप्पी जरूर हूं मगर वोट अपनी पार्टी के साथ ही दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा को 3 बजे जाना है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जाना तो हमको भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों के बीच में आपको मौका मिलेगा। आपने तो नहीं कहा था कि आपको 3 बजे जाना है। इन्होंने तो कहलाया है कि 3 बजे जाना है।

*श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

माननीय नारायणदत्त तिवारी, वित्त मंत्री ने जो 76.3 करोड़ रुपये के घाटे का जोर बजट प्रस्तुत किया है पूर्व इसके कि मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करूं श्री किदवई द्वारा जो विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्त किये गये हैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने निष्पक्ष भाव से विचार रख हैं लेकिन उन्होंने जो जनसंघ पर आरोप मंडित किए हैं उसके लिए वे अपने दिल की गहराई से पूछें। 25 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों में ऐसा जहरीला प्रचार भर दिया है कि एन्टी जनसंघ भावना के अलावा भी कुछ और है? सच्चाई यह है कि इसके लिए अध्ययन करें किदवई जी। जनसंघ के सभी कार्यकर्त्ताओं के हृदयों में भारत के सभी लोगों के लिए किवाड़ खुले हुए हैं। जो उसमें आएगा उसको समान रूप से समझा जायगा।

मान्यवर, कांग्रेस दल की नीति को देखें। अंग्रेजों की पालिसी रही है कि देश के अन्दर विघटनकारी शक्ति बनाए रखो और उनपर अपना शासन दल बना कर बैठे रहो। यह तो केवल कांग्रेस की ही देन है---और किसी दल का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता। वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट भाषण पेश किया गया है उसका मैं किन कारणों से विरोध करता हूं उसके ऊपर संक्षेप में अपने विचार रख दूं।

इस बजट के अन्दर सोसाईटी के किसी कार्नर को किसी प्रकार का भी लाभ मिल रहा मुझे मालूम नहीं पड़ता। इस समय गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, अनुशासन हीनता हड़तालें, अशान्ति प्रदेश में भयंकर रूप धारण किए खड़ी हैं और इस बजट के द्वारा इनमें से किसी भी प्रकार की कमी नजर आती नहीं दिखायी देती। किसी विशेष वर्ग को कोई राहत मिलती हो इस प्रकार की कोई भावना इस बजट के अन्दर नहीं है। मान्यवर, इस बजट में 76 करोड़ का जो घाटा दिखलाया गया है उसके लिए माननीय तिवारी जी का यह कहना है कि इस घाटे को छोटी बचतों के द्वारा और अन्य अनेक रास्तों से वर्ष के अन्त में पूरा कर लिया जायेगा। प्रत्येक वर्ष इस तरह के घाटे के बजट सदन में उपस्थित किये जाते हैं परन्तु उनकी पूर्ति कैसे होती है? वर्ष के बीच में कर लगाने के फलस्वरूप। इसके साथ ही साथ केन्द्र से ओवर-ड्राफ्टिंग करके इन घाटे के बजटों की पूर्ति की जाती है। उसका दुष्परिणाम हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है कि घाटे के बजट की ओवरड्राफ्टिंग भारत सरकार करेन्सी नोट छापकर करती है और उसके कारण वर्ष के अन्त में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके कारण 25 वर्ष में एक रुपये का मूल्य 20 पैसे रह गया है और पिछले 5 वर्ष में घटकर 50 पैसे रह गया है। यह तो प्रदेश और देश की हालत है।

इसके अतिरिक्त, बजट में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि इसमें बहुत सी योजनायें दिखलाई गई हैं लेकिन यह इस सदन की परम्परा रही है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो अनेकों योजनायें दिखलाई जाती हैं लेकिन वर्ष के अन्त में वह वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। रुपया लैप्स हो जाता है। इस कारण योजना का एक भ्रामक रूप खड़ा किया जाता है। मान्यवर, तिवारी जी द्वारा वेतन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको वैसा ही स्वीकार करने के लिये कहा गया है लेकिन मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट का अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वागत नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई मंहगाई है। दो वर्ष पूर्व यह वेतन आयोग गठित किया गया था। दो वर्ष पूर्व जो मूल्य थे उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। दो वर्ष में जो मूल्य बढ़े हैं उसका अनुपात इसमें नहीं रक्खा गया है। इस कारण हर परिवार का आर्थिक ढांचा इससे चकनाचूर हो जाता है। इसलिये कर्मचारियों को इस वेतन आयोग से या हजारों वेतन आयोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस कारण जो बढ़ती हुई मंहगाई है उसको कहीं न कहीं नियंत्रित करना होगा।

मान्यवर, यह बजट वास्तव में किसान विरोधी बजट है। ग्रामीण क्षेत्र में 85 प्रतिशत जनता रहती है। उसके लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। भूमि विकास कर के नाम पर किसानों की कमर तोड़ी गई। जितनी मंहगाई बढ़ती है उसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर ही पड़ता है। यहां के अधिकांश माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वह जानते हैं कि वहां रहने के लिये मकान नहीं हैं, पहनने को कपड़ा नहीं है, बीमार पड़ने पर दवाइयों

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

की व्यवस्था नहीं है और चारों ओर असुरक्षा का राज्य फैला हुआ है। कल डा० अवधेश कह रहे थे कि जाग्रति अरबन क्षेत्र में आ गई है। अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों में आ गई है लेकिन जिस दिन ग्रामीण जनता में जाग्रति आ जायेगी उस दिन सरकार मनमानी नहीं कर सकेगी। मंत्रीगण खुद छोड़ कर भाग जावेंगे, जब जनता में यह भावना फैलेगी कि यह लोग क्या कर रहे हैं।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से उनको लूटा गया है, करों का बोझ वहां की जनता पर डाला गया है, उसके थोड़े से फिगर्स देना चाहता हूं। सिंचाई की दरें लगभग दूनी हो गयी है जितनी पहले थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन किसानों की पिछले 4 सालों में दूनी हो गयी है। वह इस प्रकार से कि सिंचाई की दरों में आप देखें कि दुगनी हो चुकी हैं। बिजली की दर दुगनी हो चुकी है। पंपिंग सट्स की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। उसमें इस्तेमाल होने वाले तेल के भाव भी दुगने हो गये हैं। खाद का मूल्य 50 प्रतिशत बढ़ गया है। ट्रैक्टर्स और अन्य मशनिरी जो ग्रामीणों के काम म आने वाली चीजें हैं उनमें 98 परसेंट इजाफा हुआ है। बाकी दैनिक इस्तेमाल की चीजों में भी उसी प्रकार से उनको भुगतना पड़ रहा है जैसा कि शहरी भाइयों को। किसानों का दूसरा पहलू है कि एक ओर तो किसानों के ऊपर कर-भार लाद कर उनकी कमर तोड़ी गयी है और साथ ही पिछले 5 वर्षों से गेहूं के भाव वही चल रहे हैं 76 रुपये के। पंत यूनिवर्सिटी के उपकुलपति ने एक बार उद्घाटन समारोह के अवसर पर यह कहा कि एक क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने के लिए एक किसान का 80 रुपया क्विंटल व्यय हो जाता है। यह सूझ-बूझ देखिये कि पंतनगर यूनिवर्सिटी जो एशिया की कृषि यूनिवर्सिटियों में इतना ऊंचा दर्जा रखती है वहां के वाइस-चांसलर तो यह कह रहे हैं कि 80 रुपया पर क्विंटल किसान का व्यय होता है और सरकार द्वारा केवल 72-74-76 का भाव निश्चित किया गया है। यदि कास्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रख कर दरें निश्चित की जातीं तो उत्पादित किये हुए माल में, गेहूं का भाव कम से कम 100 रुपया होना चाहिए। वरना मैं यह कहने को मजबूर हूं कि यदि हमारी सरकार 76 रुपये के बजाय 100 रुपया दिलाने में सफल नहीं हुई तो जनसंघ इस पर आन्दोलन खड़ा करेगा।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों का दूसरे ढंग से सरकार किस तरह से गला घोंटने जा रही है खाद्यान्न का थोक व्यापार अपने हांथ में लेकर उनके आर्थिक ढांचे को झकझोर दिया है। रियासत भाई ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा था कि व्यापारियों को निकालने में क्या कठिनाई है ? रियासत साहब किसान हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि शासक दल के जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी थे उन्होंने पिछले सालों में अपने कारनामों द्वारा कैसा गला जनता का घोटा है, वह छिपा नहीं है। जब किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन अधिक रहेगी तो 76 रुपये दर क्यों की जाय? सरकार तो एक शक्तिशाली चीज है। इस प्रकार से कानून की रूलिंग कर सकती है जिसमें बड़े व्यापारियों को झकझोर दिया जाय, उनको जेलों में सड़ा दिया जाय। लेकिन हमारे माननीय सदस्य इस बात को न भूलें कि लाखों हमारे भाई छोटे-छोटे भी व्यापार में लगे हैं, वह लाखों परिवार भी उजड़ जायेंगे।

इसके साथ-साथ उपभोक्ता, कंज्यूमर की भी वही स्थिति बनेगी जैसे कि गेहूं के साथ घुन की बनती है। आज खाद्य मंत्री सदन में और बाहर यह स्टेटमेंट देते हैं कि प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न की हालत बहुत अच्छी है। रामपुर की एग्जाम्पिल आपके सामने पेश करता हूं और वही सारे प्रदेश की है। पिछले तीन महीने से, जिसकी मुझे जानकारी है 500 टन गेहूं का कोटा एक महीने का रामपुर का है, उसके स्थान पर 10 टन गेहूं कवल भेजा जा रहा है। हिसाब लगा लीजिये कि पचासवां हिस्सा होता है कुल कोटे का। रामपुर की खाद्य समिति ने यह बैठ कर निर्णय लिया कि इस 10 टन गेहूं का क्या होगा तो कवल जलों के कदियों के लिए उस कोटे को अलाट कर दिया कि कदियों के लिए इसकी प्रायोरिटी बनी चाहिए।

उसी समय जनवरी में एक प्रस्ताव पास करके प्रदेशीय सरकार को भेजा गाया कि रामपुर में खाद्यान्न की यह स्थिति है। यह रामपुर की ही नहीं सारे प्रदेश की स्थिति है और इस प्रकार का झूठा बयान देने वाले मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये। इस प्रकार वह जनता को बहुत दिन तक गुमराह नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इस बार तो जनता ओपेन मार्केट से गल्ला खरीद कर अपनी जीविका चला रही है लेकिन अगले वर्ष जब खाद्यान्न का होलसेल ट्रेड आप अपने हाथ में लेने की सोच रहे हैं तो जनता की क्या हालत होगी इसकी कल्पना कर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कल भानु प्रताप जी ने जो उचित कही थी वह शत प्रतिशत सत्य है कि शासक दल अपनी कब्र खोद रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

52, 57, 62 की असेम्बलियों में परिपाटी यह थी कि बजट भाषणों के स्टैन्डर्ड को ऊंचा कर के कुछ इन्फार्मेशन भी सरकार की तरफ से दी जाती थी और किसी न किसी दिन गवर्नमेंट के मेम्बर निश्चित बोलते थे। अब यहां से सारे लोग बोलते चले जाते हैं और सत्य-नारायण जी की कथा की तरह से अंतिम अध्याय समाप्त होने पर वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री बोल देंगे, यह अच्छा नहीं है। पांच दिन की चर्चा में बराबर गवर्नमेंट के मेम्बर इंटरवीन करते थे तब जाकर बजट भाषण का स्टैन्डर्ड ऊंचा उठता था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पांडेय जी किस मेम्बर को सुनना चाहते हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

नगीना सिंह को ही खड़ा कर दीजिये।

सहायता तथा पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह) –

जायसवाल जी जब बोलेंगे उसके बाद ही तो हमको कुछ कहना होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैं खाद्यान्न के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के दुष्परिणाम की विस्तार में विवेचना कर रहा था। एफ 0 सी 0 आई 0 द्वारा पिछले वर्ष जो गेहूं लिया गया उसमें लौह कण और ईटों की भरमार मिली। यह हमारी फीगर्स नहीं हैं बल्कि शासक दल के लोगों द्वारा बताया गया है कि करोड़ों रुपये का घोटाला एफ 0 सी 0 आई 0 में है। ऐसी स्थिति म फूडग्रेन्स का होलसेल ट्रेड सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के क्या परिणाम होंगे यह किसी से छिपा नहीं है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे थोड़ा सा समय और दीजिये, मैं आपका बहुत आदर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको 3 बजे जाना भी है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा–

मेरे पास समय है, मैं चला जाऊंगा।

मेरी दृष्टि में बजट में सबसे जरूरी चीज थी बेरोजगारों को रोजगार में लगाने की। लेकिन इस बजट में ऐसी कोई योजना नहीं लायी गयी है। 1970 में हमारे प्रदश में बरोज-गारों के आंकड़े ह : गैर शिक्षित बेरोजगार 3 लाख, शिक्षित बरोजगार ढाई लाख, इंजीनियस, ग्रजुएट और डिप्लोमा होल्डस 7 लाख। पिछले दो वर्षों में इसमें वद्धि ही हुई है, कभी नहीं। य बेरोजगार खाली नहीं बठ रहेंगे। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनका भविष्य अन्धकारमय है। वे आज इन्हीं बातों क द्वारा अपनी भाव-

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

नायें व्यक्त कर रहे हैं। हर विधायक जानता है कि उसके पास बेरोजगार आने वालों की संख्या कितनी है। आज ग्रेजुएट, एम० एस-सी फर्स्ट क्लास कहते हैं कि हमको आफिस में क्लर्क लगवा दीजिये। हमें कहीं पर पशकार करवा दीजिये। इस प्रकार से अनेक उनकी मांगे रहती हैं।

मेरा यह कहना है कि इस प्रदेश का सुधार तभी सम्भव है, जब इस प्रदेश में लघु उद्योगों का विस्तार किया जाए। लघु उद्योगों को पूरे तौर से अपने प्रदेश में फैलाने से ही प्रदेश की प्रगति हो सकती है और बेरोजगारी का निवारण हो सकता है। अपने देश की जापान से तुलना की जा सकती है। वह 9 करोड़ की आबादी का देश है। द्वितीय महायुद्ध में उसकी आर्थिक स्थिति कितनी जर्जर हो गई थी, बिलकुल बर्बाद हो गया था, किन्तु वह आज संसार के उन्नत देशों की पंक्ति में आगे खड़े होने का दावा करता है और खड़ा भी है। इसका कारण वहां का नेशनल करेक्टर और मारेल है। यह कहां से मिलता है—मिनिस्टरों और नेताओं से। यदि ये लोग जनता के सामने आदर्श उपस्थित करेंगे तो जनता भी उसी नैतिक रास्ते पर चलेगी। किन्तु दुर्भाग्य से अपने देश में 25 वर्षों की आजादी के बाद भी यह चीज देखने को कहीं नहीं मिलती है। जो थोड़ी बहुत थी भी, वह भी कांग्रेसी शासन में धीरे-धीरे समाप्त हो गयी और आज उसके कहीं दर्शन नहीं होते हैं। अपने देश में कोई ऐसा नेता देखने को नहीं मिला है, जिसने अपने आप किसी गद्दी का परित्याग करके कहा हो कि हमारी अवस्था इस लायक नहीं रही कि मैं देश की सेवा कर सकूं, इसलिए अब मेरी गद्दी लो और मैं अपने घर पर बैठ कर अब देश की सेवा करूंगा। आज यहां पर हर कांग्रेसी कुर्सी के साथ मरना चाहता है। उसका जीवन का वसूल यह है कि उसकी गद्दी सुरक्षित रहे। हमारे मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग देश पर और प्रदेश पर बोझा बने हुए हैं। ये लोग देश और प्रदेश के साथ विश्वासघाती हैं।

हमारी सरकार पब्लिक सेक्टर में कार्य करने का बहुत ढिंढोरा पीटती है और उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 अरब रुपये की पूंजी का अपव्यय हो चुका है। जहां-जहां कार्य हो रहा है करोड़ों, अरबों रुपये का घाटा हो रहा है। जिस किसी देश में पब्लिक करेक्टर न रहे, वहां पर पब्लिक सेक्टर कभी प्रगति नहीं कर सकता है।

बैंकों के नेशनलाइजेशन का हमारी पार्टी जनसंघ ने विरोध किया था और अब वास्तविकता आपके सामने आ रही है। 2–4 साल में पूरी तरह भण्डाफोड़ हो जाएगा कि जब जनता को करोड़ों रुपये के गबन और घोटाले स्पष्ट देखने को मिलेंगे। आज उनकी कार्य क्षमता किसी से छिपी नहीं है। वहां के क्लर्क तो हमारे अफसरों से भी अच्छे हैं। उनका वेतनमान इतना अच्छा है कि वह यह नहीं कह सकते है कि हमारा वेतनमान किसी से कम है। लकिन वहां की कार्यक्षमता राष्ट्रीयकरण होने के बाद निश्चित रूप से घटी है। यही हाल विद्युत् का है।

आज प्रदेश में जितनी बिजली की मांग है, वह मांग आने वाले 10 वर्षों में भी पूरी होने वाली नहीं है और इन 10 वर्षों में हमारी मांग किपनी बढ़ जायेगी, यह हमारे सदन का हर सदस्य जानता है। तो फिर सोचने की बात है उस समय बिजली की कितनी कमी पड़ेगी। आज कल जो विद्युत् की कटौती चल रही है। उस कटौती के कारण 65 प्रतिशत उद्योग में उत्पादन का नुकसान हुआ है, और कृषि में कितना नुकसान हुआ है, इसकी तो स्थिति कुछ दिन में स्पष्ट होकर सामन आ जायगी। इसके अलावा इन दिनों अधिकारियों और इंजीनियर्स के मध्य जो आन्तरिक युद्ध चल रहा है, उसने सारे विद्युत् बोर्ड को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। करोड़ों रुपये का लास विद्युत् बोर्ड को है। विद्युत् बोर्ड के अन्दर करोड़ों रुपये का गबन और चोरी हो रही है। यह सरकार को अच्छी तरह पता है, यह किसी से छुपा नहीं है। हमारे प्रेस

रिपोर्टरों की एक टीम कालागढ़ की विद्युत् परियोजना पर गई थी, उनसे वहां पर अभियन्ताओं ने खुल कर कहा-यहां विद्युत् का उत्पादन कैसे बढ़े, हमारे ऊपर ब्यूक्रेशी पूरी तरह छाई हुई है। हमें जितनी चीजों की आवश्यकता है, वे हमें नहीं मिलती हैं। इस तरह से तो हमारा प्रदेश वर्षों पीछे चला जायगा। उन्हें जिन यंत्रों की आवश्यकता है, वह प्रदेश की सरकार उन्हें दिलाने में सक्षम नहीं है।

इस प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का हमारा विद्युतीकरण प्रदेश के लिए क्या कर सकेगा ? यह किसी से छिपा नहीं है।

निगमों की भरमार हो गयी है। इसका औचित्य क्या है ? जितने कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हैं उनको कहीं न कहीं चेयरमैन बना कर रखना है। अपने सदस्यों को कुछ न कुछ बना कर रखना है। बजट म कुछ व्यवस्था नहीं की गयी है कि निगमों द्वारा क्या सुधार होगा। जैसे हिल बोर्ड है, बुन्देलखंड ह, अनकों निगम गठित किये गये हैं। परिवहन निगम में चार महीने पहले लाखों रुपये घाटा दिखाया गया था।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरी केवल यह मांग है कि यदि राज्य सरकार हाई स्कूल तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके हर बच्चे के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कर दे तो समाजवाद की सबसे बड़ी देन होगी। इसमें और किसी प्रकार का कार्य होने वाला नहीं है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के अन्दर क्या हालत है मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा। शहरों में 12 सौ व्यक्तियों पर एक डाक्टर ह, बड़े कस्बों में 3 हजार व्यक्तियों पर एक डाक्टर है, ग्रामीण क्षत्रों म 50–80 हजार जनता पर एक डाक्टर है। मान्यवर, हमारे यहां सारे देश से मृत्यु दर ज्यादा ह। इसका मुख्य कारण यह है कि समय पर चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाओं का न होगा। डाक्टर केवल कुर्सी पर बैठे हैं। रामपुर के अस्पताल में पिछले दो महीने से न दवायें हैं ? न भोजन की व्यवस्था। एक दिन म वहां गया। तो डाक्टर साहब ने कहा कि मरीज क्या करने आएं न दवाएं ह न भोजन है। घर पर भी मरना है और यहां पर भी मरना है।

भ्रष्टाचार के विषय में अनेकों भाषण दिये जाते हैं। हर विभाग के अन्दर करोड़ों रुपयों का घोटाला है। माननीय कृष्णानन्द राय ने सदन के अन्दर कहा था कि सहकारिता में करोड़ों रुपये का घोटाला है। सहकारिता ही नहीं अनेकों विभागों के अन्दर यही स्थिति है। सी0 आई0 डी0 और विजलेंस नाम के लिए रह गये हैं। चार-चार साल बाद सी0 आई0 डी0 में नम्बर आता है और छः-छः साल के बाद विजिलेंस में नम्बर आता है। यह प्रदेश के लिए कितनी अशोभनीय बातें हैं।

प्रशासन की यह स्थिति है कि इस प्रशासन को देख कर जिले का प्रशासन जर्जरित है। आये दिन विधायक शिकायतें करते हैं कि हमारे जिले में अधिकारी और कर्मचारी कोई आदर सम्मान नहीं करते। मैं मंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। जिला अधिकारी उनको भी घास नहीं डालते।

श्री उपाध्यक्ष—

जिला अधिकारी घास क्यों डालें ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह घास नहीं खाते। हलुआ पूड़ी, रिश्वत खाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मान्यवर, आश्वासनों के विषय में विशेष रूप से कहूगा। आश्वासन शब्द इस सदन में प्रमुख शब्द बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आश्वासन का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैं सब बजट की बातें कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बातें कही जा चुकी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

दो मिनट में समाप्त करूंगा । सदन में आश्वासन देने में बहुत बड़ा अन्तर है । सदन में आश्वासन दिया गया कि जिला नैनीताल में, रुद्रपुर, में माननीय वैद्य जी को भी जानकारी है, लेकिन निर्माण कार्य वहां पर पी० ए० सी० का प्रारम्भ नहीं हुआ । वहां पर पी० ए० सी० का हेडक्वाटर न बना कर नगरपालिका के क्षेत्र के बाहर बनाया जायगा । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफसरशाही की तरफ से इस प्रकार से कोरा जवाब दिया जाता है और बताया जाता है कि 1 लाख 85 हजार रुपये का निर्माण कार्य वहां हो चुका है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि आश्वासन समिति के अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने मौके पर जाकर उसे देखा और वहां पर 5 हजार रुपये का भी निर्माण नहीं हुआ था । मेरा कहना यह है कि 1 लाख 85 हजार के इस गड़बड़ घोटाले की भी जांच होनी चाहिये । यह हमारे यहां की स्थिति है ।

वित्त मंत्री ने विशेष रूप से यह कहा था कि बहुत से अपव्यय को खत्म करके बजट को समुचित रूप से चलायेंगे लेकिन यह सदन देखे कि आज किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अपव्यय हो रहा है, यह किसी माननीय सदस्य से छिपा हुआ नहीं है । सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक गरीब जनता की रक्षा के लिये इस प्रकार की चीजों का नियंत्रण नहीं होगा प्रदेश की जनता की यही स्थिति बनी रहेगी ।

अन्त में मैं रामपुर के विषय में एक दो बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । हमारी सरकार का दीवालियापन इसी बात से नजर आता है कि मुरादाबाद तथा बरेली को बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया गया है लेकिन रामपुर बेकवर्ड नहीं है । जितनी-जितनी इंडस्ट्रीज वहां 25 साल पहले थीं वे सब वहां वाइन्डअप हो गयी हैं । बेकवर्ड डिक्लेयर करने का क्या आधार है । वैद्य जी ने कहा था कि दो मेडिकल कालेज हमारे इस राज्य को मिलने जा रहे हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रुहेलखंड की मांग उचित है और उसमें भी यदि कोई उचित स्थान है तो रामपुर में । रामपुर नबाव की कोठी खास बाग पैलेस है जिसको वह तथा उनके सदस्य के बाकी सदस्य देने के लिये तैयार हैं । यह एक बहुत बड़ा कार्य है और मेरा अनुरोध है कि एक मेडिकल कालेज वहां दिया जाय ।

रामपुर की शिक्षा का हाल यह है कि तहसील वार जो मेरा क्षेत्र है वहां हाई स्कूल तक नहीं है जब कि उसकी पापूलेशन 25 हजार है लेकिन लगातार चार वर्षों के प्रयास के बाद वहां हाई स्कूल नहीं खुल सका । लेकिन दूसरी ओर मुख्य मंत्री के क्षेत्र में डिग्री कालेज की आवश्यकता है और वह पहली आवश्यकता है । हाई स्कूल तथा इंटर किये बगैर कि सीधे डिग्री कालेज में दाखिल हो जायंगे ? इस असंतुलन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री राज बहादुर चन्द—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर चौधरी चरण सिंह का भाषण सुनने को मिला चौधरी साहब ने इस सदन के अन्दर आंकड़ों का ही एक जाल ही प्रस्तुत किया। वैसे तो यह कहा जाता है कि ये आंकड़े सरकार द्वारा ही बनाये जाते हैं और यह बात सही भी है लेकिन यह आंकड़े बिलकुल असत्य हैं। उनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूं। पूरे देश में जो सर्वे हुआ था तो बस्ती जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना गया। बस्ती जिले में मैं ऐसे कोने में रहता हूं जो शहर से चार मील दूर है और वहां कोई सड़क नहीं है। लोग भूख से मर रहे हैं यह इतना बड़ा झूठ है जिसकी कोई दवा नहीं है। मैं सर्वे करने को तैयार हूं अगर किसी एक गांव में भी यह बात साबित हो जांय तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह एक फैशन सा हो गया है क्योंकि सुनने वालों को यह बड़ा अच्छा लगता है कि साहब भुखमरी तथा गरीबी बढ़ रही है। हर आदमी आता है और वहां कुछ नहीं होता है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

एक कहावत है सावन के अन्धे को हमेशा हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है।

श्री राजबहादुर चन्द—

सावन का अन्धा जो है उनको दिखाई नहीं देता है। यह इंदिरा जी का कहना है। जिस समय देश में 8 किलो का चावल तथा 12 किलो का गेहूं था उस समय 30,40 प्रतिशत घरों में आग नहीं जल पाती थी।

श्रीमान् जी, 8 छटांक का चावल और 12 छटांक का गेहूं है। हर व्यक्ति दोनों वक्त खाना खाता है, कोई भूखों नहीं मरता है। आपके जो आंकड़े हैं वे बेबुनियादी हैं, फर्जी हैं और एक धोखा है। मैं निःसंकोच शब्दों में यह बात कह रहा हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

इस्तीफा दे दो।

श्री राज बहादुर चन्द—

श्रीमान् जी, मैं चैलेंज करता हूं कि आप सर्वे करा दें और यदि मेरी बात सही निकली तो आप इस्तीफा दे दें वरना मैं यहां से इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे गलत हैं और वास्तविकता से परे हैं। उनका क्या आधार है? इस आधार की खोज करनी पड़ेगी।

सिंचाई का जहां तक मामला है, उसके सम्बन्ध में भी चौधरी साहब आंकड़ों के जाल में चले गये। हमारे जिले में 15 साल पहले केवल दो ट्यूबवेल थे एक बाबू भानू प्रताप जी के यहां और एक वहां के पट्टेदारों के यहां। आज यदि आप वहां जाकर देखेंगे कि उधौली ब्लाक में 1000 ट्यूबवेल है। तो इस तरह की बातें सदन में कहकर गुमराह किया जाता है। पता नहीं किस आधार पर उसे सत्यता की परिधि में कहते हैं।

कहा जाता है कि किसान की हालत खराब है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि 80 पया प्रति बोरी गेहूं के उत्पादन में उसकी लागत ही खाली लगती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं भी खेती करता हूं। मैं जानता हूं कि खेती में कितना पैसा लगता है। यदि 80 रुपया प्रति बोरी उत्पादन लागत लगती है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान के गेहूं का भाव जो 60 से 45 रु० तक था तब सरकार ने उसे 76 रुपया कर दिया। किसान को तो इससे प्रसन्नता होनी चाहिए....

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

कास्ट आफ प्रोडक्शन बता दें?

[श्री राज बहादुर चन्द]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गेहूं के दाम बढ़ायें। खाद के दाम बढ़ गये, बिजली देने की परेशानी बढ़ गई, मजदूरी की दर बढ़ गई और यह तो 4 5 साल पहले भाव होना चाहिये था। इस पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि यह स्थिति केवल प्रदेश की ही नहीं है बल्कि पूरे देश की है इसलिये इसे उसी आधार पर निर्धारित किया जायेगा। आज मुल्क के सामने रोटी का सवाल है। आज विरोधी दल वाले खास कर जनसंघ और बी0 के0 डी0 वाले प्रदेश के सामने जो बातें ला रहे हैं गल्ले के व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले रही है उससे इन पार्टियों की कमर टूट गई है। देश के बड़े-बड़े व्यापारियों की कमर टूट गई है। अभी मध्य प्रदेश से यहां पर एक व्यापारी आया था उसने बताया कि हम बीसों और पचासों लाख रुपये तक की खरीद करेंगे और सरकार को गिरायेंगे, उसे सफल नहीं होने देंगे।

श्रीमान जी, विधायक तो जन प्रतिनिधि हैं किसानों के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग यह नहीं सोचते हैं कि कैसे गरीब किसान को रोटी मिलेगी, कैसे मद्रास और बंगाल के लोगों को गेहूं मिलेगा। ये लोग तो सेठों और सरदारों के चंगुल में फंसे हैं पैसा देकर विधायकों को तोड़ते हैं। 74 का चुनाव सामने आ रहा है यह सरकार कुछ नहीं कर रही है तो इससे विरोध पक्ष का फायदा ही होगा लेकिन जब तक गल्ला व्यापार को सरकार अपने हाथ में न लेगी तब तक वह महंगाई को रोक नहीं सकती है। हम तो देश प्रेमी हैं और यही हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि समाज के इस चैलेंज को स्वीकार करें और कांग्रेस पार्टी इसे चलाना स्वीकार कर रही है। और इस स्कीम को सफल बना कर छोड़ेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे सामने बाधायें और दिक्कतें बहुत हैं।

कल एक विधायक से मेरी बात हुई, उन्होंने बतलाया कि मध्य प्रदेश से एक सेठ साहब आये हैं, उन्होंने जो बातें कहीं उसे सुनकर मुझे तो पसीना आ गया। यह घटना जो मैं बतला रहा हूं, भारतीय क्रान्तिदल के ही मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम तो मैं नहीं बतलाऊंगा लेकिन उन्होंने कहा कि सेठ ने कहा कि 74 के एलेक्शन में पहले उत्तर प्रदेश को रुपये पैसे से ठीक करो। उस विधायक ने मुझसे पूछा कि पिछले चुनाव में आपको कितने पैसे मिले थे, तो मैंने बतलाया कि सन् 67 के चुनाव में तो साढ़े 3 हजार रुपया मिला था और 69 के चुनाव में केवल 3 हजार रुपया ही मिला, 500 कम ही हो गया। इस पर उन्होंने कहा कि इतने में चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है? आप हमारे यहां चले आवें, चुनाव लड़ाने में तो 50 हजार रुपया आजकल लगता है, चौधरी साहब से आपकी बात करा दूंगा और चुनाव के लिये आपको रुपये दिलवा दूंगा। यह परसों की बात है जो विधायक से मेरी बात हुई थी। श्रीमन्, भारतीय क्रान्तिदल और जनसंघ के लिये गल्ले के थोक व्यापारियों ने अपनी थैलियां खोल दी हैं और विधायकों को इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, जो इस देश और प्रदेश के लोगों के नतिक पतन का नमूना है। (व्यवधान) चीखें चिल्लायें नहीं, यह वास्तविकता है। अगर आपको यह विश्वास हो कि कांग्रेस दल के विधायकों को आप नोटों के बल पर तोड़ लेंगे तो यह सम्भव बात नहीं है। आप बाद में पछतायेंगे।

(व्यवधान)

अब सिंचाई का ही मसला है। कहा गया कि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मैं अपने यहां से रात को जब बस्ती आ रहा था तो रात में पूरा गांव बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था क्योंकि हर ट्यूबवेल पर रोशनी है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जब मोटर में चलते हैं तो आंख खुली रहती है फिर भी कभी-कभी कुछ दिखलायी नहीं पड़ता है। उसी तरह से इनके अन्तःकरण में सरकार के प्रति ऐसी भावना पैदा हो गयी है कि आज वे सही बात को भी नहीं देख पाते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं। इनकी आंख खुली हुई है लेकिन इनको दिखलायी नहीं देता है।

श्री राजबहादुर चन्द—

यह जो कहा गया कि कोई काम नहीं हुआ है, मुझे बड़ी हंसी आती है। या तो वे उस काम को देखने की कोशिश नहीं करते या जान बूझ कर झूठ बोलते हैं। झूठ तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वे माननीय सदस्य हैं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वे काम को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि 5 साल में जो काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, ट्यूबवेल्स लगे हैं, आबपाशी के लिये नहरें बनी हैं। इस तरह से हर जगह काम हुआ है। खाली हमारी कांस्टीटुएंसी में 18 किलोमीटर पक्की सड़क बनी है और हर जगह टेक्स वर्क का काम शुरू है। अगर सड़कों पर इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री का नाम लिखा है तो आपको क्यों तकलीफ है। इंन्दिरा जी ने एक ऐसी स्कीम चालू की है जिससे ग्रामीण अंचलों में सड़कें बन रही हैं। अगर यह लिखा है तो आपको क्या परेशानी है।

श्रीमान् जी, आप बात करते हैं मानवता की, हरिजन और मुसलमानों की दुहाई देते हैं, लेकिन मैं भारतीय क्रान्ति दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने हरिजनों को वोट देने से क्यों वंचित किया। यह मगर के आंसू होते हैं। ग्राम सेवकों की मीटिंग थी। हमको भी बुलाया गया था। मैं वहां गया था। उनके अध्यक्ष ने घोषणा की कि भाइयों होशियार हो जाओ और एक बात सुन लो कि तुम लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ झगड़ा करना चाहते हैं। कदाचित वे न आ जायें। अब कर्मचारियों को भी उनकी नीयत के ऊपर संदेह हो गया है। यह हिन्दू मुस्लिम झगड़े कराते हैं। चुनाव जीतने के लिये ये लोग जघन्य से जघन्य कार्य भी कर सकते हैं। यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी जीत होनी चाहिये। यह भावना इनके अन्दर घर कर गई है (व्यवधान) ये बोलते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा। अब मैं बोल रहा हूं तो ये लोग धैर्य धारण करें। इनको न मालूम क्या तकलीफ हो रही है।

ये लोग अपने कुकृत्यों द्वारा आज जनता में भय पैदा कर रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, हरिजनों की कहानियां सुना रहे हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के कुछ समाचार-पत्र भी इनका साथ दे रहे हैं। यह तो आप भलीभांति जानते हैं कि बहुत से अखबार पूंजीपतियों के हैं। अब थैलीशाहों की थैलियों के मुंह खुल गये हैं। जो पहले इंदिरा गांधी की जय बोलते थे वे आज कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरा इन लोगों से यह निवेदन है कि विरोधी दलों की जो स्वच्छ परम्परा होती है उसी को ये लोग निभायें। लेकिन ये लोग तो हथकंडों द्वारा कुर्सियां लेना चाहते हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जनतंत्र में हर आदमी लड़कर कुर्सी लेना चाहता है। इनको गुरेज नहीं होना चाहिये।

श्री राज बहादुर चन्द—

हमें कभी गुरेज नहीं होता लेकिन ऐसे हथकंडे और खिलौने काम में नहीं लाने चाहिये।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

ये जीव ऐसे हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता।

श्री राज बहादुर चन्द—

इनको रात में ही दिखाई देता है। दिन में दिखाई नहीं देता है। बुनकरों के बारे में सरकार ने एक कमीशन बनाया है। सरकार ने जितनी सुविधायें दे रखी हैं उनका उपयोग बुनकर नहीं कर पा रहे हैं। उनको केवल सब्सीडी मिलती है। वह रुपया ड्रा करना

[श्री राजबहादुर चन्द]

चाहते हैं। जहां तक खाद की बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार यह आदेश करे कि थोक गल्ला खरीद में एक भी पैसा किसान को नगद न दिया जाय। सब बाई चैक दिया जाय। अगर ऐसा होगा तो रुपया उसको मिल जायेगा और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस समाजवादी बजट को माननीय सदन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सन 72–73 का वर्ष अभूतपूर्व मंहगाई और अभाव का वर्ष रहा है। इस संदर्भ में पिछले साल और आज भी लगातार विभिन्न वर्गों द्वारा इन चीजों के खिलाफ आन्दोलन हो रहा है और तरह-तरह से अपना विरोध प्रकट करने की कोशिश की जा रही है। मंहगाई और अभाव ने इस देश के युवा वर्ग को भी उतना ही आन्दोलित किया है और इस मंहगाई ने मध्यम और निम्न वर्ग की तो कमर ही तोड़ कर रख दी है। अभी हमारे साथी श्री राज बहादुर चन्द कह रहे थे और स्वयं उन के भाषण में विरोधाभास था, एक तरफ तो वह कह रहे थे कि हर आदमी इस राज में सुख से 2 जून की रोटी खा रहा है और दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि आज जनता के सामने सबसे जटिल रोटी और खाने का सवाल है और हम लोगों को खाना देना चाहते हैं। जहां तक गुजर करने और खाने का सवाल है यों तो गली का कुत्ता भी पत्तल चाट कर अपना पेट भर लेता है लेकिन जो परिस्थिति आज देश के सामने है और जो परेशानी आज आम आदमी के सामने है वह सब को विदित है।

मुझे तो यहां के डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर के आदमी से भी बात करने का मौका मिला जो 1200–1400 रुपया वेतन पाते हैं वह कहते हैं कि हमें कोई आदमी दो जो सुबह से शाम तक गल्ले की दुकान पर खड़ा रह कर हमारे लिये राशन की दुकान से अनाज लाकर दे सके, बाजार से लेकर हम इतना मंहगा गेहूं नहीं खा सकते। आज जिस आदमी में थोड़ी बहुत ईमानदारी भी बाकी रह गई है वह भी दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर बना दिया गया है। दूसरी तरफ बेरोजगारी की जो हालत है वह भी किसी से छिपी नहीं है। किसी जमाने में इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि जब कोई पी0-एच0 डी0 की डिग्री हासिल करता था लेकिन दिल्ली के दीक्षान्त भाषण में एक राज कुमार जैन नामक जैन ने अपनी एम0 ए0 की डिग्री को यह कह कर जब फाड़ डाला कि हमें डिग्री नहीं चाहिये और सरकार के सामने अपना विरोध जताना चाहा और कहा कि हमें रोटी चाहिये हम डिग्री का क्या करें। इस समय वहां पर विद्यार्थियों के अलावा पुलिस वाले भी खड़े थे उन्होंने उसे पकड़कर मारा उसके मुंह से खून निकलने लगा तो कपड़ा ठूस दिया गया और उसकी आवाज इस प्रकार बन्द कर दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे शासक दल के लोग कहते हैं कि विरोधी दल के लोग चुनाव जीतने के लिये ऐसी बातें बिना वजह विरोध के लिये कहते हैं और कहा जाता है कि अब तो सब तरफ रोशनी ही रोशनी जगमगा रही है, सब तरफ लोग आराम से हैं और मौज कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि विरोधी दल यहां पर न तो शासक दल की पूजा के लिय है और उन पर अर्चना चढ़ाने के लिये है, हमारा कर्त्तव्य है कि शासन के अन्दर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं लोगों की जो परेशानियां हैं उनको आप के सामने रखें और आप का कर्त्तव्य है कि उनको सुन कर रफा करने की कोशिश करें। विरोध के लोग क्यों इल्जाम लगाते हैं और क्यों प्रदर्शन करते हैं और अपनी परेशानियों की और जनता की दिक्कतों को क्यों यहां रखते हैं, यह शासक दल को अच्छा नहीं लगता, हमारे शासक दल के लोग विरोध रहित लोकतन्त्र इस देश में चाहते हैं। वह अपनी किसी बात का विरोध नहीं चाहते और हिंसात्मक की तो बात ही क्या अहिंसात्मक प्रदर्शन के भी दरवाजे धीरे धीरे यहां बन्द किये जा रहे हैं।

इलाहाबाद में बहुत शांति से मंहगाई और भुखमरी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, कोई शांति को खतरा नहीं था लेकिन वहां मारा गया, विद्यार्थी ने डिग्री फाड़ कर कुछ कहना चाहा तो उसके ऊपर लाठी और पुलिस के प्रहार हुये। इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि यह मैं मानता हूं कि पिछले साल बारिश कम हुई, बारिश कम होने का दोष मैं इन्दिरा जी को नहीं दे सकता क्योंकि यह तो इन्द्र महाराज का काम था, वह नहीं हुई। लेकिन यह भी निश्चित बात है, प्राकृतिक नियम, आम तौर पर चला आ रहा है कि हर 4–5 साल बाद एक साल में ऐसा होता है कि या तो बारिश नहीं होती या अतिवृष्टि हो जाती है जिसके कारण हमारी फसलों में कमी आ जाती है। पिछले साल हरित क्रान्ति के कारण और बंगला देश की लड़ाई के बाद यह कहा जाता रहा कि 90 लाख टन अनाज मौजूद है और हम किसी भी हाल में कमी नहीं आने देंगे। अगर उस वक्त भी इस कमी का अहसास किया जाता, बाहर से गेहूं मंगाने के सौदे कर लिए जाते तो इस समय आपको कम रुपया देना पड़ता क्योंकि रूस ने अकेले अमेरिका से गल्ला नहीं खरीदा, इन्टर नेशनल मार्केट में गल्ले की खरीदारी आरम्भ हो गयी और अगर स्थिति को देख कर उस वक्त सौदे कर लिए गये होते तो हमारी सरकार को जो ज्यादा रुपया अब देना पड़ रहा है, वह न देना पड़ता और हमारे बजट पर भी ज्यादा असर न पड़ता।

हमारे चौधरी साहब ने परसों फरमाया था कि गेहूं में धतूरा मिला था और अमेरिका सरकार ने यह सफाई दी कि हमारे यहां पर फूडग्रेन एक चीज है और फीड ग्रेन एक दूसरी चीज होती है। फीड ग्रेन जानवरों के लिए होता है और फीड ग्रेन के लिए ही भारत सरकार ने आदेश दिया था तो वही हमने सप्लाई किया। चाहे वह क्लेरिकल मिस्टेक हो, चाहे समझने में गल्ती हुयी हो, बयानों को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस करना पड़ा कि क्या हमारी भारत सरकार ने वह गल्ला मंगाया जो जानवरों को दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मालूम होता है कि फूड के स्थान पर फीड हो गया होगा, इसीलिए तो हमारे यहां पर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

सन् 1965 का चुनाव हुआ, फिर 1972 में हुआ। शासक पार्टी ने इतने जोरों से इस बात को कहा कि हम प्राइस लाइन को होल्ड करेंगे जितने जोर से कहा गया था कि हम हिन्दुस्तान की मैक मोहन लाइन को होल्ड करेंगे लेकिन ठीक उसके बाद बनस्पती के दाम बढ़ गये। बम्बई सेशन के बाद चीनी के दामों में वृद्धि हुयी और यहां तक कि जो सरकार द्वारा बनायी गयीं चीजें थीं, या सरकार के क्षेत्राधिकार की चीजें थीं, उनके दाम भी बढ़ गये। जैसे टेलीफोन के चार्जेज पहले 20 पैसे थे अब वे 30 पैसे कर दिये गये। आप जब स्वयं दाम बढ़ा रहे हैं, कोई मंत्री नहीं बढ़ा रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बढ़ा रहा है, आपकी ही पौलिटिकल अफेयर कमेटी ने बढ़ाये थे तो आप कैसे कहते हैं बाजार वालों से कि आप चीजों के दाम कम करो। अगर आपने उन चीजों के दाम न बढ़ाये होते, जो आप स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको दूसरों को भी कहने का हक था। आज इतनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार यह जवाब दे सकती है कि डाक्टर के हाथ से गुजर जाना ही दवा होती है। आज मंहगाई इतनी बढ़ी है कि नोट की कीमत ही गिर गयी है, उसकी क्रय शक्ति इतनी घट गयी है कि डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक के लोग भी खाना खाने से मोहताज हो गये हैं। ट्राइनियर में 28–11–72 को एक खबर छपी थी कि रुपये की कीमत घट जाने से जाली नोट बनाने वालों ने नोट बनाना ही बंद कर दिया है क्योंकि पेपर और रोशनाई के दाम इतने बढ़ गये हैं, ब्लौक मेकिंग की बात तो छोड़ दीजिए, उसमें जो मेहनत पड़ती है, वह तो अलग है, कि नोट बनाना बेकार हो गया है। यह बात साबित करती है कि रुपये की क्रय शक्ति कितनी घट गयी है।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

इसी सदन में कहा गया कि हमने सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ा दिया है। डियरनेस अलाउन्सेस जोड़ दिया, पुरानी तनख्वाह में और थोड़ा-सा रुपया बढ़ाकर दे दिया लेकिन जिस रेशियो में मंहगाई बढ़ रही है और जिस तरह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उससे जिस तरह आज जनजीवन त्रस्त हो रहा है उस पर मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं बगैर किसी विरोध के कि आज मेरे पास यह सूचना है कि अगर कोई बेईमानी करके जिन्दा रह सकता है और खा सकता है तो खा ले लेकिन वैसे तो जिन्दा रहने का हक किसी को नहीं है। मुझे सूचना है कि एक राज्य मंत्री जी के यहां से एक नौकर छोड़कर इसलिये चला कि उनके यहां 26 तारीख के बाद राशन नहीं रहता और मैं कैसे भूखा काम करूं। जो अनफेयर मीन्स से रुपया कमा रहा है वही तो जिन्दा रह रहा है।

आज किदवई साहब ने बड़े अच्छे ढंग से सही बातों का जिक्र किया और कहते-कहते उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मंत्री आज ऐसे भी हैं जिन पर यह सूबा फख्र कर सकता है और उन्होंने उनमें गिनाया स्वायत्त शासन मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी को। मैं किसी पर दोष रिश्वत का नहीं लगाता लेकिन एक उदाहरण जरूर रखना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे खुद उसको सुनकर हैरत हुई थी और आप सब को भी उसको सुनकर आश्चर्य अवश्य होगा। एक एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 के श्री अहसान अहमद हैं। यह दो ढाई साल पहले एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और हज करने चले गये। यहां से दिल्ली गये थे और न उन्होंने कोई छुट्टी ली और न कुछ लिया और उनके खिलाफ चीफ इंजीनियर साहब ने यहां तक लिखा कि "एडसकान्डेड" और उसके बाद धर्मदत्त जी जो उस विभाग के मंत्री थे उन्होंने भी उनको लेने से इन्कार किया। लेकिन हमारे जो आज के स्वायत्त शासन मंत्री हैं उन्होंने उनको न केवल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर बना दिया। और यह क्यों हुआ? इनकी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि जो केन्द्र में भूतपूर्व उपमंत्री थे यूनुस सलीम साहब उनके वे दामाद बताये जाते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मुझको जो जानकारी मिली है वह बता रहा हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि वह सूचना सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने यह भी नारा लगाया गया था सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कि अगर हम एब्सालूट मेजारिटी में गवर्नमेंट बनायेंगे तो जो विध्वंसक कार्य हैं जो लालेसनेस है उसको समाप्त करेंगे लेकिन आप देखें कि वह बढ़ता जा रहा है। कुछ आन्दोलन जो अपना रोष दिखाने के लिये कर रहे हैं उनको अलग रख दीजिये तब भी आज ला-लेस-नेस बढ़ रहा है। हमारे सामने ही पहाड़ों में कहावत थी कि लोगों को घर में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी लेकिन पिथौरागढ़ के पास परसों ही बस लूटी गयी और नजीबाबाद के पास लूटी गयी। जो उत्पात जहां पहले कभी नहीं हुआ करते थे मैं आज उनकी बात कह रहा हूं।

दूसरी बात यह कि आजादी के पहले की तो मुझे जानकारी नहीं है और न मुझे याद ही है लेकिन आजादी के बाद पहाड़ों में पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी थी इससे पहले सिवाय कालागढ़ को छोड़कर लेकिन वहां पर भी सारे हिन्दुस्तान के लोग मौजूद थे लेकिन पिथौरागढ़ में छात्रों पर गोली चलाई गई। किस वास्ते? जो उनकी मांगें थीं उनको यह सरकार इम्पलीमेंट नहीं कर सकी थी और गोली चलाकर उनको शान्त करने की चेष्टा की गयी। दूसरी तरफ मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता और न उस तरह की बातें पसन्द ही करता हूं लेकिन कम से कम उस पार्टी से जो प्रगतिशीलता की और समाजवाद की बातें करती हो लेकिन उनका व्यवहार जनता के साथ ऐसा हो तो जरा तकलीफ जरूर होती है।

फरवरी, 17 से 20 तक गढ़वाल जिले के लैंसडाउन वन खंड में प्राइम मिनिस्टर के दो पुत्र, राजीव और संजीव तथा राजीव की पत्नी, तीन दिन तक शिकार पर रहे। सारा गढ़वाल व्यस्त रहा उसमें। सारे गढ़वाल सर्किल की जीप-गाड़ियां, लगी रहीं उनके पीछे

पांच हजार के डनलप पिलो फौरन मंगाये गये । सारा स्टाफ सेवा में लगा रहा, लोग जंगल में परेशान होते रहे, नील गायों और कई चीजों के शिकार किये गये और उन्हें बरफ में रखकर फारेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी से पंहुचाया गया । आखिर यह सब क्यों हुआ ? क्यों उनके पीछे सारा स्टाफ लगा दिया गया ? मैं यह नहीं कह सकता कि वे स्टेट गेस्ट थे ? जब वे स्टेट गेस्ट नहीं थे, तो किस हैसियत से उन्हें ये सारी सुविधायें दी गयीं ? उनके साथ मारुत कार कम्पनी के पार्टनर भी थे । वहां के जो कन्जरवेटर थे, उन्होंने जो इजाफा किया, उसका कारण यह है कि वे भी मारुत कार की एजेन्सी देहरादून में लेना चाहते ह । तो ये तमाम बातें हैं । मैं इधर की बात तो नहीं जानता लेकिन ये बातें मेरे घर की बातें हैं । मेरे रिलेशन्स हैं, गांव के लोग वहां नौकरी करते हैं, जिनको सुबह से शाम तक ड्यूटी पर रहना पड़ा । तो ये चीजें कोई अच्छा असर नहीं डालतीं । इनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता ।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण अभाव और मंगहाई के बीच से होकर आया है । उन्होंने स्वीकार किया है कि इस वर्ष पर-कैपिटा इनकम न बढ़ी है और न घटी है । बढ़ी चाहे न हो, मान्यवर, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह घटी जरूर होगी । इन सब दुर्व्यवस्थाओं को हल करने के लिये हल निकाला है कि नेशनलाइजेशन कर दिया, कारपोरेशन खोल दिये । कारपोरेशन को हिन्दी में निगम कहते हैं । हमारे बड़ोनी जी कारपोरेशन को करप्शन और निगम को कहते हैं कि 'नि' निकाल दें तो 'गम' रह जाता है । फूड कारपोरशन ल आगे उसमें घोटाला । पर्वतीय विकास निगम शुरू किया दो करोड़ से उसमें भी 45 हजार का घाटा । उसके बाद कहा हम पर्वतीय लोगों के सेव का व्यापार शुरू करेंगे । उसमें भी 10 लाख में से 8 लाख का घाटा । महाराष्ट्र की एक संस्था कहती है कि हमने एक लाख के सेव मंगाये । पैकिंग में खट्टे किस्म के सेव भेज दिये उनके पास । निगम के चेयरमैन शासक दल के एक एम0 पी0, श्री परिपूर्णा नन्द जी । उन्होंने शिकायत भेजी थी कि उन्हें रिमूव कर दिया उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था । जैसा कि अखबारों में निकला है, वे कहते हैं कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया था, मुख्य मंत्री जी से दिल्ली में बात की थी कि इस निगम में पूरे कन्ट्रैक्ट को लेकर सेव के मामले में यहां बहुत बड़ा घोटाला है और यह बिचौनियों के हाथ में दे दिया गया है । ठेका निगम ने नहीं, बिचौनियों ने दिया । जिस चीज के लिये निगम बना रहे हैं, उन्होंने खुद बिचौनिये बना दिये । इसके बाद ये सारा काम किया गया । इससे जनता के लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है । लोगों की आस्था घटने लगी है कि यह निगम हमारे लिये क्या करने जा रहा है । मैं आपके सामने एक दो बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे सारे बजट में एक तो फारेस्ट डिपार्टमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं आया है और उस संबंध में, वन मंत्री जी बैठे हुए हैं, कहना चाहूंगा कि क्या प्लानिंग है, सारे तराई भाभर में 13 साल से यूकिलिप्टस के पेड़ खड़े हुए हैं और फारेस्ट डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि 10 साल के अन्दर यह पेड़ कट जाने चाहिये और पेपर इन्डस्ट्री को स्थापित करके पेपर बन जाना चाहिये । पेड़ लग गये और प्लानिंग हो गई, लेकिन आज तक कोई इंडस्ट्री पेपर की नहीं लगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो लगभग सबसे छूट गई है । आज हमें रोजगार भी लोगों को देना है और अपने यहां के टेलेन्ट्स जैसे आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनको आगे बढ़ाना है । आप देखें कि बहुत पहले केवल महाराष्ट्र में बम्बई में फिल्म उद्योग चल रहा था, लेकिन आज नान-हिन्दी स्पीकिंग लो स्टेट्स हैं जैसे मैसूर, आन्ध्र, तामिल नाडु, ये स्टेट्स सब्सिडी देकर आज हिन्दी की फिल्म प्रोड्यूस करवा रही हैं । उन्होंने अपने यहां के टेलेन्ट्स को मौका दिया है कि वे आगे बढ़ें । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी से और शासन से कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या जो हिन्दी स्पीकिंग ऐरियाज हैं वहां के रहने वाले टेलेन्ट्स को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करें । इस तरह से जो टेकनीसियन्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कैमरामैन उनको काम करने का मौका मिलेगा और भी जो छोटे रोजगार हैं उस से संबंधित उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि एक फिल्म इन्डस्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया जाय । मैं यह भी चाहूंगा कि यदि कोई जगह फिल्म इन्डस्ट्री को स्थापित करने की हो सकती है वह वही जगह हो सकती

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

है जहां नेचुरल सीनरीज हों और अगर पहाड़ में इसको स्थापित करना फीजिबिल हो तो 'फिल्म नगरी' की स्थापना पिर विचार करें।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। सन् 1972 का चुनाव आपने जीत लिया और सन् 1972 में जो स्टेट एसेम्बलीज का चुनाव हुआ वह बंगला देश की विजय के नाम पर जीत लिया। युद्ध तो जीता सैनिकों ने और उसका सारा श्रेय लेकर आपने चुनाव जीत लिया। पिछले बजट भाषण में तो सैनिकों के लिये काफी कहा गया था और यह भी कहा गया था कि 'विडो होम' बनाये जायेंगे, और भी सुविधायें दी जायेंगी। लेकिन इस बजट में सब गायब कर दिया गया, कहीं भी जिक्र नहीं है जवानों के लिये उनके परिवार के लिये कि क्या चिन्ता की जा रही है। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा सम्मान देने के बाद भी उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह बताना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री बुद्धि बल्लभ का मकान गिर गया था, इस संबंध में कई प्रार्थना-पत्र दिये गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी तरह से मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ना चाहता हूं उस जवान को जो नौकरी में है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, उसकी भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

The holders of such decorations have been given "I must say here that the assistance in other States like Maharashtra, Mysore, Haryana, Punjab, Madras and Bengal. This shows the poor tradition of U. P. Government. Although the policy of the Government towards Armed Forces have been said of high spirit but it seems to be a stunt only. Let us think on it properly. The days are very near when we all shall try to put this Government in a much minority. God will help us."

मैं आपके माध्यम से इस सरकार को यह कहना चाहता हूं कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने वायदों को निभाने का प्रयास करे। अब लोग यह समझने लगे हैं कि 'गरीबी हटाओ', 'समाजवाद' यह एक बहुत बड़ा सपना है और उस सपने में जो थोड़े दिन आनन्द लोगों ने लिया है, उसके बाद यह समझने लगे हैं कि वास्तविकता क्या है और लोगों में निराशा पैदा हो रही है, कुंठा पैदा हो रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि लोगों में प्रजातन्त्र के लिये अब आस्था भी उठने वाली है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरे मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने बजट भाषण भी सुना था और तीन दिन दूसरे दोस्तों क भाषण सुनने का भी मौका मिला। चौधरी साहब और त्रिपाठी जी के भाषण सुने। मुझे अफसोस यह है कि हर कोई कहता है कि सारी खराबी के लिए मुख्य मंत्री जिम्मेदार हैं कैबिनेट जिम्मेदार है। लेकिन यह कोई

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

नहीं ठंडे दिल से सोचता है कि वाकई में कारण क्या हैं। हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है। मुझे याद है कि अमरिका से ग्रेन आता था। फिर हमारे यहां ग्रीन रैव्योलूशन हुआ और कहा गया कि हमें बाहर से गल्ला नहीं खरीदना पड़ेगा। सबने कहा कि हमारे हाथों से, हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से यह सब हुआ। यह किसी ने नहीं कहा कि खुदा ने पानी दिया, वर्षा दिया और इस तरह गल्ला बढ़ा। मैं यह कहता हूं कि जबतक हमारा हिन्दुस्तान खुदा को नहीं मानेगा तब तक चाहे लाख कोशिश करें कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम कहेंगे कि हमारे हाथ हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि खुदा उस गेहूं में लाइफ न दे तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

यह हमें बहुत अफसोश है कि हमारे स्कूलों में जब से सेकुलर डेमोक्रेसी हुई है कोई धर्म की बात नहीं कहता । मैं यह नहीं कहता कि ईसाई धर्म की बात कही जाय । लेकिन वहां यह नहीं सिखाया जाता कि ईश्वर को अपने सामने रखो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रीच करने के लिये नहीं आया हूं और न मैं कोई प्रीचर ही हूं । मुझे यह भी अफसोश है कि जब से हमारी रिपब्लिक कायम हुई तब से हमारी स्टेट्स रि-आर्गेनाइज हो गयी है । पहले आंध्रा में हुआ । फिर दूसरा हुआ । आखिर में पंजाब और हरियाणा अलग हुए । अब कहते हैं कि आंध्र और तेलंगाना अलग हों । अब सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा करायें । यह क्या बात है । क्या इस मुल्क की छोटी-छोटी बस्तियां हो जायं और एक-एक मुर्गा उसके ऊपर बांग दे । यह नहीं हो सकता हमारा हिन्दुस्तान बरबाद हो गया है । मैं अपनी मायनिरिटी कम्युनिटी की तरफ से बतला रहा हूं । इंटीग्रेशन आफ कम्युनिटीज की बात सब कहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है । जब मैं कहता हूं ईसाई तो खाली ईसाई ही मायनिरिटी कम्युनिटी नहीं है । पंजाब में हिन्दू मायनिरिटी में है । बंगाल में यू0 पी0 मायनिरिटी में है । तामिलनाडू में यू0 पी0 मायनिरिटी में है । छोटी-छोटी स्टेट्स बनने से क्या हो रहा है ।

हम बंगाल में जायेंगे नौकरी ढूंढ़ने के लिये तो वे कहेंगे कि जब तक 5 साल नहीं रहोगे तब तक बंगाल में नौकरी नहीं मिलेगी । यह हमारा हिन्दुस्तान है या बंगाल है, तेलंगाना है या पंजाब है ? हम सब को यह सोचना पड़ता है कि हिन्दुस्तान बड़ा है या ये छोटे-छोटे देश बड़े हैं । जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जायेगा तब ईस्टर्न सेक्टर वालों को वेस्टर्न सेक्टर में नौकरी नहीं मिलेगी । क्या यह मखौल है ? इंटीगरटी को तोड़ना है ? यह चलना है तो ठीक है, चले । फिर क्या होगा ? 20–25 साल बाद आपस में लड़ेंगे जैसे कि पहले राजा महाराजा लड़ते थे । हम चाहते हैं कि सरकार कुछ करे । लड़ाई करना है तो अभी लड़ें, बाद में न लड़ें । लड़ाई करनी है तो अभी फौज में जाओ । ये सब ट्राबुल्स क्यों हो रही है क्योंकि हमारी सरकार कमजोर है—डाउन नहीं करती है । मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस तरह से ढील देते देते यह हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी नहीं मिलेगी । आप क्या सोच रहे हैं इसको हटाने के लिए ? आप यू0पी0 एस0सी0 से कहते हैं कि हमको प्रांविशियल कोटा दीजिये ताकि हमारे हिन्दी वाले कम से कम आई0ए0 एस0 में आ जायें । क्यों आयें ? बंगाल वाले कहेंगे हमको बंगला चाहिये, तामिलनाडू वाले कहेंगे हमको तामिल चाहिये । तो यू0 पी0 में क्या होगा और आई0ए0एस0 में क्या होगा । छोटे-छोटे सूबों में बंटवारा हो जायेगा । हमें बंगाल जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा । यह कोई अच्छी चीज है ? यह बहुत अफसोस की बात है जो कि आज हो रहा है ।

हमारे प्लानिंग में क्या हो रहा है ? हमारे बजट में फिर आया है, 2 यूनिवर्सिटियां बनेंगी, 2 मेडीकल कालेज बनेंगे । खुदा के लिये तोड़िये सब यूनिवर्सिटियों को । देहात में मेडीकल कालेज खोलिये और वहां स्कूल बनाइये । देहात में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स स्थापित करिये । बड़े-बड़े शहरों को खुदा के लिये छोड़ दो । छोटी जगहों से शुरू करें । हमें ग्रासरूट्स से ऊपर चलने दें । बजाय इस इमारत में इस छत के नीचे बैठने के हम खपरैल में बैठें । एयर कंडिशनिंग की कोई जरूरत नहीं है ।

हम देहात में घूमते हैं । हमारी रिलीफ वांस जाती हैं हैजे के इन्जेक्शन लगाने के लिये और वैक्सिनेशन करने के लिये । हम देखते हैं वहां क्या हो रहा है ? सेनिटेशन नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं । हम लोग हमारी कम्युनिटी स्कूल लगाती थी । अब हमने स्कूल बन्द कर दिये । जब देखो राष्ट्रीयकरण-राष्ट्रीयकरण । क्या thinbiny lai (है) ? न खुद कुछ कर पाते हैं और न दूसरों को करने देते हैं । न प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और न पब्लिक सेक्टर । पढ़ाई हो ही नहीं रही है क्योंकि हम यहां

[श्री ए0 सी0 ग्राइस]

बैठे-बैठे मखौल करते हैं । मैं कहता हूं जब तक कांस्टीट्यूशन रहेगा आप हमारे स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर नहीं पायेंगे । राय साहब, हम और आप दोनों रहेंगे ।

अनएंप्लाएमेंट की क्या बात है ? अनएंप्लाएमेंट क्यों बढ़ रही है ? नेशन शिक्षा से बनेगी । शिक्षा को ठीक नहीं कर पाते हैं । लोग चिल्लाते हैं, कांफ्रेंसेज होती है ।

"education system is outdated"

वाकई में आउटडेटेड है । कोठारी कमीशन के अलावा कोई कमेटी या कमीशन नहीं : कहता है कि क्या होना चाहिये । कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर मिट्टी और धूल लगी है । कोई उसको देखता नहीं है । हमारी सरकार ने उस तरफ देखा नहीं है । हमने माननीय मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से कहा है कि जब तक यह सिस्टम आफ एग्जामिनेशन रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं ।

हाई स्कूल को ले लिया जाय । मान लीजिये 1000 लड़के इम्तहान में बैठे और 500 पास हुए और 500 फेल हुए । अगले साल 1000 की जगह 1500 लड़के इम्तहान में बैठेंगे । 1500 में 750 पास हुए और 750 फेल हुये तो उसके दूसरे वर्ष 2000 लड़के इम्तहान में बैठेंगे । तो हाई स्कूल इम्तहान में इस कारण लड़कों का नम्बर बहुत ज्यादा हो गया है । कोठारी कमीशन ने हाई स्कूल के इम्तहान में दो सटीफिकेट दिये जाने के लिये कहा था । एक तो उन लड़कों को दिया जाय जो हाई स्कूल के इम्तिहान में बठते हैं और सभी विषयों में पास होते हैं । एक सर्टीफिकेट उन लोगों को दिया जाय जो दो या दो से अधिक विषयों में पास होते हैं । इससे दो या उससे अधिक विषयों में पास होने वालों को भी एम्प्लायमेंट मिल जावेगा । इस समय अंग्रेजी और मैथेमेटिक्स में ही अधिक लड़के फेल होते हैं और फिर पूरा इम्तिहान उनको पास करना पड़ता है । कोठारी कमीशन ने चार पांच वर्ष पहले यह बात कही थी । यह होना चाहिये था । इस समय हाई स्कूल में लाखों लड़के बैठते हैं । ऐसा करने से उनका नम्बर आधा हो जावेगा । आज जो एम0एस0सी0 और बी0एस0सी0 वगैरह में लड़के पढ़ रहे हैं वह अधिकतर ओवर एज हैं, क्योंकि कई बार फेल होने के बाद वहां तक पहुंचे हैं । तो सरकार को चाहिये कि उनके लिये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कोठारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार सर्टीफिकेट देना प्रारम्भ कर दे । युनीवर्सिटीज आप अधिक न खोलिये और शांति निकेतन की तरह छप्पर में बैठ कर पढ़ाई होना चाहिये ।

मैंने देखा है कि टीचर्स से लेकर जजों तक के तबादले कर दिये जाते हैं । इन लोगों को बडी मुश्किल का सामना करना पड़ता है मेरे पास जज आते हैं कि लड़के को भरती कर लीजिये और रहने की भी जगह दे दीजिये । अगर आप टेहरी गढ़वाल के टीचर का झांसी में तबादला कर देंगे तो चाहे वह प्रमोशन ही क्यों न हो, उसका क्या हाल होगा ? उसको मकान तक नहीं मिलता है और न ही उसके बच्चों की पढाई हो पाती है । तो यह ट्रांसफर्स कम कर दीजिये । यह हमारे टीचर्स और दूसरे लोगों के तबादले बन्द कर दीजिये । और आखिर में यह कहना चाहता हूं आश्वासन समिति के साथ मुझे पहाड़ पर जाने का मौका मिला—बद्रीनाथ के मंदिर में । हमको ऐसा अफसोस लगा बद्रीनाथ को देखकर नहीं, बद्रीनाथ को देख कर तो खुशी लगी, वास्तव में देखने लायक है, जाकर देख आओ परन्तु नीचे से गढ़वाल से ऊपर तक जाकर जो देखा तो अगर आप भी देखें और आपके दिल में रहम होगा तो आंसू बहेंगे । जो नया रास्ता बना हुआ है बार्डर एरियाज तक वहां पर आप देखें कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया कि कुछ वहां पर इंडस्ट्रीज हों, कोई डेवलपमेंट हो ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

ग्राइस साहब को बता दूं कि जब मंत्री लोग वहां जाते हैं तो खूब आंसू बहाते हैं और जब हरिद्वार आकर गाड़ी में बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं ।

श्री ए0सी0 ग्राइस—

अफसोस यह है कि मैं मंत्री नहीं हूं, नहीं तो कर देता कुछ । वहां कोई इंडस्ट्रीज उस रास्ते में चाहे शीप-ब्रीडिंग, गोट ब्रीडिंग शुरू न की जायगी और कुछ नहीं किया जायगा तबतक वह रास्ता बिलकुल खाली पडा रहेगा, कोई नहीं रहना चाहेगा, रुपया बेशी खर्च करना पड़ेगा फौजों पर और जो वहां के निवासी हैं वह गरीब से गरीब होते चले जायेंगे और वह मजबूर हो जायेंगे कि वह शहरों में आकर बसें, जैसे कि देहात वाले शहरों में आ रहे हैं । वह भी आ जायेंगे और आपको शहर छोड़ कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा । थैंकयू ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बजट 1973–74 का बोलता है कि प्रदेश की प्रगति ठप हो गयी है, यह वर्ष अभाव, अकाल, अशांति और हड़तालों का होगा । चारों तरफ बेचैनी और निराशा फैलेगी । हरिजन और मुस्लिम अल्प-संख्यकों को ठगने का षड़यंत्र इस बजट में किया गया है । इंदिरा और कमलापति, दोनों का जाघाती चेहरा साफ होगा । यह बजट जो 1973–74 का पेश किया गया है इसमें कोई दम नहीं है । इसमें प्रगति के कोई लक्षण नहीं हैं । यह प्रदेश अवनति की तरफ जायगा । यह वर्ष अकाल और भुखमरी और हड़तालों का, हुल्लड़बाजी का होगा ।

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि इस वर्ष में सरकार की आमदनी 8.38 करोड़ के करीब है और इनका खर्च 8.83 करोड़ रुपया है । इस प्रकार 44 करोड़ रुपया का घाटा है। पिछला घाटा जो चालू वर्ष का है वह करीब 21 करोड़ का है । इस तरह से 76 करोड़ रुपये के घाटे का यह बजट है । जिसका यह मतलब हुआ कि प्रदेश में कीमतें और बढ़ेंगी और जब कीमतें और बढ़ेंगी तो गरीब आदमी की तबाही और बढ़ेगी । इन्होंने घाटे को पूरा करने का तरीका निकाला है वह बहुत ही निन्दनीय और शर्मनाक है । यह सरकार शराब, टिंचर-जिंजर को बेचेनी की प्रणाली में 4 करोड़ रुपया और बढायेगी यह मंत्री जी शराब की बिक्री में, टिंचर जिंजर की बिक्री में 4 करोड़ रुपया और कमा लेंगे । बंगला देश का जो सरचार्ज लगा हुआ था, जिसको 1971 में लगाया गया था और वह इस लिये लगाया गया था कि बंगलादेश की लड़ाई चल रही थी और हमारा देश बंगला देश को सहायता दे रहा था । लेकिन अब बंगला देश की लड़ाई खत्म हो जाने के बाद शर्मनाक बात यह है इस सरकार के लिये कि दिल्ली की सरकार ने भी जब 1 अप्रैल, 73 से इस सरचार्ज को खत्म कर दिया तो यह कमलापति की सरकार इसको बराबर जारी रखेगी और इस प्रदेश के लोगों से इसके जरिये 4 करोड़ रुपया वसूल करेगी ।

इसके अलावा, टैक्स की प्रणाली में सुधार करके 10 करोड़ रुपया इस प्रदेश की जनता पर ये लादेंगे और साथ ही साथ 13 करोड़ रुपये केन्द्र की सरकार से कर्जा लेंगे । ये सब कुकर्म करने के बाद भी सरकार करीब 45 करोड़ का घाटा रहेगा । तो यह 45 करोड़ रुपया मंत्री जी आप कहां से लायेंगे ? इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि इस प्रदेश की जनता पर छिपे तरीके से और तमाम तरह के टैक्स ये लगायें जायेंगे । आज अपनी झेंप मिटाने के लिये और अपनी इज्जत बचाने के लिये बजट में तो ये टैक्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन यह जो 40–45 करोड़ का घाटा है इसको पूरा करने के लिये इनको टैक्स लगाना पड़ेगा । या फिर यह मान लिया जाय कि बजट में जो योजनायें इन्होंने दी है उनका खर्चा घटाना पड़ेगा या यह सरकार जब 74 के चुनाव में हारेगी तो दिवालिया हो कर इस कुर्सी को छोड़ेगी । सीधा मतलब है कि आज हमारे प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हो रही है ।

यह सरकार टैक्स के बल पर और दिल्ली के कर्जे के बल पर चल रही है । इस सरकार में यह क्षमता नहीं है कि प्रशासनिक खर्च में बचत कर के आमदनी बढाने के और जरिये

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

बनाये । आज यह सरकार कर्जे पर घाटे पर और दिवालियापन के आधार पर चल रही है श्री तिवारीजी ने अपने बजट भाषण में लिखा है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1968–69 में 256 रुपये थे जो धीरे धीरे बढ़ कर 1971–72 में 266 रुपये हो गयी यद्यपि अर्थ व्यवस्था में राज्य की जनसंख्या में उतनी वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होगी और 72–73 में तो 266 रुपये ही रहेगी । इस रफ्तार से ये प्रदेश की प्रगति कर रहे हैं । करीब 14 वर्षों में 10 रुपये की वृद्धि ये कर पाये हैं। इसी के साथ साथ इनका यह भी पाप बोलता है कि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रही है, बराबर रह रही है। हमारा तो दावा है कि इनकी प्रगति पीछे चली जा रही है । मैं एक ही उदाहरण आपको बताना चाहता हूं । किसी देश की प्रदेश की प्रगति का अन्दाजा वहां की जनता के रहन-सहन, वहां की शिक्षा के स्तर से लगाया जा सकता है । इन्होंने 1972–73 में 110 प्राइमरी स्कूल खोले थे । अब इस वर्ष 1973–74 में 60 प्राइमरी स्कूल खोलेंगे-यानी आधे रह गये । शिक्षा में भी पीछे चले गये।

अब हरिजनों के लिये पेयजल की योजना के बारे में कहते हैं कि हरिजनों के लिये पानी की व्यवस्था की जायेगी । इतनी लम्बी अवधि बीत जाने पर भी आज तक ये देहात में हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं कर सके हैं । अपने उत्तर प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 624 गांव हैं । मार्च, 1972 तक 7,896 गांव में यह पेय जल की व्यवस्था कर पाये और 1973 में 438 तथा 1974 तक 483 और गावों में यह पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे । इस रफ्तार से मान्यवर यदि पूरे प्रदेश के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये इस सरकार को 250 वर्ष लग जायेंगे । इतने समय में जाने कहां यह सरकार होगी और जाने कहां इनके मंत्री होंगे । यह इनकी प्रगति है और हल्ला बड़ा मचाते हैं हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के बारे में।

70 करोड़ रुपया पेयजल योजनाओं पर व्यय किया गया । इसका लाभ 244 गांवों को हुआ और 78 हजार जनसंख्या को इसका लाभ पहुंचेगा । केवल 78 हजार को । 70 करोड़ रु0 खर्च करने पर 78 हजार आदमियों को पीने का पानी मिल सका । मैं पूंछना चाहता हूं कि यह कौन सी योजना है । क्या इस प्रदेश के इंजीनियररों और मंत्रियों ने मिल कर इस प्रदेश के खजाने को खाली कराने की कोई योजना बनायी है ?

नई कांग्रेस नें दो वर्ष पूर्व बेकारी दूर करने और गरीबी मिटाने का बड़ा हल्ला मचाया था । आज देवी जी इंदिरा गांधी लखनऊ में आयी हुई हैं । दो साल पहले उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी मिटाने का नारा लगया था । अब आज उनका कहना है कि बिना मेहनत किये बेकारी गरीबी दूर नहीं होगी । मेहनत करो, भूखे रहो । अब यह नारा उनका हो गया है । पहले एक योजना इन्होंने बना कर 58 करोड़ की दिल्ली इन्द्रा की सरकार को भेजी थी और इनको यह आशा थी कि दिल्ली से रुपया इनको मिल जायेगा और उससे बेकारी दूर हो जायगी । सभी लोगों को काम मिल जायेगा । लेकिन जब इनको दिल्ली से 4 करोड़ रुपया ही मिला, तो उस बेरोजगारी मिटाने की योजना में इन्होंने फिर काट छांट कर दिया । बेकारी तब तक नहीं मिटेगी जब तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की इस मांग को कि हर बेकार आदमी को बेकारी का भत्ता दो, स्वीकार नहीं किया जाता, बेकारी दूर नहीं हो सकती । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की यह मांग रही है कि या तो काम दो या बेकारी का भत्ता दो। अमेरिका में भी ऐसे बेकार आदमियों को 20 रुपये रोज बेकारी भत्ता दिया जाता है ।

आज यह सरकार बेकारों को नारेबाजी में बहला रही है, और नारेबाजी से आज यह सरकार बेकारों को सन्तुष्ट कर रही है । तो, मान्यवर, यह सरकार बेकारी दूर करन में असफल हुई है और गरीबी मिटाने को इनका कोई कार्यक्रम नहीं है। बराबर इनकी

जो स्कीमें हैं, वे अपनी जगह पर फेल चली जा रही हैं । ये इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को बराबर धोखा देते चले जा रहे हैं । बड़ा ये लोग हरिजनों और मुसलमानों का रोना रोते हैं । इन्होंने अपने बजट भाषण में यह लिख दिया, हरिजनों के बारे में इनका यह कहना है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि उन स्थानों पर जहां हरिजनों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती की घटनायें होती हैं, वहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था करके सामुहिक अर्थ-दंड लगाया जायेगा । जो लोग हरिजनों को मारते हैं, अल्प-संख्यकों को सताते हैं, उनको इनकी जेल पहुंचाने की हिम्मत नहीं है, उनको यह सजा नहीं दिला सकते हैं । तभी तो यह कहते हैं कि पूरे गांव में जुर्माना कर दिया जायेगा । इनके इस कथन से यह साफ होता है कि यह हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि पूरे गांव के ऊपर जुर्माना करके उस पूरे गांव का तबाह कर देना चाहते हैं ।

इस नई कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है । कांग्रेस का विभाजन सन् 69 में हुआ था, तबसे यह पहली बार नई कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कराये गये हैं । इन चुनावों को लेकर अन्दुरूनी गुटबाजी पूरी तरह उभड़ आई है । अपने को इंदिरा गांधी का अनुयायी कहने वाले और उनके इशारे से अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने वाले लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं । तो यह तो कांग्रेस का आचरण है, जो कि अपने स्वार्थ के लिये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं । यह प्रदेश की 9 करोड़ जनता का विचार है । इनको शर्म आनी चाहिये कि आज इनका यह स्तर हो गया है । प्रशासनिक क्षमता में श्रीमती कृपालानी से पीछे कमलापति त्रिपाठी जी हैं और श्री कमलापति त्रिपाठी का एक वसूल है कि सब काम अपने समय पर भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा—अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूक कह गये सबके दाता राम, की भावना से वह ओतप्रोत हैं । यह तो मुख्य मंत्री और कांग्रेसियों की हालत है, जिसके लिये अखबार और प्रदेश की जनता बोलती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है । इनके रवैय्ये में कोई सुधार नहीं हुआ है । सरेआम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, किन्तु इनको शर्म नहीं आती है । अभी कल ही परिवहन मंत्री विभव के सेक्रेटरी पर गम्भीर आरोप लगाये गये थे, लेकिन उनको उसकी कोई परवाह नहीं है । अभी श्री ग्राईस साहब भी इस बारे में कह रहे थे श्री बेनी सिंह अवस्थी खाद्य मंत्री के बारे में ।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी साहब दो मिनट का समय हमें और दीजिये । उन्होंने कहा हमारे जिले के एक मंत्री जी हैं, जो यहां पर कैबिनेट के मंत्री हैं और वह खुराक क भी मंत्री है । आज कौन नहीं जानता प्रदेश की जनता दाने दाने गेहूं के और दाने दाने शक्कर के लिये तड़फ रही है, किन्तु आज उनकी आंखें बन्द है। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम राशन की दुकानों पर पूरा गल्ला नहीं दे पाते । आज ये गावों में एक राशनकार्ड पर एक महीने में एक किलों यह शकर देंगे । अगर परिवार में दस आदमी हैं तो आधा तोला भी शक्कर एक महीने में नहीं मिलेगी और शहर में प्रति यूनिट 1 किलो मिलेगी आज राशन की दूकानों में शहर और देहात में शकर वितरण में भारी असमानता है और देहात की जनता के साथ बेईमानी की जा रही है शकर रिटेलर की दूकानों पर त्राहि-त्राहि मची हुई है । खाद्य मंत्री श्री बेनी सिंह अवस्थी को कोई फिक्र नहीं है, मौज कर रहे हैं । श्री बेनी सिंह अवस्थी स्वायत्त शासन के भी मंत्री हैं । कानपुर में गंगा नदी है जहां वे रहते हैं गंगा जो देश की एक पवित्र नदी है । उसमें कानपुर में 18 करोड़ लिटर गंगा पानी प्रति दिन गिरता है । अभी बेनी सिंह जी की आंखें बन्द है । ऐसे मंत्री को जिसकी नाक के नीचे गंगा जैसी पवित्र नदी में गंदा पानी गिरे उसको इस्तीफा दे देना चाहिये इनको शर्म आनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अपना भाषण समाप्त करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

ऐसे कांग्रेस के लोगों से जनता को क्या उम्मीद हो सकती है । यह क्या भलाई करेंगे हरिजनों की ? कैम्प लगा हुआ है बाहर गेटों पर जगदम्बा प्रसाद सिंह जी के बारे में हरिजन रो रहे हैं । परचों में छपता है कांग्रेस एम0एल0ए0 गुंडा है । यह परचे छाप कर बांटे जाते हैं, कांग्रेस के एम0एल0ए0 गुंडों से भी आगे हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)

आप उनसे भी बढ़ कर गुंडे हैं ।

(शोर)

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप से गुजारिश करूंगा कि . . . .

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मैं इस बेकार बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रामपाल सिंह आप अपना भाषण समाप्त करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इन शब्दों के साथ में इस निकम्मी सरकार के इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गुजारिश है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं "कुत्ते" "गुंड" इनको कायवाही से निकलवा देने की कृपा करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

सारा सूबा इसको जान गया है । इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

कुत्ते तो कार पर चल रहे हैं, जो हम सबको नसीब नहीं है ।

श्री रामकुमार दीक्षित—

"गुंडा" शब्द कार्यवाही से क्यों निकाल दिया जाय। वह सब आना चाहिये कि कौन गुंडे हैं।

श्री रियासत हुसेन—

दोनों तरफ से गुंडा शब्द सदस्यों के संदर्भ में प्रयोग किया गया । इतना कार्यवाही से निकालवा देने की कृपा करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अधिष्ठाता महोदय, बोलने का नियम यह है कि जो असंसदीय शब्द हैं उनका इस्तेमाल न किया जाय। लेकिन मान्यवर, जो मुहाविरें हैं उनका इस्तेमाल बराबर चलता है। कुत्तों की तरह लड़ना तो मुहावरा है । इसको निकाला नहीं जा सकता है। यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

होली का मौका है चलने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

बैठिये, होली नहीं है। उन्होंने केवल उद्धरण पढ़ा है। स्वयं नहीं कह रहे थे। उस संदर्भ में कहा जा सकता है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उद्धरण पढ़ा लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि गुंडे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि गुन्डों से भी अधिक हैं।

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूज्य गांधी जी हरिजन वर्ग की भलाई के लिये जान देने के लिये तैयार थे। हफ्तों से हरिजनों का अनशन चल रहा था। लिखा हुआ है कांग्रेसी विधेयक के अत्याचार के विरुद्ध हरिजनों का अनशन। यह बड़ी लज्जा और दुख का बिषय है। हमारे माननीय सदस्य उसकी लीपापोती कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सदस्यों के खिलाफ हरिजनों का अनशन हो रहा है यह दुख का विषय है। यह कांग्रेस के लिये बड़ी भारी शर्मा की बात है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर सदन में चर्चा चलायी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य नियम 51 में इसे दे सकते हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

इनके ऊपर कत्ल करने का आरोप है। तथा षड़यंत्र रखने का मुकदमा चल रहा है।

कुंवर तेजभान सिंह—

जगदम्बा प्रसाद जी का बयान लिया जाय। हरिजनों का कत्ल करवाते हैं। उनसे बेगार लेते हैं। और उन पर जुल्म करते हैं। इसकी जांच कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें। माता प्रसाद जी अब बोलेंगे।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जिन परिस्थितियों में यह बजट लाया गया है उनमें यह कहा जा सकता है कि यह एक अच्छा बजट है। इस बजट के शुरू में ही वित्त मंत्री महोदय ने एक नई चीज इस साल यह कही है कि प्रशासनिक जो विभाग है उनमें कुछ विभागों में वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गये हैं। अभी तक उन्होंने कृषि उत्पादन शिक्षा तथा चिकित्सा में अपने परामर्शदाता नियुक्त किये हैं। दूसरे विभागों में भी उनकी नियुक्ति होना चाहिये। इससे जो एक लम्बा प्रोसेस होता है फाइलों के निबटाने में और वे वित्त विभाग की स्वीकृति के लिये पड़ी रहती हैं। और इस प्रकार जो अनावश्यक बिलम्ब होता है, ऐसा करनेपर कार्य करने होने में जल्दी होगी और उनको जल्दी निबटाया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण की प्रति में पृष्ठ 6 पर यह कहा है, "स्वतंत्रता के रजत जयन्ती वर्ष में शासन ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक पात्र भूमिहीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा ग्रामीण शिल्पकार परिवार को ग्राम क्षेत्रों में आवास स्थल हेतु भूमि दी जाय। इस फैसले के अनुसार 2 अक्तूबर, 1972 तक 14,314 ग्रामों के 1,54,269 व्यक्तियों को

[श्री माता प्रसाद]

1948.26 हक्टर्स भूमि दी जा चुकी है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कागजों में भूमि दे दी जाती है लेकिन मौके पर भूमि नहीं दी जा सकी है। सरकार को इसमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि सबसे पहले मौके पर भूमि जो दिला दिया जाय, उसके बादमें कागजात में दर्ज किया जाय। आज होता यह है कि कागजो में जमीन बांट दी जाती है लेकिन जिसके नाम वह भूमि एलाट होती है उनको वास्तव में नहीं मिल पाती है। आवास के लिये देहातों में जो सरकार कदम उठा रही है वह बहुत अच्छा कर रही है। मैं शहरों के हरिजनों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहरों में स्लम स्कीम्स के नाम पर हरिजनों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। लखनऊ में राजेन्द्र नगर कालोनी बसाई गयी तो 300 हरिजनों को निकाला गया और वहां प्लाट बना दिये गये और उनकी इतनी कीमत रखी गयी कि वे हरिजन उनको खरीद नही सके। आज नालों के किनारे वे बसे हुए हैं। राजेन्द्र नगर में आज भी सुभाष नगर रोड पर एक हरिजन बस्ती है। वहां कुछ पक्के तथा कुछ कच्चे मकान हैं।

1862 से वे उन पर काबिज हैं। कुछ समय पहले स्लाम स्कीम के अन्तर्गत जो वहां पर हरिजनों के मकान कच्चे पक्के बने हुए थे उनको एक्वायर किया जा रहा था। उसके संबंध में मुकदमा चला। इस बीच मालूम हुआ कि वह जमीन बलरामपुर स्टेट के राजा के नाम वह हो गई। अब मालूम हुआ हैकि वे इन मकानों को गिरवाकर उस जमीन को बेचेंगे। यह बिल्कुल गलत है मैं चाहूंगा कि यदि कहीं की जमीन खाली करानी ही पड़े और हरिजन बस्तियों को हटाना आवश्यक होतो सबसे पहले उन्हीं हरिजनों को प्लाट्स दिये जायं। दूसरे लोगों को न दिये जायं। यह बड़े दुख की बात है कि इन गरीब बेचारों की झोपड़ियां उजड़ जाती हैं। और उन स्थानों पर बड़े बड़े लोगों के महल बनकर तैयार हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से देहातों में आबादी दी जा रही है उसी तरह से भी शहरों में हरिजनों को नजूल की भूमि मिलनी चाहिये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक हरिजन आयोग को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इनको उस आयोग का अध्यक्ष बना दिया जायेगा....

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, संविधान के अनुसार जो अधिकार हरिजनों को प्राप्त हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। वह पूरा होना चाहिये। हरिजनों पर अत्याचार की खबरें आये दिन मिल रही हैं। हमको देखना चाहिये कि इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं।

इसके अलावा यह भी एक अच्छी बात है कि सरकार ने पुलिस की एक स्पेशल शल कायम की है हरिजनों के बारे में। जहां पर हरिजनों पर अत्याचार होगा वहां पर सामूहिक जुर्माने की बात कही गई है। म चाहता हूं कि गुजरात की तरह हर जिले में एक एस0पी0 एडिशनल रहे जो कि हरिजनों के मामलों को देखे और मुकदमें चलाये। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि यह आयोग जो सिफारिश दे उसे अवश्य कार्यान्वियन होना चाहिये। मान्यवर, ऐसा न हो कि जैसे हरिजनों के नौकरी के संबंध में सर्वे हेतु एक राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति हुई थी उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है, जुगुल किशोर की एक कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है उसके बाद माननीय बलदेव सिंह की रिपोर्ट है जौनसार भावन के बारे में वह भी हमारे सामने है लेकिन जब इन आयोगों की संस्तुतियों के मानने का समय आता है उस समय वित्त विभाग अड़ंगा लगाकर उन्हें काट देता है। इसलिये मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो रिपोर्ट आयोगों की होती है .... (व्यवधान) वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं।

श्री जगबीर सिंह––

बातों में मशगूल हैं ।

श्री माता प्रसाद––

मान्यवर, आचार्य जुगुल किशोर की अध्यक्षता वाली समिति में माननीय नारायण दत्त तिवारी का एक साक्ष्य हुआ था । उसे मैं पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं । यह पृष्ठ 119 पर है । 179 पैराग्राफ में लिखा है–श्री नारायण दत्त तिवारी, उपाध्यक्ष, राज्य मूल्यांकन परिषद् ने 30 सितम्बर, 1965 को इस संबंध में समिति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया, उनका विचार था कि राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद् और जिला स्तर की सलाहकार समितियों के पास हरिजन कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये वांछित अधिकार, बल एवंक्षमता नहीं है । अतएव वर्तमान परामर्शदात्री परिषद् व समितियों के स्थान पर संविधि (स्टटयुयरी) परिषद् व समितियां होनी चाहिये । यह परिषद् यथा संभव स्वायत्तशासी (आटोनामस) हों ताकि हरिजन कल्याण के लिये शासन द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति करने में यह समथ हो सकें । इस परिषद् को ऐसे अधिकार दिये जायं कि वह उसे सौंपे गये कार्यों को सुचारुरूप से पूर्ण करने के लिये आवश्यक संयंत्र (मशीनरी) की व्यवस्था स्वयं करें, इन कार्यों के लिये धन इकट्ठा कर सकें, भूमि तथा अन्य प्रकार की संपत्ति जुटाये और साथ ही औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों से भी ऐसे अनुबंध कर सकें कि समाज में इन कमजोर वर्गों के पुनर्वास तथा प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध हो जाय ।

मान्यवर, आज सौभाग्य से माननीय वित्त मंत्री जी को यह सुअवसर प्राप्त है कि उन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया था एक निगम के बनाने का, उसको वह कार्यान्वित करें । ऐसा न हो कि धन की कमी की बात कहकर उसे खतम कर दिया जाय । अगर धन न हो तो अभी बंगला देश के नाम जो टैक्स लगाने की बात है, मैं समझता हूं कि जैसे पंजाब में, हरियाणा में है कि उन्होंने एक हरिजन कल्याण टैक्स लगा दिया और काफी रुपया इकट्ठा करके उन्होंने वहां एक निगम बना दिया है और उन्हीं से उनको रोजगार व उद्योग धंधे की व्यवस्था की जाती है । उसी तरह से यहां इस टैक्स को हरिजन कल्याण टैक्स का नाम दे सकते हैं, इससे हमारे पास काफी धन इकट्ठा हो जायेगा । कुछ ग्रांट या अनुदान देने से हरिजनों का उद्धार नहीं होगा अगर सरकार वास्तव में हरिजनों को संरक्षण देना चाहती है तो वह उसको कार्यान्वित करे। 71 दिसम्बर में हरिजनों के प्रमोशन के संबंध में एक निर्णय हुआ था लेकिन उसे किसी न किसी तरह से रोक दिया गया । अगर उसी रूप में हो गया हो तो अच्छा है और अगर नहीं हुआ हो तो उसे होना चाहिये ।

एक चीज की तरफ मैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे जो आफिसर और कर्मचारीगण हैं उनका हृदय परिवर्तन होना चाहिये । आज प्राइमरी स्कूलों में जो हरिजन अध्यापक हैं वे पानी तक नहीं पीने पाते हैं । जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे भी बतनों में पानी नहीं पीने पाते हैं । अभी नवम्बर में पिथौरागढ़ में एक घटना हुई है । दुर्भाग्य से वहां एक अनसूचित जाति का जिला अधिकारी आ गया । अमेरिका से कोई साहब आये थे और सरकारी कर्मचारियों के क्लब में मीटिंग हो रही थी । उस मीटिंग में वे वर्ण व्यवस्था के ऊपर कुछ बातें कर रहे थे । इस पर कलेक्टर ने प्रोटेस्ट किया । बस उसी के ऊपर बावेला और आन्दोलन मच गया, विवश होकर उस आफिसर को वहां से हटना पड़ा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

किसने निकाला, उसके बाद उसने गोली चलवायी ?

श्री माता प्रसाद––

मान्यवर, यह प्रदेश दो तरह से पिछड़ा हुआ है । एक तो आर्थिक दृष्टि से और दूसरे औद्योगिक दृष्टि से । आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र में पूर्वी जिले, बुन्देलखंड के जिले और

[श्री माताप्रसाद]

पर्वतीय जिले आते हैं। औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से जो जिले पिछड़े हुए हैं उनमें बुलन्दशहर भी है। सरकार ने इस बजट में भी एक फैसला लिया है कि वह कुछ उद्योगों को लगाने वाली है। मैं चाहता हूं कि हर जिले में जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कम से कम एक नये उद्योग की स्थापना जरूर की जाय।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि इस बजट पर बोलने के लिये आपने मुझे अवसर दिया। पिछले तीन दिनों से जो माननीय सदस्य इधर से बोले या उधर से बोले उनके भाषणों को ध्यान से सुनता रहा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, म माननीय नेगी जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वे न इधर के हैं और न उधर के हैं, तो आखिर किधर के हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

न मैं इधर का हूं और न उधर का हूं, मैं जहां पर खड़ा हूं वहीं का हूं। (हंसी)

मान्यवर, जब इधर के माननीय सदस्य उधर बैठते थे और उधर के माननीय सदस्य इधर बैठते थे तो दोनों इसप्रदेश की दुर्दशा का रोना रोते थे और अब जब उधर वाले इधर और इधर वाले उधर बैठे हुए हैं तो ये आज इस प्रदेश की दुर्दशा का रोना रोते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पशु और पक्षी के बीच में एक और पक्षी होता है।

(हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आज पंडित कमलापति जी मुख्य मंत्री हैं, कल चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और परसों सी0 बी0 गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की दुर्दशा के लिये तीनों मुख्य मंत्री जिम्मेदार हैं।

मान्यवर, 25 साल हो गये हैं और अर्थ व्यवस्था के अन्दर तीन पंच वर्षीय योजनायें खत्म हो चुकी हैं, करोड़ों रुपया फूंक चुके हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 247 रुपये से बढ़कर 266 रुपये पर आकर अटक गई है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसी बात नहीं है कि आपने खर्च न किया हो, आपने कर न लगाया हो, आपने कर लगाकर जनता की कमर तोड़ दी है। आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया है। आपने खाली सामाजिक सेवाओं के ऊपर जो खर्चा पहली पंचवर्षीय योजना में खर्च किया है वह है 153 करोड़ 47 लाख रुपया, दूसरी योजना में 233 करोड़ 34 लाख रुपया और तीसरी योजना में 560 करोड़ 77 लाख रुपया खर्च किया है। 1966–69 के बीच में 451.54 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, चौगुना रुपया खर्च कर चुके हैं और चौगुना टैक्स लगा चुके हैं, चौगुनी दौलत फूंक चुके हैं लेकिन आपकी आमदनी में कितनी वृद्धि होती है केवल 19 रुपये, प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है और चूंकि जनसंख्या बढ़ जाती है इसलिये आय कम हो जाती है।

मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि आपने प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया है,पहली योजना में 24 रुपये, दूसरी योजना में 34 रुपये तथा तीसरी योजना में 75 रुपये तथा 66–69 के बीच में 52 रुपये खर्च किया है। खर्च में 51 रुपये की वृद्धि हुई है और जब खाते मिलाते हैं तो वृद्धि कितनी होती है केवल 20 रुपये। इसमें किसकी जिम्मेदारी है। मैं मुख्य मंत्री कमलापति त्रिपाठी की जिम्मेदारी कहूं या चरण सिंह की जिम्मेदारी या तीसरे मुख्य मंत्री गुप्ता जी की जिम्मेदारी कहूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय—

एक सूचना में माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि एक मिनिस्ट्री के जमाने में माननीय झारखंडेराय और रुस्तम सैटिन भी मिनिस्टर थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपके द्वारा ही वे गद्दी पर बैठे थे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी को तो यह भी पता नहीं है कि लेफ्ट हैं या राइट हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

हमें पता है लेकिन जिनके आंख नहीं है, कान नहीं है उनके लिये हम क्या कह सकते हैं । इस बजट में 76.31 लाख रुपये का घाटा है । माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई कर लगाने की बात नहीं कही है । और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कर नहीं लगायेंगे । इसमें हमें बड़ी खुशी है लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह जो घाटा हुआ है इसको मीट कैसे करेंगे आप कर नहीं लगाना चाहते हैं तो यह बड़ा सुन्दर है । लेकिन कैसे इसकी पूर्ति करेंगे । हमारे सामने एक विकल्प रखा गया कि पिछले वर्ष 40 करोड़ रुपया अल्प बचत में एकत्रित हुआ । उसी के अनुसार आशा है कि अगले वर्ष में यह रुपया 20 करोड़ और बढ़ जायेगा यानी 60 करोड़ रुपया हो जायेगा और 13 करोड़ रुपये की आमदनी केन्द्र से मिलेगी । मैं कहना चाहता हूं कि वे बड़े विद्वान अर्थशास्त्री हैं । लेकिन पिछले साल जो 40 करोड़ रुपया मिला था वह इस लिये मिला था कि आपकी मनी सप्लाई 14 परसेंट बढ़ चुकी थी यह मनी सप्लाई 14 प्रतिशत बढ़ी लेकिन उसके बाद जो उत्पादन हुआ उसमें केवल 2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । ज्यादा पैसा लगा और पैदावार घट गई । ऐसा होगा तो कीमत बढ़ना स्वाभाविक है । अगर आप का यही इरादा है कि मनी सप्लाई बढ़ती चली जाय तो आप कीमतों को कैसे रोक सकेंगे, उससे महंगाई तो बढ़ेगी ही ।

यह आर्थिक संकट क्या है और क्यों है ? यह इसलिये है कि आपकी जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिस पर आप प्रदेश को और देश को चला रहे हैं । वह आप छोड़ें आप उसको अपनाये हुए हैं और आर्थिक संकट आपके सामने है । आप अगर नहीं लगाना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है तो उसका एक आखिरी नतीजा यह होगा कि या तो आप जो योजना हमारे सामने लाये हैं, उतमें आप कटौती करेंगे या आपको मजबूर होकर उन्हें चलाने के लिये जनता पर कर लगाने पड़ेंगे । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने एक स्टेट ट्रेडिंग की नीति अपनायी और आप घाटे का व्यापार चला रहे हैं । वैसे मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इसका स्वागत करता हूं और यह हकीकत है कि आप आगे गल्ले का व्यापार भी अपने हाथ में लेने जा रहे हैं । लेकिन मुझे डर है कि आप खाद्यान्न का मूल्य नियंत्रित कर सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त मैं आप को चेतावनी दूंगा कि वह कौनसी मशीन है जिसके द्वारा आप इस योजना को कामयाब बनायेंगे । एफ0 सी0 आई0 की मशीनरी आपके सामने है और प्रदेश का प्रशासन भी आपके सामने है.... ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री गोविन्द सिंह नेगी की मशीनरी का इस्तेमाल किया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

हमारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो हम उनको भी ठीक कर देंगे ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सन् 17 से अब तक रूस ने इतनी तरक्की किया कि उसे 500 करोड़ का गल्ला अमरीका से मंगाना पड़ा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

स्टेट ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। सूबे की नौकरशाही और उसके हाथ में जो आपके पास आय के अन्य साधन हैं उनका क्या हुआ यह भी देखें। आपके पास चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र में है। उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं। कि नौकरशाही ने क्या वहां किया है। 65–66 में उसके ऊपर 7.80 करोड़ की पूंजी लगाई गई थी और उस पर उस वक्त लाभ 6.3 प्रतिशत था और उसके बाद जब अब पूंजी वहां 8.54 करोड़ हो गई तो मुनाफा घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया। इसी तरह से आप के पास रोडवेज है, आप स्वयं बसें चला रहे हैं। और नये नये रोड्स लेते जाते हैं। उसकी भी आप दुर्दशा देख। 60–61 में आप ने रोडवेज पर खर्च किया था 11 करोड़ 5 लाख रुपया और 66–67 में वह 17 करोड़ 85 लाख हो गया और शुद्ध लाभ जो शुरू में 2 करोड़ 15 लाख हुआ था वह 66–67 में घटकर .04 हजार रह गया।

मेरा निवेदन है कि यह आपकी नौकरशाही की देन विभाग की है, जिनके जरिये से आप इस प्रोक्योरमेंट को करने जा रहे हैं मेरा खयाल है कि आप पूरे तौर पर नाकामयाब होंगे और आप बढ़ती हुई कीमतों को नहीं रोक सकेंगे। आप अगर किसान को राहत देना चाहते हैं तो गेहूं और चावल के ही व्यापार को आप क्यों ले रहे हैं दूसरे अनाजों और दालों को क्यों छोड़ रहे हैं, सबको आप क्यों अपने हाथ में नहीं लेते ?

(इस समय 4 बजकर 9 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री रियासत हुसैन—

आप अगर स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी के मुआफिक है जैसा कि आपने अभी कहा तो आपकी क्या राय है कि कैसे किया जाय ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप बिना इस नौकरशाही को ठीक किये हुए, बिना उसे कसे हुए जो प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं वह कामयाब न होगा। आप उसे कसिये, भ्रष्टाचार को खत्म कीजिये। आप सीमेंट फैक्ट्री चुर्क को और रोडवेज को खा चुके हैं, आप राशन भी खा जायेंगे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इनकी राय से ही तो प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री रोजाना लाभान्वित होते हैं।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

इनकी सर्विसेज आप ले लें स्टेट ट्रेडिंग में ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

दूसरे आय के श्रोत प्रदेश में पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम इजारेदारी को खत्म करेंगे लेकिन आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। बिरला साहब आपकी ट्रेजरी से 4 करोड़ रुपया ले जा रहा है लेकिन उसकी हिन्डेलको का राष्ट्रीयकरण करने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है बावजूद इसके कि आपकी यह घोषित नीति है।

चीनी को ले लीजिये, बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कराया गया कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इस प्रदेश के जो कर्णधार हैं...

श्री कल्पनाथ सिंह—

चीनी की बात क्या थी जब उस समय आजमगढ़ जिले में झारखंडी चाय चलती थी, जो आज भी चलती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बिरला के सामने आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और चीनी मिल मालिकों के ऊपर आपका हाथ नहीं पड़ रहा है। आज आप बड़े-बड़े इजारेदारों के हाथों में जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने अल्मोड़ा में मैगनेसाइट का कारखाना लगाया है। उसमें आपने टाटा को लाकर बिठा दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के साझ में। रुपया आपका लगेगा लेकिन वह मैगनैसाइट जायेगा जमशेदपुर में टाटा के कारखानों में।

बुलन्दशहर में मिनी स्टील, इन्डस्ट्रियल पोलिसी रेजोल्योशन, के बारे में कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा। आप उस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। केन्द्र के अन्दर भी टाटा ने कोशिश की जिसक अनुसार मिनी स्टील का मामला चला था लेकिन आप इंदिरा जी की घोषित नीतिके भी विरुद्ध काम कर रहे हैं।

आज जिस तरह से इस प्रदेश में भी क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है,,उसे भी देखलें। इसी क्षेत्रीय असंतुलन के कारण आज आन्ध्र में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है और मिजोराम में आज क्या हालत पैदा हो गई है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वित्त मंत्री पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं लेकिन वहां के रहने वालों की क्या दुर्दशा है? जब कि उत्तर प्रदेश की एवरेज इन्कम 266 है पर्वतीय क्षेत्र की पर कैपिटा इंकम 115 रुपये है। आपने पर्वतीय मंत्रालय भी कायम कर दिया है और राज्य मंत्री भी नियुक्त कर दिया है, जिसको कोई अधिकार नहीं है, केवल मंत्रालय का मंत्री बना दिया है। आज हालत यहां तक है कि जिस दिन से यह पर्वतीय मंत्रालय गठित हुआ है, एक साल से, उस दिन से पवतीय विकास परिषद् की आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है। पूरा 1 1/2 साल होने जा रहा है लेकिन एक भी मीटिंग नहीं हुई है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जिस प्रकार से प्रदेश की जनता 40 प्रतिशत बिलो पावर्टी है उसी प्रकार से 40 प्रतिशत मंत्रिगण भी बिलो पावर्टी हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आज हर मंत्री अपने को उत्तर प्रदेश का मंत्री नहीं समझता है। वह अपने को अपने चुनाव क्षेत्र का मंत्री ही समझता है। और यह मेरी बदकिस्मती है कि पर्वतीय क्षेत्र के जितने मंत्री हैं वे भी यही समझते हैं कि उनका क्षेत्र ही पूरा हिमालय पर्वत है। और वे ही तमाम पर्वतीय जनता की समस्याओं को समझते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। अभी उस दिन छेहरी पर बहस हो रही थी तब वे हिमालय की संस्तुति में कालिदास के श्लोक सुना रहे थे लेकिन आज वह कर क्या रहे हैं। पर्वतीय विकास निगम नामक एक संगठन बनाया गया और यह कहा गया कि हम वहां 3 फैक्टरियां देने जा रहे हैं। टेलीविजन वहां के लिये लाने जा रहे हैं, उन फक्टरियों में एक कोट द्वारा में और नाम उन्होंने बताये लेकिन हुआ क्या? जो हमारे सुनने में आया वह यह है कि वगैर निगम के चेयरमैन की जानकारी के और वगैर बोर्ड आफ डाइरेक्टस के रिजोल्यूशन के वहां की तीनों कारखानों के स्थापना करने की कोशिश की ज रही है और बिड़ला के गुट को वह दी जा रही है। इंडस्ट्रियल रिसर्च आरगनाइजेशन के नाम से वह चीज बनायी है।

मान्यवर, यह मेर कहना नहीं है कि कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेम्बर श्री परिपूर्णानन्द जी पैन्यूली हैं जो इस बोड के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है—

"SIRDO AFFAIR

Mr. Painuli said that the Scientific Industrial Research and Development Organization, set up by the Birlas in the guise of a philanthropic body to help secure employment to jobless engineers and for providing technical know how for the establishment of industries, was nothing but a masked monopoly house venture to make inroads into under-developed areas for exploitation for its own benefit.

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि आपके ही निगम का चैयरमैन कह रहा है। अब तक पहाड़ों में क्या होता था ? छोटी मोटी लूट नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि स्टार पेपर मिल वाले क्या कर रहे हैं ? आज आपने मोनेसाइट वाला कारखाना बिड़ला को सौंप दिया और हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन को बिड़ला को सौंप दिया। तमाम यूकेलिप्टस के जंगल आज बिड़ला को सौंपे जा रहे हैं। आज आपकी वह समाजवादी नीतियां कहां रही हैं। आप कैसे मनोपाली पर रोक लगायेंगे और कैसे इजारेदारी को खत्म करेंगे, जब इजारदारी बढ़ा रहे हैं।

आपने टेहरी के लिये वहां की 35 हजार जनता से कहा कि टेहरी में एक डैम स्थापित होने जा रहा है और वह उत्तर प्रदेश की 1 तिहाई बिजली की मांग को पूरी करेगा और 60 लाख एकड़ भूमि टेहरी की उससे सिंचाई होगी और उसकी कीमत 35 हजार, टेहरी की जनता को वहां के निवासियों को देनी पड़ेगी, उन्हें अपने घरबार को छुड़ाना, पड़ेगा, अपनी धरती-माता को छोड़ना पड़ेगा, जिस धरती को उनके पुरखों के अपने खून और पसीने से सींचा है वहां डिग्री कालेज बनने जा रहा था, वह आपने कहा कि वह नहीं बन सकेगा आपने कहा कि वहां सड़क नहीं बन सकेगी, अस्पताल वहां खुल नहीं सकता लेकिन वहां हो क्या रहा है, लेकिन वहां टेहरी की जनता ही डूबी जा रही है।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन एक चेतावनी देना चाहता हूं। हम टेहरी के 35 हजार निवासी भेड़ बकरियां नहीं हैं, डंगर नहीं है, हम वही टेहरी निवासी हैं जिन्होंने 13 सौ साल की पुरानी सामन्तशाही को एक रात में उखाड़ कर फेंक दिया था। अगर इस तरह से सामन्तों के हाथों में वहां की जनता को डाला जायगा तो हम अपना मकान नहीं छोड़ेंगे अपनी धरती को तब तक नहीं छोड़ेंगे अगर आप बिड़ला और टाटा को वहां इस तरह से सारा काम सौंपते रहेंगे। हमने मिर्जापुर में देखा है। आपने वहां की जनता को प्रलोभन दिया और वहां के लाखों निवासी बे घरबार हो गये और बाद में आपने किया क्या ? वहां आपने बिजली बिड़ला को दो पैसे की दर पर दे दी। टेहरी की जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं आज यहां चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि जो टेहरी डैम से बिजली पैदा होगी, टेहरी के विकास के लिये उसी दर पर इस्तेमाल होगी, जिस दर पर कि बिड़ला को दी जायेगी, तो हम टेहरी डैम नहीं बनने देंगे।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी देखा कि हमारे मित्र गोविन्द सिंह नेगी जी विश्वसनीय मित्र नहीं साबित हुए और ये जो चन्द्रभान शर्मा जी हैं, इनके नेता ने तो हम लोगों पर सीधे आक्रमण किया, लेकिन हमारे मित्र नेगी साहब ने तो पीठ में छूरा मार दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ गया, जोकि मुझे आज ही मिला—

बचाओ दामने दिल ऐसे हम-नशीनों से,
छिपाके सांप जो डसते हैं आस्तीनों से।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कैसे मालूम हो। किसने किसको पाला है.....

श्री कृष्णनन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि इस बार बजट विवाद में सदन का बहुत ऊंचा स्तर रखने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से उन नीतियों की, जिनका जनता पर प्रभाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ने वाला है, चर्चा की गयी है। बजट केवल लाभ-हानि का चिट्ठा नहीं, आय-व्यय का ब्योरा नहीं है। यह सरकार की नीतियों का प्रतीक होता और उन उद्देश्यों और कार्यक्रमों का संकेत करता है जिसको सरकार चलाना चाहती है जिस तरह समाज को ढालना चाहती है। विरोधी दल के नेता, श्री चौधरी साहब ने इस प्रकार का क्रेडिट दे दिया कमलापति सरकार को, जोकि उनको अभी नहीं देना चाहिये था। उन्होंने कह दिया कि यह सरकार जो गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में ले रही है, जो कि होल्डिंग के कानून बना रही है, कोआपरेटिव की भी चर्चा की हालांकि उसका कोई जिक्र बजट में नहीं है और जोकि प्रदेश में तमाम इंडस्ट्री खोलने जा रही है। यह सब कम्युनिस्ट फिलासफी चल रही है और रूस से प्रभावित होकर यह सब कर रही है। उन्होंने नेहरू जी को कोट किया कि नेहरू जी सन् 58 में रूस के कार्यक्रम और दर्शन से प्रभावित होकर इस कायक्रम को लागू करना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं लागू कर पाये, जो कि आज यह सरकार लागू करने जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि यह सरकार कम्युनिस्ट कार्यक्रम या कम्युनिस्ट दर्शन से प्रभावित होकर इन कार्यक्रमों को लागू करने जा रही है। वसे कम्युनिज्म से हमारा कोई विरोध नहीं है। वह एक अन्तर्राष्ट्रीय दर्शन है। लेकिन अभी हमारे माननीय चौधरी साहब को उतनी बड़ी क्रेडिट हम लोगों को देने की जरूरत नहीं थी। इतना अवश्य है कि और उसके लिये मैं चौधरी साहब की प्रसंशा करूंगा—उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक तस्वीर रखने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश या देश की जो आर्थिक प्रणाली चल रही थी, उससे भिन्न एक नये प्रोग्राम को लेकर यह बजट सामने आया है, जैसे गल्ले का थोक व्यापार है, जैसे जोतों की हदबन्दी है या हदबन्दी और चकबन्दी में ग्राम समाज की जमीन को हरिजनों में वितरण, प्रारम्भिक स्कूलों का अधिग्रहण, माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण, स्टेट क्षेत्र में इंडस्ट्री खोलने की चर्चा। मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि टेलीवीजन और कम्प्यूटर ऐसे औजार जोकि माडर्न सभ्यता के हथियार हैं, जिसको ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, यह सारी चीजें एक नयी आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है और इनको कम्युनिज्म कहकर कम नहीं किया जा सकता। आप मान्यवर, देख रहे हैं, हमारे नेगी जी प्रत्यक्ष आक्रमण करने को तैयार हैं।

जहां तक गल्ले के थोक व्यापार का प्रश्न है, हमारे सभी मित्र जैसे श्री अनन्त राम जायसवाल हैं, बी0के0डी0 के मित्र हैं, हमेशा से इसी सदन में यह कहते आये हैं कि गल्ले के व्यापार में जितनी कमियां हैं, यह सब ऐसी हैं जो गल्ले के बड़े-बड़े व्यवसायी मुनाफाखोरी करते हैं, चोरबाजारी करते हैं और हमेशा से इसी सदन में यह मांग होती रही है कि इन बड़े-बड़े व्यवसाइयों को गिरफ्तार किया जाय और उनके खत्ते से गल्ला निकाला जाय। ये लोग 55–60 रुपये में खरीदकर 125 और 150 रु0 में बेचते हैं। बंगाल में जब अकाल के कारण आदमी मरे थे तो लोगों का यह विचार था कि यह मैन-मेड है। मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा कि बिड़ला जिनकी हिंडालको फैक्ट्री है, वह भी छोटे-छोटे बाजारों में आढ़तियों की एजेंसी लगाये हैं, गल्ला जो हमारे लिये एक एसेंसियल कमोडिटी है, उसके मार्केट को बड़े-बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। अगर सरकार ने गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है तो यह सिस्टम उनकी मांग के अनकूल है। इसमें मास्को या रूस को क्रेडिट देने को मैं तैयार नहीं हूं। यह व्यवस्था पुरानी पड़ गयी थी और मार्केट कंट्रोल नहीं होता था, कठिनाइयां पैदा होती थीं, लिहाजा सरकार ने समय की नजाकत को देखते हुए गल्ले का व्यापार अपने हाथ में लेना स्वीकार किया।

मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं अपने सोशलिस्ट भाइयों से और पुराने संगठन कांग्रेस के भाइयों से चूंकि यह एक नया कार्यक्रम सरकार ने स्वीकार किया है, यह एक साहसिक कदम है यदि आप इसकी अभी से आलोचना शुरू करेंगे, इस प्रयोग के लिये आप समय नहीं देंगे, आप सहयोग नहीं देंगे तो यह सरकार जो कि गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है, वह असफल

[श्री कृष्णानन्द राय]

हो जायगी और फिर हम पुरानी परम्परा, जो मुनाफाखोर हैं, जो होर्डर्स हैं, जो ब्लैक मारकेटियर्स हैं, क्या यह सरकार, क्या यह विधान सभा पुनः उनके सामने सरेन्डर करेगी। अतः यह आपके हक में नहीं है आज इस होलसेल ट्रेड को आशीर्वाद दें और सरकार के साथ आप सहयोग करें। शुरू में ही इतनी आलोचना न कर दें कि मारल डाउन हो जाय। मुझे पूर्ण विस्वास है कि चाहें जितनी आलोचना हो और कष्ट हो, यह सफल होगा। मैं भी एक किसान हूं और मेरे घर में भी खेती होती है। पिछलीबार गवर्नमेंट नें बाजार को कुछ कंट्रोल किया था और पश्चिम के जिलों में 75–76 के हिसाब से गेहूं भी बिका था, लेकिन पूरब के जिलों में पारसाल इसके बावजूद भी व्यापारियों ने 55–60 रु0 में गेहूं खरीदा और 125-130 में उन्हीं गांव वालों के हाथ बेचा और दुगुना और तिगुना मुनाफा कमाया...

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

आप पूरब और पश्चिम की बात न उठायें...

श्री कृष्णा नन्द राय—

मैं तो केवल यह बात कह रहा था कि लोगों ने दुगुना और तिगुना मुनाफा कमाया मैं तो ऐसे सिस्टम पर थूकता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि जब गल्ले का थोक व्यापार लिया है तो यह एक आवश्यक कदम था और इसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित है।

जहांतक सीलिंग का प्रश्न है आज सारी पार्टियों ने चाहे वह बी0के0 डी0 वाले हों सोशलिस्ट पार्टी तो समाजवादी है ही, मैं उनकी इज्जत करता हूं, हमारे पुराने कांग्रेसी भाई भी, यह स्वीकार कर चुके है और इस सदन में रोज यह मांग करते रहे हैं कि अर्बन प्रापर्टी के विषय में सीलिंग लाना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जोत हदबन्दी का कानून उत्तर प्रदेश में पास कर चुके है और केवल इस नाम से कि केंद्रीय सरकार अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लाना चाहती है। हमने पास नहीं किया है यह गांव वालों के प्रति विरोधात्मक कदम है। मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि इस अधिवेशन में अरबन प्रोपर्टी सीलिंग विधेयक ले आयें। नहीं तो आप पर चार्ज लगेगा कि अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग नहीं लाये। मान्यवर, मैंने एक लेख पढ़ा एक जिम्मेदार अखबर नेशनल हेराल्ड का। दो आर्टिकिल्स निकले हैं। एक यू0पी0 के बजट के बारे में निकला है और दूसरा हरियाणा के बजट के बारे में निकला है। यू0पी0 के बजट को इसलिये कंडम किया है कि यहां फाइनेंन्स मिनिस्टर ने कोई टैक्स नहीं लगाया और 40 या 44 करोड़ का जो डेफिसिट है उसको अनकवर छोड़ दिया है। नेशनल हेराल्ड द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि यह सरकार शाई है और हमेशा केन्द्र से मांग करती रहती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, और भी एडजेक्टिव्ज हैं उनका भी जिक्र कर दें जैसे "सिगुलर, 'कलरलेस'।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारे मित्र जायसवाल जी कलर देखा करते हैं। हम तो मान्यवर रुखे आदमी हैं। कलर की ज्यादा बात नहीं जानते। मैं कह रहा था कि नेशनल हेराल्ड में यू0पी0 बजट पर जो आटिकल निकला है उसमें इस बात के लिये सरकार को कंडम किया है कि डेफिसिट को कवर करने के लिये टेक्जेशन का कोई प्रोपोजल नहीं आया है।

श्री बंशीधर पांडेय—

नेशनल हेराल्ड ने कंडम नहीं किया है बल्कि आने वाले टैक्सों के लिये भूमिका तैयार की है।

श्री कृष्णानन्द राय––

हरियाणा के बजट को इसलिये सपोर्ट किया है कि वहां 9 करोड़ के डेफिसिट को कवर करने के लिये टेक्सेशन किया गया है । दिल्ली में हमारे लायक मित्र, हमारी पार्टी के भी हो सकते हैं और दूसरी पार्टियों के भी हो सकते हैं, यह आरोप लगाते हैं कि यू0पी0 वाले इंटरनल रिसोर्सेज को टैप करने की कोशिश नहीं करते और केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करते हैं । मान्यवर, मैं आपके सामने एक आंकणा पेश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है जो कि पिछली चार योजनाओं में 70 प्रतिशत व्यय अपने इंटरनल रिसोसज से करता रहा है । अगर हिन्दुस्तान के और प्रदेशों का औसत देखें तो 40 या 45 फी-सदी होगा । आप देखें कि उत्तर प्रदेश में पर कैपीटा सेंट्रल असिसटेंस चार योजनाओं में केवल 170 रुपया मिली है जबकि आल इंडिया ऐवरेज 226 रुपया प्राप्त हुआ है । मैं अपने वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि वह बम्बई से 198 करोड़ रुपया लाये । इसलिये, जैसा कि मैं कह रहा था,जो प्रदेश 70 प्रतिशत व्यय अपने इंटरनल रिसोर्सेज से करता रहा हो उस पर इस प्रकर का आरोप लगाना गलत है कि वह शाई है और केंद्र पर निर्भर करता है । ऐसा कहना हमारे प्रदेश के साथ अन्याय होगा । मान्यवर, मैं अपने प्रदेश की इकनोमी को कमजोर मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

यह भी वर्णन कर दें कि इस प्रदेश में चार योजनायें थीं भी या नहीं । उन योजनाओं को आप योजना कह सकते हैं या वे योजनायें केवल पेपर पर ही थीं ।

श्री कृष्णानन्द राय––

पेपर योजना नहीं थी । हमारे उत्तर प्रदेश लोग कम्पेयर करते हैं पंजाब से जहां 900 रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी हो गयीहै-मैंने एक स्टेटमेंट में पढ़ा था । हमारे उत्तर प्रदेश में 500 रुपये है । सारे इंटर्नल रिसोर्सेज को ले कर हमार यहां चारों प्लानों का प्लान आउटले 246 रुपये हुआ है जबकि सारे हिन्दुस्तान का 368 रु0 प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है । जहां तक पंजाब का सवाल है 450 रु0 प्रति व्यक्ति प्लानों में खर्च हो चुके हैं । 8 करोड़ जनसंख्या का यह प्रदेश है । बड़ी प्लान बनानी पड़ती है और सेट्रल एसिस्टेंस कम मिलती है । हम कम खर्च कर पाते हैं । इसलिये हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी कम हो गयी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा––

प्रदेश को विभाजित करके ठीक कर लीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय––

मैं विभाजन के प्रश्न के विषय में नहीं कहना चाहता । जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री रहते हैं तब विभाजन की बात नहीं करते । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले दिल्ली के नजदीक हैं । अंग्रेजों के जमाने में सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ । गंगा कैनाल निकली, बिजली की लाइनों की स्थापना हुई, सड़कें बनीं और इंडस्ट्रियल एटमोस-फियर क्रीएट हुआ ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)––

मैं श्री कृष्णानन्द रायजी से जानना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की आमदनी क्या है और पूर्वी जिलों की आमदनी क्या है ? जो खर्च होता है पश्चिमी जिलों में वह पश्चिमी जिलों से आता है । वहां की इनकम 42.25 है और यहां की 22.3 ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं पूरब और पश्चिमी का प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं । इसके लिये माननीय चन्द्रभान शर्मा और माननीय हुकुम सिंह परिहार जिम्मेदार हैं । मैं इस सदन में एलान कर देना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन्नति हो चुकी है और पूरब और पहाड़ के लोग गरीब रखे जा चुके हैं । जब तक हम वसूल नहीं कर लेंगे हम इस प्रदेश के टुकड़े नहीं होने देंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा सड़कें और पुल पूर्वी हिस्सों में बने हैं या पहाड़ में और सबसे ज्यादा खर्च भी वहीं होता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं समझता हूं विभाजन की बात न करें, बजट पर चलें ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

विश्वविद्यालयों का विकास कहां हुआ है इन 10 सालों में ? वह सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है—मुश्किल से 1/3 पश्चिम में हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है, आप किसी को सुनना नहीं चाहते । आपने तो सवाल उठा दिया विभाजन का । उसका जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते । आपने आमंत्रित किया है । इस पर राय साहब अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं । उसके लिये तर्क दे रहे हैं । वे तर्क हो सकता है सही हो और हो सकता है गलत हो ।

श्री बंशीधर पांडेय—

विभाजन की चर्चा ही न हो । वह करना होगा तो अलग से होगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय परिहार जी, आप बैठिये । मैं इजाजत नहीं देता । आप बैठिये कृपा करके ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । कुछ नहीं लिखा जाएगा । आपका कार्य अनुचित है ।

(व्यवधान)

आप नहीं जानते हैं, बिना कहे नहीं बोलना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

आपने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं । आप बार-बार खड़े होते हैं ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

आप सुनते हैं नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठिये । आप आसन ग्रहण करिये । आपको इतना सौजन्य नहीं है कि जब मैं खड़ा हूं तो आपको नहीं खड़ा होना चाहिये । यहां संसदीय पद्धति है, जब आपको बोलने का मौका दूंगा तो आप बोलिये । जिसके पास कुछ होता नहीं है वह इस तरह से बोलता है। किसी के भाषण को आधार बनाकर आप भाषण देना चाहें तो ठीक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार––

मैं कह रहा हूं कि अलग से इस पर चर्चा हो जाय । इसमें क्या हर्ज है । रोजाना पूर्व और पश्चिम की बात होती है तो उस पर विचार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठ जाइये । आप को बोलने की इजाजत नहीं है । आपकी बात नोट नहीं होगी । अगर आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो मुझे अनुशासन की कार्यवाही करना पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह परिहार––

आप किसी के मुंह को बन्द नहीं कर सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

श्रीमन्, वह आगरा जिला से आ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं जिले के स्वभाव से किसी को नहीं छुड़ा सकता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

आप मुहब्बत से कहेंगे तो वह बैठ जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं साथी हूं अच्छे व्यवहार का लेकिन उच्छृंखलता का साथी नहीं हूं। इन्होंने जो कहा है वह लज्जा का विषय होना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह परिहार––

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बोल नहीं सकते हैं । आपको इजाजत नहीं है आप कृपा कर आसन ग्रहण करें नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप कृपा कर सदन छोड़ दें।

श्री हुकुम सिंह परिहार––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप कृपा कर सदन छोड़ दें । आप जैसे लोगों के लिये यह जगह नहीं है । मेरी यह व्यवस्था है । आप नियम के विपरीत आचरण कर रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह––

विभाजन पर आप नाराज न हों ।

श्री उपाध्यक्ष--

विभाजन के बारे में नाराज होने की बात नहीं है लेकिन उसके बारे में इस तरह से बात करना छिछलापन है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

आपकी इस मामले पर एक राय हो सकती है लेकिन सभी की नहीं हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने आपको बाहर जाने के लिये कहा है। अगर आप बाहर नहीं जावेंगे तो मैं सदन का अवमान समझूंगा और यह मामला दूसरे दिन उठेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं आपसे उदारता के लिये प्रार्थना करता हूं। इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की आज्ञा है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो सदन का प्रतीक हूं और जो सदन चाहेगा वह तो होगा ही ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

पूरा सदन ही आपसे कह रहा है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं विभाजन के बाद आया, एक बात कहना चाहता था और उस वक्त भी कहता विभाजन के संबंध में । इस ओर बहुत लोग बैठे हैं और मैं भी हूं जो कहते हैं कि अब विभाजन का कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होना चाहिये। लेकिन जो लोग ऐसी बात करें वह उनके लिये है । मैं कृष्णानन्द जी से जरूर निवेदन करूंगा कि इस विभाजन को लेकर पूरब-पश्चिम की बात इस तरह से न रखें तो बड़ी कृपा होगी। विभाजन का प्रश्न तो एक हारे हुए जुवारियों का प्रश्न है, वह नहीं उठना चाहिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मन के अन्दर जो बात होती है वह जरूर जबान पर आती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो भारत के संविधान के अन्तर्गत विधान मंडल को प्रदत्त अधिकार हैं उन्हीं के प्रयोग के लिये हम यहां बैठे हैं । यहां बार-बार सवाल उठता है, मैं संविधान की स्थिति को साफ कर देना चाहता हूं ।

अनुच्छेद 1 में साफ लिखा हुआ है कि यह राज्यों का संघ होगा और तीसरे में है कि संसद् विधि द्वारा--

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकेगी;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी;

(ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी ।

परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना तथा जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि विधयक की पुर:स्थापना की प्रस्थापना के तथा उसके संबंध, में, इन दोनों के संबंध में, यथास्थिति, राज्य के विधान मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक विधान मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये हों तब तक, किसी सदन में पुर:स्थापित न किया जायगा । तो इसमें संसद के लिये भी प्रतिबन्ध है और यह संसद के लिये ही है । संसद न भी इसमें नहीं कर सकती जबतक कि निर्दिष्ट न किया जाय और निर्दिष्ट जब कर दें तब यहां आपकी राय ली जायगी । उस समय ही हम राय बन के लिये सक्षम हैं । तो जब तक कोई विषय आपको निर्दिष्ट न किया जाय इस प्रदेश के संबंध में तब तक यह सवाल ही नहीं उठाना चाहिये ।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक सवाल उठाया, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर इस सदन के बहुत से या कुछ माननीय सदस्य इस भावना से प्रेरित होकर बोलना चाहते हैं कि प्रदेश क डिवीजन से ही इस प्रदेश की उन्नति हो सकती ह, वह बात दूसरी है कि कोई कहे कि नहीं होगी या कोई बुराई है लेकिन यह कसे कह सकते हैं कि कोई अपनी भावना ही प्रकट न करे ? यह कह देना कि जब तक निर्दिष्ट न हो ।

श्री उपाध्यक्ष––

वहां यह बात उठ सकती है जहां उन स्थानों से संबंध है लेकिन जैसे आज की कायवाही है ..... (व्यवधान)

क्या आप कहते हैं कि कार्यवाही बन्द कर दी जाय ? या चलायी जाय ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

हम तो आपकी मरजी से बोलते हैं । आप जैसा चाहें, चाहे बन्द कर दीजिये या चलाइये ।

श्री कृष्णानन्द राय––

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने लायक भाइयों से अपील करूंगा कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की स्थिति चल रही है पहाड़ों की, पूर्व की, बुन्देलखंड की और मध्य की और 3–4 योजनाओं के बाद आज जो आर्थिक चित्र उभरा है यदि उस पर आप ठंडे दिल से विचार करेंगे तो आप स्वत: इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम सब पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्खिन के मसले को छोड़कर उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करें और जो हमारे भाई किसी कारण से आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं आज विभाजन की मांग करके उनका उपहास न करें । मैं आपको यह निश्चित आंकड़े बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार पंजाब से उत्तर प्रदेश पूरे दो प्लान पीरियड पिछड़ गया है ठीक उसी प्रकार से पूर्व का इलाका, पहाड़ का इलाका और बुन्देलखंड का इलाका बाकी उत्तर प्रदेश से दो प्लान पीरियड पिछड़ गया है । मैं अपने मित्र परिहार जी को बताना चाहता हूं कि आज जबकि उत्तर प्रदेश की पर-कपिटा इन्कम 500 रुपये है वहां बस्ती की 168 रुपये है, देवरिया और गोरखपुर की पर-कैपिटा इंकम 200 रुपये से कम है और सारे पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड की पर-कैपिटा इंकम 200 रुपये के आसपास लटक रही है । आज जबकि हम सबको मिलकर सारे उत्तर प्रदेश को आर्थिक पिछड़ाव को आगे ले जाना है, हमको अपने इन साथियों को जो किसी कारण से पिछड़ गये हैं आगे ले जाना ह, विभाजन की बात करके जले पर नमक छिड़कने के समान है ।

[श्री कृष्णा नन्द राय]

मैं तो वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 800 करोड़ के खर्च के बजट में कोई भी टैक्स लगाने का एलान नहीं किया है । उन्होंने अपनी बजट स्पीच में यह कहा कि घाटे को पूरा करने के लिये चार करोड़ रुपये एक्साइज से, 10 करोड़ रुपये ज्यादा उगाही करके, 30-31 करोड़ रुपये स्माल सेविंग्स से और 13 करोड़ रुपया शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिल जायगा । परसाल 700 करोड़ का बजट था। तो 100 करोड़ रुपया जिस प्रदेश की एकोनामी बिना टैक्स के बयर कर सकती है उसकी वित्तीय व्यवस्था साउन्ड मानी जायगी और इस प्रदेश की सरकार और वित्त मंत्री को डिमारलाइज करने की जरूरत नहीं है । एक काम और करने की जरूरत है और वह मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं । छठा फाइनेंस कमीशन उत्तर प्रदेश में मार्च में किसी तारीख को आने वाला है । आपको उससे जोरदार शब्दों में कह देना चाहिये कि अब समय आ गया है जबकि पापुलेशन बेसिस पर आपको ग्रांट देनी चाहिये और दो प्लान पीरियड पिछड़े हुए इस प्रदेश को आर्टिकिल 270 के अन्तर्गत स्पेशल ग्रांट देनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कल आ रहा है जो मिलना चाहे मिल सकता है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

आप वित्त मंत्री हैं जो आप सबको रेप्रेजेंट करते हैं । वैसे हम सदन के विरोधी नेताओं से भी अपील करेंगे जिससे कि सारे उत्तर प्रदेश की मांग मानी जाय कि 17 परसेंट उत्तर प्रदेश के फाइनेंस में डिवैलुएशन करें चूंकि अन्य राज्यों से यह दो प्लान पीरियड पिछड़ गया है । और मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को अपने गाजीपुर जिले की 13 लाख जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं । और जिस चीज के लिये हम लोग 20 वर्षों से लड़ रहे थे, वह चीज इस बजट में पूरी हो गयी, गंगा के पुल के लिये इसी बजट में 3 करोड़ रुपया रखा गया है और उसका काम भी शुरू हो गया है । इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में जो नयी नीतियों की घोषणा सरकार ने की है उसके लिये वह बधाई की पात्र है ।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य वाद विवाद में बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । भाषण शुरू करने से पूर्व एक शेर याद आ गया, गरीब आह भी भरे तो हो जाता है बदनाम, सरकार कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मुरादाबाद के माननीय सदस्य श्री रियासत हुसेन साहब ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा था कि चौधरी साहब का आज का भाषण कुछ विचारों पर आधारित था यह प्रसन्नता की बात है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके विचारों में संघर्ष है, मतभेद है । 16 नवम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो छपा है वह मैं बताना चाहता हूं । जब माननीया इंदिरा गांधी जी जो कांग्रेस के विचारों का स्रोत हैं दो दिन के लिये आराम के लिये जाने वाली थीं तो एक अमेरिकन करेस्पांडेंट से बात करते हुए उन्होंने कहा था "There are people who used to pick grain from the dung. Now they get least one good meal a day that is enough." कि पहले इस देश के अन्दर ऐसे आदमी थे जो गोबर में से अन्न के दाने निकाल कर खाते थे, किन्तु आज उनको एक वक्त भोजन मिल जाता है । उनकी दृष्टि से एक वक्त भोजन मिलना पर्याप्त है । जिस देश के नेता के ऐसे विचार हों कि एक वक्त खाने को मिल जाना ही काफी हो, उससे हमारे विचार मेल नहीं खा सकते और उस नेता से ही सामने बैठे मित्र प्रेरणा लेते हैं ।

मान्यवर, मेरे सामने यह पायनियर का 15 मार्च, 1973 के एडीटोरियल की कटिंग है । पिछले सात वर्ष में यह सरकार किस दिशा में देश को ले गये हैं । इससे जाहिर है।

"It is shocking to be told that in the last seven years the *per capita* consumption of foodgrain in this country has dropped by 27 percent, of cotton cloth by 11 percent, of edible oils by 14 percent and that of sugar by 17 percent. By contrast the production of motor cars to quote the figures publicised by Mr. Piloo Mody, Swantantra Party leader, has gone up by 87 percent, of air conditioners by 44 percent, of refri-

यह है हमारे और सामने बैठे मित्रों के विचारों में मतभेद का कारण।.... (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

विचार तो आपके प्रोग्रेसिव हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे और इस समय समाप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बाहर एक अनशन हो रहा है, उसके बारे में गृह-मंत्री जी कोई आश्वासन देना चाहते हैं, जिससे हो सकता है कि कोई ऐसा आश्वासन दें और उससे अनशन समाप्त हो जाए। इसलिए आप उनको समय दे दें कहने का।

श्री उपाध्यक्ष—

हमें आश्वासन देने की कोई जानकारी नहीं है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई थीं, उसमें से कोई भी सूचना स्वीकार नहीं हुई है। अब आप लोग उनमें अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

अब हम उठते हैं और 22 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 59 मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक 22 मार्च, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
16 मार्च, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 800 पर।)

मांगों की सूची

1—कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी के राजकीय कार्यालयों में प्रतिष्ठित किया जाय।

2—लेखा सम्वर्ग में पदोन्नति के मार्ग खोलने, दक्षता रोक हटाने सम्बन्धी दिनांक 29-12-72 के शासनादेश को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित करते हुये उक्त आदेश की प्रतिलिपि संगठन को भी प्रदान की जाय।

3—कार्यालय में साइक्लोस्टाइल आपरेटर व दफ्तरों के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये नये उच्च वेतनमानों का सर्जन किया जाय।

4—चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को गर्म व ठंडी दोनों वर्दियां प्रदान की जायं तथा उनसे बेगार लेना एकदम बन्द किया जाय।

5—योग्यता के बंधन को समाप्ति करते हुये केवल ज्येष्ठता के आधार पर कम्प्यूटर को पदोन्नति सांख्यकीय सहायक के पद पर की जाय।

6—शासनादेश संख्या ई-587/उन्तालिस, दिनांक 24 फरवरी, 1969 के अनुसार विभागीय गाड़ियों को चलाने वाले प्रत्येक ड्राइवर को गर्म व ठन्डे कोट, पैन्ट फार्ज कैप, पेशावरी चप्पल जूते, कम्बल एवं सरकारी आवास तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जायें। आठ घन्टे से अधिक कार्य करने के बदले में उन्हें उचित भत्ता प्रदान किया जाय।

7—तीन साल एक विभाग की सेवा करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को स्थायी घोषित किया जाय।

8—पूर्व आश्वासन के राहत कृषि भवन के निर्माणाधीन भाग में संगठन के कार्यालय की व्यवस्था की जाय।

9—निदेशालय में चिकित्सा की सुविधा हेतु डिस्पेन्सरी खोली जाय।

10—उपरोक्त मांगों के पीछे चल रहे आन्दोलन को कमजोर बनाने की दृष्टि से किसी मकान मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाने की गर्ज से निदेशालय के आडिट सेल का किया गया स्थानान्तरण अविलम्ब निरस्त किया जाय तथा इसके पीछे किये गये दण्डात्मक कार्यवाही को अविलम्ब वापस किया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम 38 (2) तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 811 पर।)

(आरोपों का विवरण)

श्री दुर्जन भाई, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 1972 में डा0 पी0 के0 आर0 वर्मा, ऐंटी मलेरिया आफिसर, बांदा तथा श्री एम0 पी0 अवस्थी, मलेरिया यूनिट अधिकारी, बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं आदि के बारे में निम्नांकित आरोप लगाये गये हैं:—

(1) सरकार को तथा बांदा की जनता को धोखा देकर पैसा कमाना।

(2) डा0 पी0 के0 आर0 वर्मा इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बांदा में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने के बजाय वे अधिकतर इलाहाबाद में ही रहते हैं। बांदा तो वे माह में केवल दस बारह दिनों के लिये ही जाते है—अपने कार्य की केवल खाना पूरी करने हेतु।

(3) सरकारी जीप की झूठी लाग-बुक भरते हैं और झूठा यात्रा भत्ता लेते हैं।

(4) सरकारी जीप का दुरुपयोग करते हैं, मुख्यतः अपने निजी कार्य हेतु इलाहाबाद जाने में। इसमें श्री एम0 पी0 अवस्थी, सहायक यूनिट अधिकारी उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं।

(5) श्री एम0 पी0 अवस्थी भी सरकारी जीप का दुरुपयोग करते हैं और झूठा यात्रा-भत्ता लेते हैं।

(6) श्री अवस्थी को डा0 वर्मा ने वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान एम0 ए0 करने की अनुमति प्रदान की थी और श्री अवस्थी ने एम0 ए0 की परीक्षा रेगुलर छात्र के रूप में कालिज में पढ़ कर पास की है। ऐसी दशा में उनके द्वारा अपनी सरकारी ड्यूटी—विशिष्ट रूप से दौरे की ड्यूटी तथा निर्धारित रात्रि-विश्राम को पूरा करना संदिग्ध है।

(7) श्री गनेशी, अर्दली को फर्जी भत्ता डा0 वर्मा ने उसे खुश करने के लिये दिया जबकि अर्दली के बाहर जाने का सवाल पैदा नहीं होता।

(8) डा0 वर्मा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का डाइरेक्ट या इन-डायरेक्ट रूप से शोषण करते हैं और इसीलिए उनके वेतन, वेतन-वृद्धि रोके रहते हैं।

(9) डा0 वर्मा जब अपने अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मलेरिया यूनिट, बांदा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकारी कार्य हेतु भेजते हैं तो उन्हें देय यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता का पूरा-पूरा भुगतान नहीं करते हैं—केवल किराया मात्र ही देते हैं।

(10) अपने निजी लाभ हेतु डा0 वर्मा ने सरकारी जीप को उसका हुड चढ़ाये जाने के लिये कई बार कानपुर तथा इलाहाबाद भेजा जब कि हुड बांदा में ही लगवाया जा सकता था।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 814 पर)

बेसिक हेल्थ वर्कर्स संघ की मांगों की वस्तु-स्थिति

मांग	वस्तु-स्थिति
1--तीन वर्ष से अधिक काम रहे बेसिक हेल्थ वर्कर्स के पदों को स्थायी किया जाय।	ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न जन-स्वास्थ्य से संबंधित सेवायें, जिनमें बेसिक हेल्थ वर्कर भी सम्मिलित हैं, को एक बहुमुखी कार्य कर्त्ता (multi-purpose worker) की सेवा गठित करने का प्रश्न केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है। अतः इन पत्रों क स्थायी-करण का प्रश्न अभी नहीं आता।
2--ऐसे बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो पिछले 12 वर्षों से मलेरिया विभाग में सेवा कर रहे हैं, की 50 प्रति रिक्त लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति की जाय।	10 प्रतिशत लैब-टेक्नीशियनों के रिक्त पदों को, बेसिक हेल्थ वर्करों को जो अर्हता रखते हों, की प्रोन्नति के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा आरक्षित कर दिये गये हैं।
3--वेतन अभिनवीकरण समिति की संस्तुतियों के आधार पर बेसिक हेल्थ वर्कर्स का नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करके बकाया वेतन भुगतान किया जाय।	इस मांग की पूर्ति हेतु निदेशक (स्वास्थ्य) द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही निमित्त समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निदेश दिये गये हैं।
4--जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से बेसिक हेल्थ वर्करों की सेवायें समाप्त करने की प्रवृत्ति को रोका जाय और इस प्रकार सेवा प्रथक वर्कर्स को पुनः सेवा में लिया जाय।	जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बेसिक हेल्थ वर्करों की सेवायें उनके असन्तोषजनक कार्य तथा चेचक आदि की फर्जी रिपोर्ट देने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से समाप्त की जाती हैं। शासन केवल पैसे मामले विशेष पर विचार कर सकती है जहां नियमों के विपरीत सेवा समाप्ति की गई हो।
5--उक्त सेवा संवर्ग के लिये वर्तमान रु0 80-140 के स्थान पर 140-280 रु0 का निरीक्षित वेतन-मान स्वीकृत किया जाय।	यह मामला वेतन आयोग के विचार क्षेत्र का था। आयोग की संस्तुतियों पर शासन का निर्णय हो जाने पर आवश्यक आदेश जारी होंगे।
6--बेसिक हेल्थ वर्करों को 10 रु0 प्रति माह का साइकिल का भत्ता दिया जाय।	इस सम्बन्ध में निदेशक से अस्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उन्हें प्रस्ताव के समर्थन में आवश्यक विवरण भेजने को कहा गया है।

मांग	वस्तु-स्थिति
7--स्टेंसिल बनाने का कार्य समाप्त किया जाय क्योंकि स्टेंसिल बनाने से हाथ गंदे होते हैं और उन्हीं हाथों से रक्त पटिकायें बनानी पड़ती हैं व चेचक का टीका लगाना पड़ता है और उससे रोगी को टिटनेस आदि होने का भय है।	इस मांग को स्वीकार करना जनहित में नहीं है क्योंकि स्टेंसिल द्वारा ही इन कार्यकर्त्ताओं का कार्य निरीक्षण सुपरवाइजरी स्टाफ द्वारा किया जाता है। स्टेंसिल बनाने के बाद अन्य कार्य करने से पूर्व हाथ धोकर साफ करने के निमित्त साबुन, तौलिया आदि की व्यवस्था भी इन कार्यकर्त्ताओं के लिये उपलब्ध है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 824 पर)

सूची अनाधिकार व्यक्तियों की वर्ग 4 ग्राम, पेनुआखत लखनऊ

क्रमांक	खतौनी खाता सं0	खातेदार का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान	मुद्दत काश्त	क्षेत्रफल
1	17	असौजिया व लाखनू व सुखिया, पुत्रगण हरु, निवासी पनुआ।	1376 फसली से	0.30
2	18	भदरु, पुत्र मोना, निवासी पैनुआ खेड़ा-डोगरी-लग्गा-पैनुआ	1376 फसली से	0.25
3	27	केदारु, पुत्र अजमरू, निवासी पैनुआ	1376 फसली से	0.25
4	28	ध्यानसिंह, पुत्र धरमसिंह, निवासी पैनुआ	1376 फसली से	0.35
		योग ..	4	1.15

भूमि जो वर्ग 4 में दर्ज है ग्राम डगरी खत लखों

1	71	केदारसिंह सूनू दलीपसिंह मदनसिंह रतन सिंह-विजन सिंह सन्तराम, पुत्रगण मानसिंह, निवासी डुगरी।	1375 फसली से	0.65
2	72	किसिया, पुत्र साधू, निवासी डूगरी	1375 फसली से	0.46
3	73	खाखरु रतनू, पत्र स्वारु, निवासी डुगरी	1375 फसली से	1.18
4	74	जट्ट-रबी-हिसरु मखमू, पुत्र ढटिया निवासी डुमरी।	1375 फसली से	1.10
5	75	डोरु पुत्र पनबटिया निवासी डुगरी	1375 फसली से	0.15
6	76	थेपड़ू पुत्र घमटा निवासी डुगरी	1375 फसली से	0.28
7	77	ध्यानसिंह पुत्र हरनन्द, निवासी डुमरी	1375 फसली से	0.36
8	78	भवानसिंह हरीराम पुत्र राजू निवासी डुगरी।	1375 फसली से	1.17
9	79	दलूपुत्र चेतू निवासी डुगरी	1375 फसली से	0.14
10	80	भवान्टू पुत्र चेतू, निवासी डुगरी	1375 फसली से	0.46
11	81	मलू-धोगा पुत्रगण प्यारेराम, निवासी डुगरी।	1375 फसली से	0.70
12	82	मोतीराम पुत्र सहजराम, निवासी डुगरी	1375 फसली से	0.06
13	83	शोभाराम पुत्र दीपचन्द निवासी डुगरी	1375 फसली से	0.98
			योग	7.69

नोट--ग्राम सुमोई में वर्ग 4 का कोई इन्द्राज नहीं है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 827 पर)

निर्माण-कार्यों की सूची

1—पर्यटन विभाग द्वारा संचालित निर्माण-कार्य

कुमाऊं मण्डल—

(1) जिला नैनीताल में यूथ होस्टल (निर्माणाधीन),

(2) जिला अल्मोड़ा में हाली डे होम (जमीन अर्जित की जा रही है)।

(3) जिला गढ़वाल में—

1—श्रीनगर में पिलग्रिम शेड्स

2—पौढ़ी में पर्यटक आवास गृह (निर्माणाधीन)।

गढ़वाल मण्डल—

(4) जिला टेहरी गढ़वाल में—

1—मुनि-की-रेती में पर्यटक आवास-गृह,

2—देव प्रयाग में पिलग्रिम शेड्स,

3—रुद्र प्रयाग में पिलग्रिम शेड्स (निर्माणाधीन)।

2—सीमान्त विकास विभाग द्वारा संचालित निर्माण-कार्य

कुमाऊं मण्डल—

(1) जिला पिथौरागढ़ में पर्यटक विश्राम गृह (निर्माणाधीन)

गढ़वाल मण्डल—

(2) जिला चमोली में—

1—बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में पर्यटक होटल

2—बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, कर्ण प्रयाग, गौरीकुण्ड में पर्यटक भवन (यात्री विश्रामालय)।

3—ग्वालदम, धंधरिया, गोपेश्वर, नन्दप्रयाग में पर्यटक विश्राम-गृह (निर्माणाधीन)

(3) जिला उत्तर काशी में—

1—चिन्यालीसोर, उत्तरकाशी, भैरोघाटी, गंगोत्री, बड़कोट, श्यामचट्टी, बीफ, लंका में पर्यटक भवन (यात्री विश्रामालय)।

2—उत्तर काशी, बड़कोट, गंगोत्री, हरसिल, गंगाननी में पर्यटक विश्राम-गृह (निर्माणाधीन)

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 827 पर)

सूची

संग्रह अमीन

1—श्री सभापति तिवारी, संग्रह अमीन, तहसील सदर, गोरखपुर

2—श्री शिव लाल, संग्रह अमीन, तहसील सदर, गोरखपुर

3—श्री अब्दुल मजीद, संग्रह अमीन, तहसील सदर, गोरखपुर

4—श्री राम तीरथ, संग्रह अमीन, तहसील सदर, गोरखपुर

5—श्री रघुनाथ सिंह, संग्रह अमीन ,तहसील बांसगांव, गोरखपुर

6—श्री राजबहादुर सिंह, संग्रह अमीन, तहसील बांसगांव, गोरखपुर (प्रथम) ।

7—श्री राज बहादुर सिंह, संग्रह अमीन, तहसील बांसगांव, गोरखपुर (द्वितीय) ।

8—श्री रामसूरत यादव, संग्रह अमीन, तहसील बांसगांव, गोरखपुर ।

लेखपाल

1—श्री कालिका प्रसाद, लेखपाल, तहसील सदर, गोरखपुर

2—श्री श्याम बिहारी लाल, लेखपाल, तहसील सदर, गोरखपुर

3—श्री रणधीर सिंह, लेखपाल, तहसील सदर, गोरखपुर

4—श्री बृन्दावन लाल, लेखपाल, तहसील बांसगांव, गोरखपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्य 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 828 पर)

तहसील बांसी के तप्पा कोड़री के सूखाग्रस्त ग्रामों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सं0	क्रमांक	ग्राम का नाम	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
1	छतवा	5	35	सतवाड़ी	1
2	असोगवा	5	36	भड़ही उर्फ मिश्रौलिया	4
3	महुआरी	1	37	तारागुजरौलिया	6
4	सिरसिया तिवारी	1	38	बसठा	1
5	मऊ	3	39	ओदना ताल	0
6	बोड़वलिया	2	40	बहोरवाघाट	,,
7	नउरो	1	41	जिगना	,,
8	सुभौली	2	42	बारा मुड़िला	,,
9	मंझरिया	1	43	धम्हवा खुर्द	,,
10	थुम्हवाबुजुर्ग	4	44	तिधरा	,,
11	बड़हरा	1	45	तिघरी	,,
12	असिधवा	3	46	कपिया	,,
13	बसिया	7	47	इमली डीहा	,,
14	चेतिया	5	48	तोवर	,,
15	बड़हरघाट	8	49	डुमरिया लाला	,,
16	सिरसिया मिश्र	1	50	पिरकौलिया	,,
17	ठिकहा	2	51	शिवपुर	,,
18	रुद्रपुर	1	52	डड़वा भारगो	,,
19	नेवला	7	53	डड़वा राधोराम	,,
20	नरकटहा	3	54	मखुरहवा	,,
21	नौतला ताल	1	55	पुरवा	,,
22	छपिया	3	56	निहलवा	,,
23	चन्देगड़िया	2	57	गोनहा ताल	,,
24	पिपरा	1	58	रेहरा	,,
25	मजगवां	3	59	मालीजोत	,,
26	धरहरा	1	60	गांगूडीहा	,,
27	बिहरा	10	61	सुकरौली	,,
28	मरचा	3	62	संग्रामपुर	,,
29	खिरिया	5	63	डुमरियाबोदो	,,
30	कोड़री	9	64	नरायणपुर	,,
31	बलुआ	3	65	सेमरा	,,
32	मटौली	4	66	गनवरिया	,,
33	डड़िया	4	67	खमरिया खुर्द	,,
34	भगौतापुर	10	68	खमरिया बुजुर्ग	,,

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 834 पर)

विवरण

(अ) दुद्धी वन प्रभाग के पुराने रक्षित वनों से दुद्धी परगना के बोलवा, बरहा तथा दुद्धी टप्पा के निवासियों को निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं:—

मकान बनाने तथा मरम्मत के लिये	प्रति घर हर पांचवें साल दिये जाने वाले पेड़ों की सं0
(1) खाल, आसन, तेन्दू व सिद्धा 60 से0 मी0 से 90 से0 मी0 की गोलाई में	1
(2) अन्य प्रजातियां जिनमें तेन्दू और सिद्धा भी शामिल है 30 से0 मी0 से 45 से0 मी0 की गोलाई में।	12
खेती के सामान के लिये प्रति धर दी जाने वाली लकड़ी:—	
(1) खैर या साल 45 से0 मी0 से 60 से0 मी0 की गोलाई में	2
(2) कुकाठ प्रजातियां 45 से 0 मी0 से 60 से0 मी0 की गोलाई में	2

अधिकृत निवासियों को अपने घरों की मरम्मत के लिये प्रति वर्ष 25 बांस तथा नये मकान के लिये 100 गांव तक रुपया 1.50 पैसा प्रति सैकड़ा की दर से दिये जाने की सुविधा है। 100 बांस से अधिक और 500 बांस तक रुपया 3.00 प्रति सैकड़ा के हिसाब से तथा 500 बांस से ऊपर रुपया 4.00 प्रति सैकड़ा के हिसाब से दिये जाने की सुविधा है। अधिकृत क्षेत्र के डोम तथा धरकार जातियों को टोकरी बनाने के लिये 0.50 पैसा प्रति सैकड़ा बांस दिये जाने की सुविधा है।

अधिकृत नवासियों को गिरी-पड़ी जलाऊ लकड़ी, कटीली झाड़ियां, छप्पर छाने की घास, महुलाइन का बक्कल, वगई घास, जड़ें तथा खाने वाले फूल और फल जिसमें महुरा बोलान भी शामिल है मुफ्त दिये जाने की सुविधा है।

अधिकृत निवासियों को उपरोक्त रक्षित बनों में मुक्त या निम्नलिखित रेट के ऊपर जानवरों को चराने की सुविधा प्राप्त है:—

जानवर किस्म	चारे की दर (रियायती)
1—गाय तथा बल	0.22 प्रतिवर्ष
2—भैंस	0.25 ,,

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 835 पर)

जिला इटावा में टेस्टवर्क के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की सूची

तहसील का नाम	प्रोजेक्ट का नाम
(1) इटावा	(1) एक दिल पक्की सड़क से मानिकपुर-सितौरा सड़क तक।
(2) अर्थना	(2) विरौधी से मेड़ी दुधी तक सड़क।
(3) विधुना	(3) कैथावां उमदान मार्ग से नूरपुर ग्राम तक सड़क।
	(4) विधूना-बेला रोड से बांधमऊ ग्राम के पश्चिम से कैथावा वराहार तक सड़क।
	(5) अहल्दा से महमदाबाद-गासीपुर होती हुई हसनपुर तक सड़क।
	(6) सहार से थाना सहायल तक सड़क।
	(7) याकूबपुर के पश्चिम से मढ़ुदासपुर तक सड़क तक सड़क।
	(8) हरचन्दापुर से बढ़िन तक सड़क।
	(9) दोवा से किशनी पक्की सड़क तक सड़क।
	(10) हरचन्दपुर से पाता तक सड़क।
(4) औरेया	(11) भोखेपुर से जुए के पुल तक सड़क।
	(12) खानपुर नाला।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रोजेक्ट पर कार्य बाद में शुरू किया गया:—

(1) इटावा	(1) इकदिल नहर के पुल से ग्राम पचदेवरा तक सड़क।
(2) भर्थना	(2) बिजौली से विशनामई तक सड़क।
(3) विधूना	(3) हरचन्दापुर की पुलिया से फैजुल्लापुर होते हुए नगला-हिरनी तक सड़क।
	(4) कल्यानपुर, ताजपुर से तिलकपुर-नूरपुर तक सड़क।
	(5) मऊ से मदौरा-सिउरा होते हुए बेला तक सड़क।
	(6) दिवियापुर से सहायल तक सड़क।
	(7) मढ़ादासपुर से औरो उमरपुर होती हुई याकूबपुर तक सड़क।
	(8) अहल्दा से ऊपर तक सड़क।
	(9) पाता से फफूंद तक सड़क।
	(10) बेला चौराहे से पुलन्दरपुर को पुलिया (जौहर) तक सड़क।
	(11) माऊपुर से क्योटरा तक सड़क।
	(12) वावरपुर से सिकरोड़ी तक सड़क।
	(13) फूटा कुआं से बड़ेरा तक सड़क।
	(14) अयाना से बोझलपुर तक सड़क।
(5) भर्थना	(1) ग्राम मोया के भूमिहीन, अग्निपीड़ितों के सहायतार्थ तालाब की खुदाई।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 835 पर)

जिला फर्रुखाबाद के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में वर्ष 1971–72 तथा 72–73 में दवाओं की व्यवस्था:—

चिकित्सालयों का प्रकार	वर्ष 1971–72 में चालू चिकित्सालयों की संख्या	दवा के लिये प्राविधानित धनराशि	उपयोग में लाई गई धनराशि	वर्ष 1972–73 में चालू चिकित्सालयों की संख्या	दवा के लिये प्राविधानित धनराशि	उपयोग में लाई गई धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय	आयुर्वेदिक–9 यूनानी–1	1,000 रुपया प्रति औषधालय प्रति वर्ष की दर से तथा 500 रुपया प्रति औषधालय की अतिरिक्त औषधियां।	कुल	आयुर्वेदिक–11 यूनानी–1	1000 रुपये प्रति औषधालय प्रति वर्ष की दर से।	कुल	(1) वर्ष 72–73 में दो नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत होने से संख्या बढ़ गई। (2) वर्ष 1971–72 में बाढ़ के कारण 500 रुपये प्रति औषधालय की दर से अतिरिक्त औषधियां दी गईं।
जिला परिषद्।	आयुर्वेदिक–17 यूनानी–1	20,000 रुपये एक मुश्त	4378 रुपये केवल	आयुर्वेदिक–17 यूनानी–1	20,000 रुपये एक मश्त	कुल	(1) वर्ष 1971–72 में सम्बन्धित फर्मों से दवाओं की आपूर्ति वर्ष के अन्तिम

						मास मार्च, 1972 में की गई । फलतः केवल 4378 रुपये की ही दवाइयों की खपत हो सकी ।
होम्योपैथिक–1 (सहायता प्राप्त)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	होम्योपैथिक–1 (सहायता प्राप्त)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	ऐसे औषधालयों के व्यय का 2/3 भाग शासन द्वारा तथा 1/3 भाग सम्बन्धित जिला परिषद् द्वारा वहन किया जाता है । पिछले वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 837 पर)

ऐसे खातेदारों की सूची जिन्होंने माह मई, सन् 1971 में रकबा दुरुस्तगी के प्रार्थना-पत्र धारा 9 के अन्तर्गत दिये ।

ग्राम पाली, परगना झलोत्तर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव

क्रम संख्या	प्रार्थना-पत्र देने वाले का नाम	धारा 9 के अन्तर्गत वाद संख्या निस्तारण तिथि
1	2	3
1	सर्वश्री महादेव व विश्राम, पुत्रगण भगवानदीन ..	143-31-5-71
2	महाबीर, पुत्र भूप ..	206-31-5-71
3	शिवनाथ, पुत्र गोकुल ..	207-1-6-71
4	धर्म कुमार, पुत्र सुखलाल ..	203-31-5-71
5	रामपाल सिंह, पुत्र लाल सिंह ..	174-31-5-71
6	केदी व कुशहर, पुत्रगण भदार ..	167-27-5-71
7	भुनेश्वर सिंह व नरेन्द्र सिंह, पुत्रगण शिव नारयन सिंह	146-27-5-71
8	अवध बिहारी, पुत्र सधनू ..	144-31-5-71
9	रविन्द्रनाथ विश्राम आदि ..	138-29-5-71
		140-2-6-71
10	हरिनाथ सिंह, पुत्र शिव नरायन सिंह ..	134-30-5-71
11	शिव चरन, पुत्र सीताराम ..	133-27-5-71
12	मन्नी लाल, पुत्र बन्दी ..	135-27-5-71
13	राजाराम सिंह, पुत्र भगवान सिंह ..	132-27-5-71
14	राजाराम, पुत्र लोचई ..	126-27-5-71
15	सधनू, पुत्र लाला ..	130-30-5-71
16	राम नरायन आदि ..	109-27-5-71
17	भगवानदीन पुत्र झूरी ..	90-30-5-71
18	नरायन, पुत्र जगनू ..	26-29-5-71
19	श्रीमती गंगा देई ..	50-27-5-71
20	महाराज रामचन्द्र जी व जानकी जी ..	56-30-5-71
21	श्रीकृष्ण, पुत्र रघुनन्दन ..	75-27-5-71
22	बल्देव सिंह, पुत्र राम सिंह ..	177-30-5-71
23	भगेली, पुत्र सूर्यबली ..	193-31-5-71
24	वेणी माधो बनाम रत्नू ..	44-29-5-71

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 17 एल0 ए0—1973—835।